Wednesday 04, August, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-97
Digitized On
Parliament Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—54, बुद्धवार, 4 अगस्त, 1971/13 श्रावण, 1893 (शक)

No —54, Wednesday, August 4, 1971/Sravana 13, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्रा० संख्या S. Q. No.		
1561. बंगलौर से भारत के अन्य नगरों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling from Bangalore to other Cities of India	1—3
1562. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of Age Limit for UPSC Examinations	3—5
1563. परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्मों के लिए पुरस्कार	Awards for Films on Family Planning	5—7
1564. केरल में नारियल जटा उद्योग ,के विकास के बारे में दिल्ली में हुआ सम्मेलन	Conference held in Delhi Re. Development of Coir Industry in Kerala	7—9
1565. पटसन-उत्पादक राज्यों में पटसन की नई और आधुनिक मिलें स्थापित करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए समिति	Committee to Survey possibilities for Setting up of New and Modern Jute Mills in Jute-Growing States	9—11
1568. विदेशों के खादी के वस्त्रों का निर्यात	Export of Khadi Clothes to Foreign Countries	11—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस दस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was tually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1570.	एरणाकुलम टेलीफोन केन्द्र	Ernakulam Telephone Exchange	14
1571.	दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry Port at Delhi	14—15
1572	रामचरित मानस की चौथी शताब्दी	Fourth Centenary of Ram Charit Manas	15—17
574.	जापान द्वारा विकासशील देशों की वस्तुओं पर अधिमान्यात्मक टैरिफ	Preferential Tariffs granted by Japan on Goods from Developing Countries	17—19

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1566.	नेफा में रेडियो स्टेशन	Radio Station in NEFA	19—20
1567.	विश्वभारती विश्वविद्यालय के बाहर सैनिकों का शिविर स्थापित किया जाना	Setting up of a Troops Camp Outside Visva Bharati University	20
1569.	हरियाणा पुलिस द्वारा करनाल जिले (हरियाणा) में दिल्ली के पत्रकारों के पीटे जाने के सम्बन्ध में जांच	Inquiry into waylaying of Delhi Journalists by Haryana Police in Karnal District Haryana	20
1573.	चांदी का निर्यात	Export of Silver	20—21
1575.	भारत तथा जापान के बीच व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade between India and Japan	21
1576.	केरल में चिमनी मुपली सिंचाई परियोजना	Chimney Mupli Irrigation Project in Kerala	21—22
1577.	पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक कार्यवाहियाँ	Violent Activities in West Bengal	22
1578.	पश्चिम बंगाल में महिला समिति की नेता पर कथित आक्रमण	Alleged Attack on Mahila Samiti Leader in West Bengal	23
1579.	दामोदर घाटी निगम में तैनात किया गया केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force Deployed in Damodar Valley Corporation	23
1580.	कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की योजना	Scheme for Modernisation of Textile Mills	23—24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1581.	समाचार भारती को ट्रस्ट के रूप में बदला जाना	Conversion of Samachar Bharati into a Trust	25
1582.	बौनस वाउचर योजना का नेपाल द्वारा पुनरीक्षण	Revision of Bonus Voucher Scheme by Nepal	25
1583.	आसाम नागालैंड सीमा विवाद	Assam Nagaland Boundary Dispute	25—26
1584.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ब्लैक आउट के अभ्यास	Black out Exercises in Union Territory of Delhi	26
1585.	सिलीगुड़ी में चाय नीलामी केन्द्र खोलना	Opening of Tea Auction Centre at Siliguri	26—27
1586.	चंडीगढ़ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का एवार्ड	Prime Minister's Award on Chandigarh	27
1587.	अगरतला में भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की हत्या	Killing of Bangla Desh Refugees by Pak Forces near Indian Border in Agartala	27—28
1588.	जम्मू और काश्मीर में कार्य कर रहे अल फतह संगठन के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings against Al Fatah Organisation Operating in Jammu and Kashmir	28
1589.	आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग	Demand for CBI Enquiry into Charges against Anand Marg	28
1590.	पश्चिम बंगाल में बन्द सूती कपड़ा मिलों का पुनः चालू किया जाना	Reopening of Closed Textile Mills in West Bengal	28—29

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6834.	अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था और डाक्टर भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	All India blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust New Delhi	29

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6835.	जमशेदपुर में क्रीप स्टील प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र की स्थापना के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य-क्रम के साथ करार	Agreement with United Nations Development Programme Re: Setting up a Creep Steel Testing and Training Centre at Jamshedpur	29—30
6836.	हथकरघा बुनकरों को विशेष प्रोत्साहन	Special incentives to Handloom Weavers	31
6838.	विदेशों को निर्यात की गई बीड़ियां	Beedis exported to Foreign Countries	31
6839.	सार्वजनिक शिकायतों के लिये आयुक्त के पद को समाप्त करना	Abolition of Post of Commissioner for Public Grievances	32
6840.	उत्तर प्रदेश में एस० ए० एक्स० की तरह के टेली-फोन केन्द्रों में वातानुकूलन व्यवस्था का अभाव	Lack of Air Conditioning in SAX Type Telephone Exchanges in U. P.	32
6841.	उत्तर प्रदेश का माईलानी टेलीफोन केन्द्र	Mailani Telephone Exchange, U. P.	32—33
6842.	विदेशी पंजीकरण अधि-नियम, 1939 के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिक तथा मिश-नरी	Foreign Nationals and Missionaries registered under Foreigners' Registration Act, 1939	33—34
6843.	प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के लिये भर्ती संबंधी नियमों को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना	Finalisation of Recruitment Rules for Staff of Enforcement Directorate	34—35
6844.	पंचवर्षीय योजनाओं के विज्ञापन के बारे में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा शुरू किया गया अध्ययन	Study Undertaken by Directorate of Advertising and Visual Publicity Re: Advertisements on Five Year Plan	35
6845.	फैशन के वस्त्रों का निर्यात	Export of Fashion Garments	35—36
6846.	बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रकाशन के लिये रजिस्टर हुए दैनिक साप्ताहिक आदि पत्रिकाएं	Dailies, Weeklies etc. Registered for Publication in Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6847.	पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों की नई नीति से भारत को लाभ	Benefit to India by New Policy of West German Industrialists	37
6848.	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों तथा वहां काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं की जाँच के लिये नियुक्त समिति की रिपोर्ट	Report of Committee Appointed to Examine Problems of People and Employees in Border Areas of Punjab	37—38
6849.	आसाम में पोस्टल स्टेशनरी की कमी	Shortage of Postal Stationery in Assam	38
6850.	संकटग्रस्त मिलों के मजदूरों को बोनस प्रदान करना	Grant of Bonus to Labourers of Sick Mills	38—39
6851.	पश्चिम बंगाल में पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से छीनी गयी बन्दूकें तथा आग्नेयास्त्र	Guns and Fire Arms snatched away from Police and other Government officers in West Bengal	39
6852.	आसाम में पाक राष्ट्रिकों तथा घुसपैठियों का प्रवेश	Entry of Pak. Nationals and Infiltrators in Assam	39—40
6853.	जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहायता	U. N. Assistance for Non-Power training Programme	40
6854.	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Delhi Administration	40—41
6855.	टनुकू (आंध्र प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र के लिये किराये पर इमारत	Building on rent for Telephone Exchange at Tanuku (Andhra Pradesh)	41
6856.	राजरत्न टैक्सटाइल मिल्स आफ पैटलाड की श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल्स को हस्तांतरण	Transfer of Raj Ratna Textile Mills of Petlad to Shri Varjesh Textile Mills	42
6857.	राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के शाखा-सचिवालयों का खोला जाना	Opening of Branch Secretariats of various Central Ministries of State	42—44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6858.	दिल्ली के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति	Promotion of Vice Principals in Delhi Schools	44
6859.	विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कलकत्ता की दो फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देना	Recognition of two Calcutta Firms as Export Houses despite violation of Foreign Exchange Rules	44—45
6860.	मद्रास पुलिस सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के कोटे के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें	Reimbursement of Medical Expenses for Promotion of M. P. S. and I. P. S. Officers	45
6861.	मद्रास पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति	Promotion of Madras Police Service Officers	45—46
6862.	बड़ा डाकघर कड़प्पा आंध्र प्रदेश	Head Post Office, Cuddapah, Andhra Pradesh	46
6863.	बम्बई, मद्रास रूट के टेलीफोन सर्किट की क्षमता	Telephone Circuit Capacity of Bombay Madras Route	46—47
6864.	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की वापसी	Reimbursement of Medical Expenses to P and T Employees	47
6865.	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में हुए पत्रकार सम्मेलन में पश्चिम बंगाल प्रशासन के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges levelled against West Bengal Administration in a Press Conference at Durgapur, West Bengal	48
6866.	विश्व युवक केन्द्र को वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के माध्यम से सी०आई०ए० के धन की प्राप्ति	Financial and other help to Vishwa Yuvak Kendra	48—49
6867.	विघटन तथा विचारधाराओं में विभेद के बारे में सम्मेलन	Convention on Disintegration and Devaluation of Ideologies	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6868.	राजेन्द्र कालेज, छपरा, बिहार के प्रिंसिपल की हत्या की जांच	Inquiry into the Murder of the Principal of Rajendra College Chapra, in Bihar	50
6869.	श्री कामेश्वर सिंह महाराजाधिराज दरभंगा की मृत्यु के बारे में सन्देह	Suspicion about the death of Shri Kameshwar Singh, Maharaja Dhiraj of Darbhanga	50
6870.	उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में कुछ गांवों के हरिजन परिवारों की शिकायतों की जांच	Inquiry into Grievances of Harijan Families of certain villages in Bulandshahr District of Uttar Pradesh	50—51
6871.	मैसूर के राज्यपाल के विरुद्ध शिकायतें	Grievances against Mysore Governor	51
6872.	राज्यपालों पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Governors	51
6873.	मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Bastar District in Madhya Pradesh	51—52
6874.	दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियो के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Employees of Municipal Corporation of Delhi	52
6875.	रक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Central Executive Authorities for filling up Reserved Vacancies	52—54
6876.	केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति	Central Press Accreditation Committee	54
6877.	प्रजापतियों की मांगें	Demands made by Prajapatis	54
6878.	बिहार में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita income in Bihar	54—55
6879.	पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदा ज़िलों के विकास के लिए वित्त सम्बन्धी रियायत	Financial Concession for the Development of District of Cooch Behar and Maldah in West Bengal	55
6880.	भारतीय इन्जीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों को विदेशों से वापिस बुलाना	Recall of Indian Engineers, Scientists and Doctors from abroad	55—57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6881.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा मद्रास में छापे	Raids by Central Excise Department in Madras	57
6882.	संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच व्यापार के लिये संयुक्त अरब गणराज्य को दी गई राशि का लौटाया जाना	Repayment of Amounts Advanced to UAR to Facilities Trade between UAR and India	57
6883.	भारतीय सीमा के अन्दर पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना	Pak Firing into Indian Border	57—58
6884.	नेपाल द्वारा भारत से इमारती लकड़ी का आयात	Import of Timber by Nepal from India	58
6885.	दिल्ली में और अधिक सायरन लगाने की व्यवस्था करना	Setting up of more Sirens in Delhi	58
6886.	पश्चिम बंगाल में मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते	Salaries and Allowances received by Ministers in West Bengal	59
6887.	गुजरात में कपड़ा मिलों के अचानक बन्द हो जाने के बारे में राज्यपाल की चेतावनी	Governor's warning on Sudden Closure of Textile Mills in Gujarat	59
6888.	पश्चिम बंगाल में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना	Separation of Judiciary from Executive in West Bengal	59—60
6889.	भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशिष्ट विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन	Amendment in the Constitution to abolish Special Privileges of ICS Officers	60
6890.	मनीपुर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाना	Separation of Judiciary from Executive in Manipur	60
6891.	मनीपुर में करघों की गणना	Census of looms in Manipur	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6892.	उपकरण खरीदने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to Handloom Weavers for Purchasing Equipments	61
6893.	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना	Deployment of Central Industrial Security Force in Public Sector Industries	62—63
6894.	बिहार में पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas in Bihar	63
6895.	मैसूर राज्य के तुमकुर जिले का विकास	Development of Tumkur District of Mysore State	63—64
6896.	सिनेमा घरों के लिये अपेक्षित आयातित रोटेटिंग कारबनों की कमी	Shortage of Imported Rotating Carbons required by Cinema Houses	64
6897.	उत्तर पूर्व परिषद् की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for Formation of North-Eastern Council	64—65
6898.	मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा राज्यों में पृथक झंडा लगाये जाने की मांग के बारे में निर्णय	Decision on Demand for Separate Standards to be flown by Chief Minister and other Ministers in States	65
6899.	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के लिये निगम	Corporation for PTI	65
6900.	तेलंगाना का विकास	Development of Telengana	65
6901.	मंत्रियों द्वारा दी गई स्थानीय और ट्रंक कालों पर हुआ व्यय	Expenditure on Local and Trunk Calls by Ministers	66
6902.	नेफा क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalities Activities in NEFA Area	66
6903.	नेफा में संचार व्यवस्था	Communications in NEFA	66—67
6904.	बंगला देश में सैनिक अत्याचार पर वृत्त चित्र	Documentaries on Army Atrocities in Bangla Desh	67
6905.	औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत सूती कपड़ा मिलों की जाँच	Investigation of Textile Mills under Industrial (Development and Regulations) Act	67—68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6906.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें	Demands of AIR Staff Artistes	68
6907.	राष्ट्रीय एकता के बारे में सीमांत क्षेत्रों में प्रचार	Publicity in Border Areas Re. National Integrity	69
6908.	नौगांग जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण की गई गिरफ्तारियां	Arrests made for Anti-National Activities in Nowgong District	69
6909.	फैशन के वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि	Rise in Export of Fashion Garments	69—70
6910.	राजभवनों के विलास पर अत्यधिक व्यय	Luxurious spending in Raj Bhavans	70
691'.	सदस्यों द्वारा बंगला देश के मामले में साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने में अन्तर्ग्रस्त साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग	Ban Sought by M. Ps. on Communal Parties involved in Communal passion on Bangla Desh issue	70
6912.	पट्टिकाट डाकघर, त्रिचूर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices at Pattikatt Post Office, Trichur	71
6913.	मैसूर राज्य में कावेरी सेना की गतिविधियां	Activities of 'Cauvery Sena' in Mysore State	71
(914.	केरल में काजू के कारखानों का राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना	Take over of Cashew Factories in Kerala by State Government	71—72
6915	हथकरघा उद्योग में बेरोजगारी	Unemployment in Handloom Industry	72
6916.	वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत	Criteria for Fixation of Seniority	72—73
6917.	विदेशों में राम चरित मानस का प्रचार	Propogation of Ram Charit Manas Abroad	73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6918.	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम को अमान्य ठहराने के बारे में केरल विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव	Resolution Re. Invalidation of Maintenance of Internal Security Act passed by Kerala Assembly	73
6919.	टेलीफोन उपकरण कारखाना, नैनी	Telephone Instruments Factory, Naini	74
6921.	नारियल जटा से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक करार के लिए रूस के व्यापारिक प्रतिनिधि-मंडल का भारत का दौरा	Visit by USSR Trade Delegation to India for Trade Agreements on Coir Goods	74
6922.	कलकत्ता टेलीफोन्स के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Calcutta Telephones	74—75
6923.	कलकत्ता तथा बम्बई में नये टेलीफोनों के लिये आवेदन पत्र	Applications for New Telephones in Calcutta and Bombay	75—76
6924.	लाटरी प्रणाली को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to abolish Lottery System	76
6925.	पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी	Dismissal of Police Personnel in West Bengal	76
6926.	आरामबाग, पश्चिम बंगाल में संचार व्यवस्था में बाधा पड़ना	Hampering of Communication in Arambagh (West Bengal)	76
6927.	पश्चिम बंगाल में पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और गुंडों द्वारा मारे गये व्यक्ति	Persons killed by Police, C. R. P. and Goonda Elements in West Bengal	77
6928.	भारतीय यूरेनियम निगम के प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध आरोप	Allegation against Managing Director of Uranium Corporation of India	77
6929.	सेरामपुर टेलीफोन केन्द्र	Serampore Telephone Exchange	77
6930.	लुधियाना जिला (पंजाब) में ककराल कलां के एक प्रीतम दास नाम के व्यक्ति का लापता हो जाना	Disappearance of one Pritam Das of Kakral Kalan in Ludhiana District (Punjab)	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6931.	पश्चिम बंगाल में सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Army in West Bengal	78
6932.	गढ़वाल को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करना	Declaration of Garhwal as Backward District	78—79
6933.	पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Members of Punjab Subordinate Services Selection Board	79—80
6934.	एडवर्ड सूती मिल्स, ब्यावर का पुनः खोला जाना	Reopening of Edward Cotton Mills Beawar	80
6935.	अराजपत्रित कर्मचारियों के 'कान्फिडेंशल रिपोर्ट' लिखे जाने की प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of System of Writing Confidential Reports of Non-Gazetted Employees	80
6936.	बिहार में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Bihar	81
6937.	पटना में 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में कैम्प तार कार्यालय	Camp Telegarh Office at AICC Meeting, Patna in 1969	81
6938.	कूच बिहार में काटन स्पिनिंग मिल	Cotton Spining Mill in Cooch Behar	82
6939.	छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने सम्बन्धी सरकार की नीति	Government Policy to Help Small Newspapers	82
6940.	राजनीतिक कारणों के लिये गिरफ्तार किये गये बंदी	Prisoners Arrested for Political Reasons	83
6941.	मध्य प्रदेश के दैनिक समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज का दुरुपयोग	Misuse of Newsprint by Madhya Pradesh Dailies	83—84
6942.	इंदौर के टेलीफोन ऐक्सचेंज में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Indore Telephone Exchanges	84
6943.	मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा 'मजल लोडिंग' बन्दूकों के लाइसेंस समाप्त करने के सम्बन्ध में पारित संकल्प	Resolution Re. Delicensing of Muzzle Loading Guns Passed by Madhya Pradesh Legislative Assembly	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6944.	पंजाब में भूतपूर्व अकाली सरकार द्वारा अधिकारियों का स्थानांतरण	Transfer of Officers by Former Akali Government in Punjab	85
6945.	सिले सिलाये वस्त्रों का उत्पादन	Production of Ready Made Garments	85
6946.	केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence in Hindi between Central Government and Delhi Administration	85—87
6947.	पश्चिम बंगाल में मामलों सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल की स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	Alleged Submission of Report on West Bengal Situation by Central Minister for West Bengal Affairs	87
6948.	मैसूर राज्य के काफी उद्योग का विकास	Development of Coffee Industry in Mysore State	87
6949.	पीपल्स कालेज हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश) में जासूसी गतिविधियां	Espionage Activities in People's College, Haldwani (U. P.)	87-88
6950.	राष्ट्रपति भवन और राज-भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज का फहराना	Hoisting of National Flag over Rashtrapati Bhavan and Raj Bhavan	88
6951.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कल्याण समिति के कार्य-करण के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Working of Welfare Society in Ramakrishna Puram, New Delhi	88
6952.	इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का निर्धारित समय से पूर्व सेवा निवृत्ति किया जाना	Premature Retirement of ICS Officer	88—89
6953.	पश्चिम बंगाल में जलाये गये डाकघर	Post Offices Burnt in West Bengal	89
6954.	मौगंज को बाहरी टेलीफोन/टेलीग्राफ लाइन से जोड़ना	Connection of Mauganj with outer Telephone Telegraph Lines	89
6955.	अम्बिकापुर में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station at Ambikapur	89—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6956.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के आवास के लिये इस्पात के बने बनाये मकान	Pre-Fabricated Steel Huts for Accommodating CRP Personnel	90
6957.	इन्दौर में सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System at Indore	91
6958.	देश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in the Country	91
6959.	भारत नेपाल व्यापार करार	Indo Nepal Trade Agreement	91
6961.	राज्यों के बीच सीमा विवाद	Boundary Disputes between States	91—92
6962.	मदुराई और सलेम में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Stations at Madurai and Salem	92
6963.	सम्बलपुर में बेकार पड़े टेलीफोन	Telephones out of order in Sambalpur	92—93
6964.	मुजफ्फरपुर और छपरा (बिहार) में तारघरों का ठीक प्रकार से काम न करना	Mal Functioning of Telegraph Offices at Muzaffarpur and Chhapra (Bihar)	93
6965.	डाक तथा तार कर्मचारियों की अपीलों तथा अभ्यावेदनों पर निर्णय किये जाने के लिए समय सीमा	Time Limit for Disposal of Appeals and Representating of P and T Employees	93
6967.	कच्चे जूट के लिये मूल्य समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि	Price Support Operations Re. Raw Jute	94
6968.	केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा	Central Secretariat Stenographers Service	94
6969.	माइक्रोवेव पद्धति के संबंध में भारत कनाडा करार	Indo-Canadian Agreement on Microwave System	95
6970.	विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों को बचत प्रमाण-पत्रों का कार्य करने की शक्ति दिया जाना	Extra Departmental Branch Post Masters Empowered to Work on Saving Certificates	95—96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6971.	राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ का व्यापार	Rubber Deal by STC	96
6972.	सतर्कता सम्बन्धी मामलों की जांच पूरी करने के लिये समय सीमा	Time Limit for Completion of Investigation of Vigilance Cases	96
6973.	दिल्ली पुलिस के इन्सपेक्टरों की पदोन्नति	Promotion of Inspectors in Delhi Police	96—97
6974.	लट्ठे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Long Cloth	97
6975.	गोवा, दमन और दीव के कर्मचारियों की पेंशन	Grant of Pension to Employees in Goa, Daman and Diu	97—98
6976.	सिविल सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation of ARC Re. Setting up of Civil Service Tribunals	98
6977.	खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा सामग्री की वास्तविक सुपुर्दगी के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of ARC Recommendations Re. Physical Delivery of Materials by M.M.T.C.	98
6978.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोवा पत्तन के रास्ते खनिज अयस्कों का निर्यात व्यापार	Export of Mineral Ores from Goa through MMTC	99
6979.	पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ को मान्यता देने की मांग	Demand for Recognition of Punjab Subordinate Services Federation	99
6980.	केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय के एक अधिकारी का घेराव	Gherao of an Officer of A. G. C. R.	99—100
6981.	चण्डीगढ़ के गुलाब के फूलों के बाग से गुलाब का निर्यात	Export of Roses from Chandigarh Rose Garden	100—101
6982.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा निवृत अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Retired Officers in Public Sector Undertakings	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6983.	तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों में से श्रेणी एक और दो के रिक्त स्थानों के भरे जाने सम्बन्धी योजना	Scheme for Filling up Class I and II Vacancies from amongst Class III Employees	101—102
6984	व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पेशकश करने वाले देश	Offers from Countries for expanding Trade and Economic Cooperation	102—103
6985.	विदेशों में विदेश व्यापार की आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारी	Staff Required to Serve in Foreign Countries for Foreign Trade Requirements	103
6986.	साम्प्रदायिक और जातिगत तनाव कम करने और मित्रतापूर्ण रहन सहन के लिए प्रचार माध्यम के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion on Role of Mass Media for Reducing Communal and Ethnical Tensions and Promoting Harmonious Living	103—104
6987.	रूई की आयात के लिए करार	Agreements for Import of Cotton	104
6988.	पश्चिम बंगाल में पुलिस तथा सेना द्वारा गोली चलाया जाना	Police and Military Firing in West Bengal	105
6989.	केरल के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना को विस्तृत बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Enlargement of Fourth Five Year Plan for Kerala	105
6990.	केरल के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन	Government Advertisements in Kerala News Papers	105—107
6991.	केरल में तार तथा टेलीफोन की सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities in Kerala	107—108
6992.	अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हित के लिए भारत द्वारा उपग्रहों का उपयोग	Use of Satellites by India for Benefit of International Community	108—109
6993.	नेलौर, आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरी कोटा राकेट लांचिग स्टेशन में नियुक्त कर्मचारी	Persons Employed in Sri Harikota Rocket Launching Station, Nellore (Andhra Pradesh)	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6994.	80 तथा 100 काऊन्टों वाले अट्टी सूत (हैंक यार्न) पर उत्पादन शुल्क में छूट	Exemption of Excise Duty on Hank Yarn of 80s and 100s Counts	110
6995.	नेताजी जाँच आयोगों पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Netaji Inquiry Commissions	111
6996.	राज्यपालों के लिए मार्गदर्शी निर्देश	Guidelines for Governors	111
6997.	भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार करार का नवीकरण	Renewal of Indo-UAR Trade Agreement	111—112
6998.	फाजिल्का क्षेत्र को पंजाब में रहने देने की मांग के बारे में पंजाब कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव	Resolution Passed by Punjab Congress Committee Demanding Continuation of Fazilka Area in Punjab	112
6999.	राज्य व्यापार निगम के द्वारा रबड़ की खरीद और बिक्री	Purchase and Sale of Rubber through S. T. C.	112—113
7000.	अलप्पी में मीडियम वेव का नया ट्रांसमीटर खोला जाना	Opening of New Medium Wave Transmitter at Allepy	113
7001.	कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Workers in Atomic Power Station, Kota	113—115
7002.	राजकोट में मीडियम वेव का ट्रांसमीटर	Medium Wave Transmitter at Rajkot	115
7003.	पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाये जाने के कारण सीमा सुरक्षा दल के हताहत हुए कर्मचारी	B. S. F. Personnel Killed and Injured by Pak. Firing	115—116
7004.	वरिष्ठ विश्लेषकों के पदों के लिये एक पैनल बनाने हेतु अनुभाग अधिकारियों से साक्षात्कार	Interview of Section Officers for Drawing a Panel for Senior Analysts Posts	116—117

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
7005.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृति	Retirement of Central Government Employees	117
7006.	भूतपूर्व अकाली मंत्रियों के विरुद्ध जांच कराने के लिए पंजाब के भूतपूर्व जन सम्पर्क मंत्री द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum Submitted by Former Public Relations Minister of Punjab Demanding an Inquiry against former Akali Ministers	117—118
7007.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा नई दिल्ली में पश्चिम जर्मनी के एक डाक्टर को पीटा जाना	Alleged beating of a West German Doctor in New Delhi by CRP Men	118
7008.	दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी	Dismissal of Police Personnel in Delhi	118—119
7009.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षायें	Examinations Conducted by UPSC	119
	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention (Query)	119—120
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	120—121
	सदस्य की दोषसिद्धि	Conviction of Member	121
	(श्री ईश्वर चौधरी)	(Shri Ishwar Chaudhry)	121
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	121—122
	सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	121—122
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sitting of the House	122
	तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	122
	शेख मुजीबुर्रहमान को फांसी देने सम्बन्धी पाकिस्तान के सैनिक शासन की धमकी के बारे में	Re. Pak Military Regime's threat to Execute Sheikh Mujibur Rahman	122—123
	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Recommendations of Central Land Reforms Committee	124—125
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	124—125
	संविधान (24वां संशोधन) विधेयक 1971	Constitution (Twenty Fourth Amendment) Bill, 1971	125—62

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	125
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	125—127
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya	127—128
श्री कृष्णन मनोहरन	Shri K. Manoharan	128—130
श्री मोहन कुमारमंगलम	Shri Mohan Kumaramangalam	130—134
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	134—135
डा० हेनरी ग्रास्टिन	Dr. Henry Austin	135
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	136—137
श्री भगवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	137
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	137—139
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	139—140
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	140—142
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	142—143
श्री मोहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	143
श्री एच० ग्रार० गोखले	Shri H. R. Gokhale	143—146
खंड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	146
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	146—158
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukherjee	158
श्री कादर	Shri Kadar	158—159
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	159
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	160
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	160—161
श्री एच० ग्रार० गोखले	Shri H. R. Gokhale	161—162

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 4 अगस्त, 1971/13 श्रावण, 1893 (शक)
Wednesday, August 4, 1971/Sravana 13, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बंगलौर से भारत के अन्य नगरों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

*1561. **श्री के० लकप्पा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर से भारत के विभिन्न नगरों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन सम्पर्क स्थापित करने के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन नगरों के नाम क्या हैं जिनके साथ वर्ष 1971-72 के दौरान डायल घुमाकर बंगलौर से सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, बंगलौर का मद्रास के ट्रंक आटो-एक्सचेंज से सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और इसके जरिये बंगलौर से मद्रास और कोयम्बटूर के लिए सीधे डायल करने की सुविधा उपलब्ध है। बंगलौर से दक्षिणी क्षेत्र के अन्य स्थानों अर्थात मदुरै, तिरुची, एर्नाकुलम, कोट्टायम और त्रिचुर के लिये सीधे डायल करने की सुविधा चौथी योजना के अन्त तक या पाचवीं योजना के शुरू में प्राप्त हो जाएगी। आशा है कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के ट्रंक आटो-एक्सचेंजों से जुड़े हुये स्थानों को सीधे डायल करने की सुविधा पाचवीं योजना समाप्त होने से पहले उपलब्ध हो जाएगी।

(ख) 1971-72 के दौरान बंगलौर से किसी भी मार्ग पर सीधे डायल करने की सुविधा देना शायद संभव नहीं हो सकेगा।

श्री के० लकप्पा : दक्षिणी राज्यों में बढ़ते हुये व्यापार को देखते हुए, क्या मैं यह जान

सकता हूं कि भारत सरकार और डाकतार विभाग ने बंगलौर और दक्षिण के अन्य वाणिज्यिक नगरों के बीच डायल करके सीधे-टेलीफोन करने की व्यवस्था क्यों नहीं की है जबकि इससे केवल संचार माध्यम सुविधा ही नहीं मिलेगी वरन् इससे देश की आर्थिक उन्नति भी होगी ? देश के दक्षिणी राज्यों के प्रमुख नगरों से कम से कम बंगलौर को मिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? सरकार ने इस कार्यक्रम को आरम्भ क्यों नहीं लिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं बता चुका हूं कि बंगलौर और मद्रास के बीच टेलीफोन की सीधी व्यवस्था है और मद्रास के द्वारा दक्षिण के अन्य कई नगरों से बंगलौर का सम्पर्क है। हमारे पास ज्यों ही वित्त उपलब्ध हुआ और मशीनें पहुँचीं हमारा विचार बंगलौर को त्रिचूर और मद्रास से मिलाने का ही नहीं है वरन् हमारा प्रस्ताव उसे एरणाकुलम केन्द्र से सम्बंधित सभी स्थानों को उससे मिलाने का है। यह हमारे कार्यक्रम में है पर इसमें निश्चय ही कुछ समय लगेगा।

श्री के० लकप्पा : यह इस मंत्रालय का सौतेले व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कानपुर तथा अन्य चारों ओर के राज्यों के नगरों के लिए डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कर दी गई है। परन्तु अभी तक दक्षिण भारत के बंगलौर जैसे नगर को महत्वपूर्ण राजधानी नगरों जैसे बम्बई, दिल्ली, और कलकत्ता तथा केरल के अन्य स्थानों से नहीं मिलाया गया है। अतः क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव बरता है और इस प्रकार संचार साधनों के अभाव में उन्होंने दक्षिणी राज्यों की आर्थिक स्थिति को उन्नत नहीं किया है तथा इस कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में व्यापार में कमी आ गई है और यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए तत्काल क्या उपाय कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जैसी कि श्री लकप्पा ने कहा है।

श्री के० लकप्पा : दक्षिणी राज्यों की उपेक्षा की गई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : भारत सरकार दक्षिण उत्तर, पूर्व और पश्चिम, देश के सभी क्षेत्रों की मांग के प्रति जागरूक है। वह डाक तार विभाग को उपलब्ध धन राशि को सभी क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार बांटने का प्रयत्न कर रही है। यह एक बड़ा देश है और एक जगह से दूसरी जगह को मिलाने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर अन्तर होना अनिवार्य है। जब भी धन उपलब्ध होगा बंगलौर की ओर उपयुक्त ध्यान दिया जायेगा। हम इसे एक ऐतिहासिक स्थान मानते हैं। इसके प्रति हमारा लगाव होना अनिवार्य है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या डायल करके सीधे टेलीफोन की व्यवस्था स्थापित करने में विलम्ब सामग्री न मिलने के कारण है ? मैंने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि मद्रास और मदुराई के बीच डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था उपकरण न मिलने के कारण नहीं की जा रही है। इसका क्या कारण है और सरकार उसे किस प्रकार हल करने जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमने श्री लकप्पा के क्षेत्र बंगलौर में इन सब उपकरणों का निर्माण करने के लिये एक कारखाना स्थापित किया है वहां तीन पालियों में 10,000 कर्म-

चारी काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से क्रोस बार एक्सचेंज का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के 40 प्रतिशत के बराबर ही होता है। हम शत प्रतिशत क्षमता तक उत्पादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ज्यों ही हम ऐसा करने में सफल हो जायेंगे क्रोसबार एक्सचेंज की कमी समाप्त हो जायेगी।

श्री के० रामाकृष्णा रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश के मुख्यालय हैदराबाद को दिल्ली से डायल करके सीधे टेलीफोन से जोड़ने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे खेद है इसके लिए माननीय सदस्य को योजना के अन्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री के० एम० चावडा : क्या मैं गुजरात की राजधानी गांधी नगर के बारे में पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : जहां कहीं भी सीधे डायल कर टेलीफोन करने की व्यवस्था है हमें प्रतिदिन यही उत्तर मिलता है कि लाइन खराब है। इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न खराबियों के सम्बन्ध में नहीं है। उन्हें इस तरह सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना

+

*1562. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री पी० गंगा रेड्डी :**
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या **प्रधान मन्त्री** भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिये आयु-सीमा बढ़ाये जाने के बारे में 26 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु-सीमा को बढ़ाकर 26 वर्ष करने सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर अब कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री राम निवास मिर्धा : यह दोनों भागों का उत्तर है। जैसा कि मैंने बताया प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हमें उन

विभिन्न राज्य सरकारों और मन्त्रालयों से परामर्श करना पड़ता है जिनके लिये भरती की जानी है। इनमें से अधिकतर सिफारिशों के लिए हमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भी अभी परामर्श किया जा रहा है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस सम्बन्ध में यथासम्भव शीघ्रता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे भाग (ख) के उत्तर के रूप में लेता हूं।

क्या सरकार, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई इस सिफारिश को सिद्धान्ततः अच्छा समझती है कि मिश्रित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा उपरोक्त सेवाओं में प्रवेश के लिए उन व्यक्तियों को अवसर दिए जाने चाहिए, जिन्होंने स्नातक बनने के बाद अनुसन्धान पाठ्यक्रम आरम्भ किया है अथवा इन्जीनियरिंग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विशेष अध्ययन किया है।

श्री राम निवास मिर्धा : इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश कुछ तथ्यों के आधार पर की थी, जिनमें से कुछ का उल्लेख माननीय मित्र ने किया है। परन्तु इसका एक और भी पहलू है, जिसके अनुसार यह अधिक अच्छा है कि सरकारी सेवा में कम उम्र में भरती की जाये और उन्हें लम्बा प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि वे सरकारी सेवा के लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकें, पर जैसा कि मैंने बताया सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है तथा हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर अच्छी तरह और गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में उम्र को बढ़ा कर 24 से 26 कर दिया है, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं तत्काल उन राज्यों के नाम नहीं बता सकता परन्तु दो या तीन राज्यों ने आयु की अधिकतम सीमा 26 वर्ष कर दी है।

Shri Hemendra Singh Banera : May I know whether Government have accepted this recommendation in principle ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The question of accepting it in principle does not arise because we are still considering whether to accept it or not. We have to consult various ministries. Therefore, it will take some more time. We will try to reach at a decision at an early date.

श्री गंगा रेड्डी : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिश की है तथा उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : वर्तमान नियमों के अनुसार भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अभी भी अधिक उम्र तक प्रार्थना पत्र भेजने की सुविधा प्राप्त है। और मैं सोचता हूं कि यदि आयु सीमा बढ़ाई गई तब भी इस अन्तर को रखने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री वयालार रवि : बेरोजगार लोगों के लिये रोजगार की अत्यन्त कमी के कारण वर्तमान आयु सीमा दण्ड स्वरूप है क्योंकि उन्हें इससे पहले नौकरी मिलनी चाहिये। क्या सरकार

का विचार, जैसा कि केरल सरकार ने किया है, सरकारी नौकरी पाने के लिए ग्रायु सीमा को बढ़ा कर 30 वर्ष करने का है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ग्रायु सीमा बढ़ाने मात्र से बेरोजगारी की समस्या कैसे हल हो जायेगी जबकि इसका समाधान ग्रायु सीमा से नहीं वरन् सरकारी नौकरी में कितने लोग लिये जाने हैं, इससे होगा । जब ग्रधिक लोग परीक्षा देने के ग्रधिकारी हो जायेंगे, तो यह निश्चय कुछ सीमा तक हमारे युवकों के लिये लाभकारी होगा ।

श्री सोम सुन्दरम् : क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी परीक्षाग्रों के सम्बन्ध में राज्यों ग्रौर केन्द्र की ग्रायु सीमा में ग्रन्तर है । यदि हाँ, तो सरकारी परीक्षाग्रों ग्रौर छंटनी के सम्बन्ध में राज्यों ग्रौर केन्द्र में सरकारें एक ही नीति क्यों नही अपनाती ?

श्री राम निवास मिर्धा : छंटनी के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बता सकता । पर जहां तक सरकारी सेवा में ग्राने की ग्रायु सीमा का प्रश्न है, यह सच है कि कुछ सेवाओं में थोड़ा ग्रन्तर है। उदाहरणत: ग्राई०पी०एस० ग्रौर ग्राई०ए०एस में ग्रायु सीमा अलग ग्रलग है । ये नाम मात्र के ग्रन्तर की सेवाओं की आवश्यकताग्रों के कारण ग्रनुमति है ।

श्री पी० गंगा देव : क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : वह बहुत विस्तार में जा रहे हैं ।

Shri R. V. Bade : The hon. Minister has said that they have writtern to the states. May I know the names of the states who have not sent their reply so far as also the Member of states who have not replied sofar ? Is that one of the reasons of delay ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Receipt and non receipt of replies from the states is not the sole reasons of this delay. We have to consult other ministries also. The consultation is going on and this all process will take some time. I hope that a decision will be arrived at very soon.

परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्मों के लिए पुरस्कार

*1563. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार नियोजन सम्बन्धी फिल्मों को हाल ही में कोई पुरस्कार दिये गये थे ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) परिवार नियोजन पर फिल्मों के लिये पुरस्कार परिवार नियोजन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित किये गये हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—820/71]

श्री मुहम्मद शरीफ : इन चित्रों के चयन और श्रेणीकरण के लिये सिफारिशें देने की कसौटी क्या थी ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : परिवार नियोजन से सम्बन्धित चित्रों को बनाने का उद्देश्य ही लोगों में परिवार नियोजन का प्रचार करना होता है और इन्हें पुरस्कार देने का उद्देश्य भी यही होता है । अतः रूपक चित्रों, वृत चित्रों और लघु चित्रों की समीक्षा के लिये एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं।

श्री मुहम्मद शरीफ : मैंने इन चित्रों के चयन और श्रेणीकरण से सम्बन्धित कसौटी के बारे में प्रश्न पूछा था ।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : पहले इन चित्रों का सैंसर किया जाता है । इसके बाद उन्हें सरकट पर रिलीज किया जाता है और केवल इसके बाद ही उन्हें पुरस्कार प्रतियोगिता में स्थान दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : इनके प्रश्न का सम्बन्ध चित्रों के चयन की कसौटी से है ।

परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य पुरस्कारों के चयन की कसौटी जानना चाहते हैं । यह स्पष्ट है कि प्रथमतः तो चित्र अच्छा होना चाहिए और दूसरी बात यह कि जो लोग भी इसे देखें उनपर इसका अच्छा प्रभाव पड़े । यही कसौटी है ।

श्री मुहम्मद शरीफ : विवरण से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत से पुरस्कार के लिए केवल एक ही मलयालम चित्र का चयन किया गया है । क्या दक्षिण भारत के तमिल, तेलेगु, मलयालम और कन्नड़ चित्रों की भी इस सम्बन्ध में उचित प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : निःसन्देह, किसी भी चित्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । जैसाकि प्रधान मंत्री ने कहा जो भी चित्र अच्छा प्रभाव डालने में सफल होता है, उसी पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय ने कहा कि दक्षिण भारत के चित्रों के साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता । क्योंकि मंत्रालय ने किसी भी दक्षिण भारत के चित्र को पुरस्कृत नहीं किया है अतः इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि कुछ-न-कुछ भेदभाव अवश्य बरता जाता है । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार दक्षिण भारत के परिवार नियोजन सम्बन्धी चित्रों को प्रोत्साहित करने से कोई रुचि लेगी या नहीं । दक्षिण भारत की जनसंख्या भी तो काफी अधिक है ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस क्षेत्र में कई दक्षिण भारत के चित्र आ रहे हैं । इस बार भी छः वृत चित्रों पर विचार किया गया था । इन चित्रों में से एक मलयालम, एक मराठी, एक कन्नड़, एक पंजाबी और दो हिन्दी चित्र थे ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Just now it has been stated that the purpose of these films is to propagate the idea of family planning. The family planning propagenda is carried out by slogans and articles in the press. All this is being done to make family

planning a success. But is any attention paid towards the people who work against family planning ? May I know whether any action is taken against the people who raise anti-family planning slogans ?

Shrimati Nandini Satpathy : The main question relates to films on family planning, so the question of taking any action against such slogans does not arise.

Shri Hukam Chand Kachwai : What action do you propose to take against the people who work against your objectives ?

Mr. Speaker : The main question relates to the films on family planning.

Shrimati Indira Gandhi : Many members belonging to the party of hon. Member, are sitting there. If they all start an agitation, that can be of some effect.

केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के बारे में दिल्ली में हुआ सम्मेलन

*1564. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना पर विचार-विमर्श करने के लिये दिल्ली में हाल ही में कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये थे ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० चार्ज) : (क) तथा (ख). कयर उद्योग की समस्याओं और केरल की कयर सहकारी समितियों को फिर से गठित करने और इस प्रयोजन के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में दिल्ली में एक बैठक की गई थी। इस मामले की सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ परामर्श करके और आगे जांच की जा रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार द्वारा नारियल उद्योग के पुनर्गठन की कोई योजना भेजी गई थी और क्या इस योजना का परीक्षण योजना आयोग के अध्ययन दल द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा भेजी गई योजना क्या थी और योजना आयोग के अध्ययन दल ने क्या योजना भेजी थी और बैठक में जो निर्णय किया गया था वह केरल राज्य की मांग या योजना आयोग की सिफारिशों के किसे सीमा तक अनुरूप था ?

श्री ए० सी० जार्ज : कुछ समय पूर्व केरल सरकार ने नारियल उद्योग के विकास और पुनर्गठन के लिये 15.57 करोड़ रुपये की लागत की एक विस्तृत योजना भेजी थी और राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि इस योजना का सारा खर्च केन्द्र द्वारा पूरा किया जायेगा। योजना आयोग ने इस योजना का परीक्षण कर, इसके लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया। इस अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि यद्यपि राज्य सरकार ने इस योजना की लागत 15.57 करोड़ रुपये लगाई है, परन्तु यह योजना 6.99 करोड़ रुपये से क्रियान्वित की जा सकती है। इस का कारण यह है कि राज्य सरकार ने इस योजना को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले बनाया

था और अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि कार्यगत पूंजी, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हो जायेगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में हुई बैठक में जो निर्णय किया गया था क्या वह योजना आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और यदि हां, तो क्या सरकार योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार नारियल उद्योग के लिये वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि जो सहकारी समितियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिये और आर्थिक दृष्टि से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिश पर केरल सरकार के प्रतिनिधि का कहना था कि वहां यह परम्परागत त्रुटि चली आ रही है कि बैंक कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण वर्तमान सहकारी समितियों को ऋण नहीं देते । हमने इस कठिनाई का फिर अध्ययन किया और अब हम इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि केरल 25 प्रतिशत अच्छी सहकारी समितियों का ही परीक्षण कर लिया जाये तो हम वित्तीय संस्थाओं से वित्त जुटाने में उनकी सहायना कर सकते हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या इस सम्मेलन में निर्यात कर्त्ताओं और छोटे उत्पादकों के मध्य चल रहे विवाद के बारे में भी कोई चर्चा हुई थी क्योंकि आज इस विवाद के कारण वहां बहुत से कारखाने बन्द पड़े हैं और यदि हां, तो इन छोटे कारखानों को पुन: चालू करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह ठीक है कि इस उद्योग में बिचोलियों द्वारा बहुत अधिक शोषण किया जा रहा है । वास्तव में निर्यातकर्ताओं और उत्पादकों से जो धन प्राप्त किया जाता है वह कातने का काम करने वाले मजदूरों को नहीं दिया जाता । यह समस्या सरकारी प्रतिनिधि द्वारा भी उठाई गई थी और मैं समझता हूं कि केवल सहकारिता को सशक्त बना कर ही इस का समाधान किया जा सकता है ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि नारियल उद्योग से केरल के तटीय और नहरी क्षेत्र के लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख व्यक्तियों की जीविका प्राप्त होती है और साथ ही इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि केवल 24 या 25 सहकारी समितियों से इस भीष्म समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस उद्योग में लगे लोगों को जीविका प्रदान करने के लिये क्या सरकार का कोई व्यापक योजना बनाने का विचार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि केरल के तटीय क्षेत्र की बहुत अधिक जनसंख्या अपनी जीविका के लिए नारियल उद्योग पर निर्भर करती है । वास्तव में $4\frac{1}{2}$ लाख से भी अधिक व्यक्ति कातने के कार्य में लगे हुए हैं और एक लाख से भी अधिक लोग उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । सदस्य महोदय ने यह भी कहा है कि केवल 25 समितियों के सुधार से कुछ होने वाला नहीं है । मैं उनकी बात से सहमत हूं । परन्तु यह उद्योग जो एक लम्बे समय से मृतप्राय: सा चला आ रहा है, इसे आरम्भ में छोटे पैमाने पर चलाना ही

हमने उचित समझा है। यदि हम इन 25 समितियों को ही मार्गदर्शी परियोजना के रूप में नहीं लेते, तो कुछ भी नहीं हो सकता। अतः यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूँ कि इससे कोई व्यापक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है तो भी मैं समझता हूं कि शुरूआत के लिए यही अच्छा है।

डा० हैनरी आस्टिन : क्या सरकार को इस गम्भीर स्थिति की जानकारी है कि अधिकांश बन्दरगाहों पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने पूर्वी यूरोप को भेजे जाने वाले नारियल के रेटों का निर्यात इस शक पर बन्द कर दिया है कि उसे दुर्लभ विदेशी मुद्रा वाले क्षेत्रों को पुनः निर्यात किया जा रहा है? कोचीन की बन्दरगाह में इसी प्रकार से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

श्री ए० सी० जार्ज : व्यापार बदलने के इस प्रकार के कुछ समाचार हमें भी प्राप्त हुए हैं। हम इन मामलों की जांच कर रहे हैं।

पटसन-उत्पादक राज्यों में पटसन की नई और आधुनिक मिलें स्थापित करने की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिये समिति

*1565. **श्री के० के० रामी रेड्डी :**
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन की नई और आधुनिक मिलें स्थापित करने की सम्भावनाओं का शीघ्र सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निदेश-पद क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

5 जनवरी, 1971 को एक समिति का गठन किया गया था जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आसाम, उत्तरी बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में नई मिल (मिलों) की स्थापना की सम्भावना और साध्यता का आकलन करना ;

(ख) प्रत्येक राज्य में युक्तियुक्त रूप में स्थापित की जा सकने वाली मिलों की संख्या तथा प्रत्येक मिल का न्यूनतम लाभप्रद आकार तय करना ;

(ग) सरकारी/सहकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में नई मिलों की स्थापना के गुणावगुणों का तुलानात्मक मूल्यांकन करना ;

(घ) संयंत्र तथा उपस्कर (आयातित तथा स्वदेशी) के अन्तर्गत आधुनिक उपस्कर, भूमि

तथा इमारत की वर्तमान कीमतों के आधार पर ऐसी प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में आने वाली वित्तीय लागत का आकलन करना ।

श्री के० के० रामी रेड्डी : सरकार को पटसन मिलें स्थापित करने के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : पिछले दिसम्बर मास में जब श्री एस०एन० द्विवेदी ने आधे घण्टे की चर्चा उठाई थी, मेरे द्वारा इस सदन में दिये गये आश्वासन के परिणामस्वरूप यह सिफारिश की गई है । समिति ने सिफारिश की थी कि असम, आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार तथा त्रिपुरा में पांच मिलें स्थापित की जायें । हमने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है । कृषि, वित्त योजना आयोग तथा विदेश व्यापार मन्त्रालयों के मध्य एक बैठक हुई थी । इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : आधे घण्टे की चर्चा के दौरान माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ ही महीनों में अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा, यह जून की बात है । क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समिति के निर्णयों के सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : वास्तविक समय बताना बहुत कठिन है । समिति इसकी जांच कर रही है । सरकार ने इन एककों को चौथी योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर योजना आयोग को सहमत कर लिया है । इनकी स्थापना के लिए क्योंकि विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है अतः योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की अनुमति होने के पश्चात ही कुछ किया जा सकता है । केवल तब ही मैं कुछ बता सकूंगा परन्तु इतना अवश्य ही कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा । इस महीने या 15 दिन के भीतर ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

श्री डी० एन० तिवारी : बिहार पटसन का मुख्य उत्पादक है । प्रत्येक राज्य में पटसन का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या प्रत्येक राज्य में पटसन उत्पादन के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई हैं ? और सब से अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार पटसन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य को पटसन मिलों का नियतन करने के लिए कोई कसौटी नियत करेगी अथवा इसकी कोई अन्य कसौटी है ?

श्री एल० एन० मिश्र : कच्चे माल की उपलब्धता तो मुख्य आधार है । महोदय, पश्चिम बंगाल में पटसन का सबसे अधिक उत्पादन होता है । इसके पश्चात लगभग 11 लाख गांठों के उत्पादन के साथ असम का स्थान है, 7.92 लाख गांठों के उत्पादन के साथ बिहार का तीसरा और उड़ीसा तथा आन्ध्र का क्रमशः चौथा और पांचवा स्थान है । बिहार भी उन राज्यों में से एक है जहां पर पटसन मिल की स्थापना की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उस समिति का गठन जानना चाहता हूं जो कि स्थापित की जा रही है । दूसरे, निर्देश के रूप में जिन राज्यों का उल्लेख किया गया हैं उनमें उत्तरी बिहार राज्य का वर्णन है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कौन सा राज्य है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

पटसन आयुक्त.......अध्यक्ष

श्री एच० के० घोष

श्री आई० एल० त्रिपाठी

श्री एन० पी० मुकर्जी और

श्री के० के० चटर्जी...सदस्य सचिव

Shri Bibhuti Mishra : In North Bihar while, there is a Jute Mill in Purnia and there is another Mill in Darbhanga, there is no Jute Mill in Champaran, though plenty of Jute is produced there. Lot of money has to be spent on transportation of Jute to Calcutta. May I know whether Government would set up a Jute Mill at Chakia is Champaran Distt., which is a major centre of Jute production ?

Mr. Speaker : Hon. Member should ask a direct question. The question is whether a committee has been set up for conducting survey for the setting up of Jute Mills ?

Shri Bibhuti Mishra : It has been stated by the Government that five Mills would be set up. Chakia is a major Jute producing centre. I want to know whether there is any proposal to set up a Mill there or not ?

Shri L. N. Mishra : The Hon. Member has a misunderstanding that it has been stated by me that the Government has decided to set up five Jute Mills. I have not stated this. What I have stated is that a committee has recommended that these Mills should be set up. So far as question of Champaran is concerned . . .

अध्यक्ष महोदय : समिति की क्या बात है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इसने कुछ सिफारिशें की हैं। जहां तक चम्पारन का प्रश्न है, यह बिहार में स्थित है और यह बात बिहार सरकार के हाथ में है कि वे कहां पर पटसन मिल की स्थापना करे।

विदेशों को खादी के कपड़ों का निर्यात

*1568. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी के वस्त्रों से विदेश मुद्रा अर्जित हो रही है और पश्चिमी देशों में उनकी बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी एजेंसियां इस व्यापार में सक्रिय हैं और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितना व्यापार किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खादी के वस्त्रों तथा खादी वस्त्र से बने परिधानों आदि के निर्यात के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते। खादी के सम्बन्ध में अब तक कोई नियमित निर्यात व्यापार भी स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, पश्चिमी देशों में खादी की कुछ मांग है और खादी के निर्यात द्वारा कुछ विदेशी मुद्रा भी अर्जित की गई है। खादी के निर्यात में लगे हुए अभिकरण ये हैं (1) खादी

तथा ग्रामोद्योग आयोग, (2) खादी भवन/संस्थायें और (3) गैर-सरकारी अभिकरण। विगत तीन वर्षों के दौरान 6.27 लाख रु० मूल्य की खादी का व्यापार हुआ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : यह प्रसन्नता की बात है कि पश्चिमी देशों में खादी लोकप्रिय है और इसकी वहां पर मांग है तथा इससे कुछ विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। क्या सरकार ने विदेशों में इसके व्यापार के विस्तार की जांच की है और इस बात को जानने का प्रयास किया है कि विदेशों में खादी की कौन-कौन सी किस्में अधिक लोकप्रिय हैं? इस तथ्य को देखते हुये कि पर्यटक खादी के प्रति अधिक आकर्षित है और खादी भवनों में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, तो संकेत मिलते होते हैं कि विदेशों में इसका और भी प्रसार होने की गुंजाइश है? अतः क्या सरकार ने इस व्यापार के और अधिक विस्तार पर विचार किया है?

श्री ए० सी० जार्ज : जी हां, जहां तक खादी के निर्यात का प्रश्न है, खादी तथा ग्रामीण उद्योग निगम खादी भवन तथा खादी एम्पोरिया आदि इस कार्य में रत हैं। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि खादी के निर्यात के सम्बन्ध में हमें अनेक जाँचे प्राप्त हो रही हैं। खादी के क्षेत्र में निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :—

1. खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग को निर्यात से सम्बन्धित सभी विषयों पर मन्त्रणा देने के लिए एक समिति का गठन ;
2. अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा उनमें खादी उत्पादों का प्रदर्शन ;
3. विदेश व्यापार भारतीय संस्था द्वारा अमरीका तथा जापान में खादी के लिए बाजार का अन्वेषण करने हेतु सर्वेक्षण करना ;
4. बम्बई में निर्यात हेतु दुकान खोलना ; और
5. निर्यात के जहाज पर्यन्त मूल्य पर $6\frac{1}{2}$ धन अधिकार देना जिससे कि इस उद्योग के लिये अपेक्षित रंग तथा रसायन मंगवाये जा सकें।

श्री एन० टोम्बी सिंह : विवरण में दिया गया पिछले तीन वर्षों का व्यापार जो 6.27 लाख रु० का व्यापार मिल के बने कपड़े की तुलना में कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है?

श्री ए० सी० जार्ज : यह बात स्वीकार करनी होगी कि मिल के बने कपड़े की तुलना में खादी कपड़े का निर्यात बहुत ही कम है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : चौथी योजना में विदेशों में खादी के प्रचार हेतु कितनी धन राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रचार हेतु किन-किन देशों से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक खादी के उत्पादन का प्रश्न है इस के साथ मुख्यतः औद्योगिक विकास विभाग का सम्बन्ध है।

श्री ए० पी० शर्मा : विवरण से यह प्रतीत होता है कि खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी भवन/संस्थाएं तथा गैर-सरकारी अभिकरणों जैसे विभिन्न अभिकरण खादी के

निर्यात में सलंग्न हैं। ये गैर-सरकारी अभिकरण कौन-कौन से हैं और इनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है? क्या व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर इन्हें चुना जाता है?

श्री ए० सी० जार्ज : सामान्यतया इसे हाथ ने बने कपड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कोई भी गैर-सरकारी निर्यातक इस का व्यापार करने के लिए स्वतन्त्र है।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या आप आवेदन पत्रों के आधार पर उनका चुनाव करते हैं अथवा इसके लिए कोई अन्य पद्धति है?

श्री ए० सी० जार्ज : हम उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाते।

श्री हरि किशोर सिंह : विदेशों से आने वाले हिप्पियों में खादी बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई है। सरकार का विदेशों में, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप तथा अमरीका में युवा पीढ़ी में खादी को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री ए० सी० जार्ज : जहां तक युवा पीढ़ी से खादी के प्रसार की बात है सरकार इस के प्रति पूर्णतया जागरूक है और प्रसार पर पर्याप्त व्यय किया जाता है। जहां तक हिप्पियों में इसे लोक प्रिय बनाने की बात है इसे मैं माननीय सदस्य पर छोड़ता हूँ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether it is a fact that our export price of Khadi is less than the ruling price in the country and if so, the reasons therefor?

Shri L. N. Mishra : It is not a fact that we are exporting at rates which are lower than internal rates. This is a fact that in order to promote exports we provide certain incentives to exporters, but it is not a fact that we export by undercutting the rates. It is not a fact that internal rates are higher than those prevailing in foreign countries.

श्री पी० वेंकटसुब्बया : खादी को निर्यात योग्य बनाने के विचार से नये डिजाइन बनाने जैसे अनेक उपाय किये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार डिजाइन बनाने तथा अन्य कार्यों के करने वाले व्यक्ति पर्याप्त रूप से सक्षम हैं और क्या उन्हें प्रशिक्षण देने का विचार है जिससे कि खादी के माल विदेशों में और लोकप्रिय हो सकें।

श्री ए० सी० जार्ज : इसका प्रत्यक्षत: खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग से सम्बन्ध है। हमारी जानकारी यह है कि इस दिशा में पर्याप्त गवेषणा की जा रही है और पर्याप्त योग्य व्यक्ति इस कार्य में रत हैं।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या सरकार को यह पता है कि कलकत्ता में खादी ग्रामोद्योग भवन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्टाक होने के बावजूद भी इनके द्वारा सामान्यतया बाजार में कपड़ा नहीं निकाला जाता क्योंकि कुछ व्यापारियों ने इसमें रुचि लेनी प्रारम्भ कर दी है और सरकार को बदनाम करने के लिए वे इस पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने यह स्पष्टतया बताया है कि खादी के उत्पादन के साथ औद्योगिक विकास मंत्रालय का सम्बन्ध है। यह बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है।

एरणाकुलम टेलीफोन केन्द्र

*1570. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई के महीने में एरणाकुलम टेलीफोन केन्द्र (केरल) के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं ; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जुलाई के महीने में एरणाकुलम टेलीफोन केन्द्र के श्रेणी तीन या श्रेणी चार के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था और उसके बाद प्राधिकारियों तथा कर्मचारियों में एक समझौता हुआ था जिसमें कर्मचारियों की कुछ मांगें स्वीकार की गयीं थी मैं यह जानना चाहता हूं कि वे मांगें क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे केवल प्रश्न में पूछी गई हड़ताल के बारे में जानकारी है इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार को इस बात का पता है कि सितम्बर 1968 में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप निकाले गए कर्मचारी अभी भी बेकार बैठे हैं ? उनमें से कितने लोगों को वापस काम पर बुला लिया गया है और क्या बाकी कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाएगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह भी एक पृथक प्रश्न है । इसका सम्बन्ध 1968 की हड़ताल से है ।

श्री वयालार रवि : क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि केरल की अन्य संघों को एन० एफ० पी० टी० के सदस्यों ने डराया, धमकाया है अथवा आक्रमण किया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रश्न संगत नहीं ।

Dry Port at Delhi

*1571. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the date when the proposal to make Delhi a Dry Port was first mooted ; and

(b) the formalities which are still to be completed in this regard ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A proposal for the setting up of a Dry Port at Delhi was received by the Government in June, 1965, but this proposal was not found acceptable. Subsequently, the Delhi

Administration set up a Committee, whose report, submitted in January, 1971, contained three alternative plans. Thereafter, the Government of India set up an inter-Ministerial Working Group which was asked to prepare a project report for the establishment of a Dry Port at Delhi. The Working Group submitted its report in May, 1970 and the same is receiving urgent attention. Government are likely to take a final decision in the near future.

Shri R. V. Bade : According to the statement laid on the Table of the House a report was sent in 1965 and 1967 by the Delhi Administration and that report remained pending till 1970 and thereafter you appointed a inter-ministerial working group.

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में प्रक्रिया यह है कि आप उन्हें पूछते समय स्वयं जानकारी नहीं दे सकते आप सीधे प्रश्न पूछिये।

Shri R. V. Bade : The inter-Ministerial working group sent the Report in 1970. I want to know why the report remained pending for the last three years and what have you done in this regard.

Shri L. N. Mishra : Yes we did receive the report and considered it also. It was niether encouraging nor feasible and that is why we appointed an inter-ministerial working group. It submitted its report in 1970. Thereafter a meeting of departmental secretaries was held in 1971 and they have made certain recommendations. We are examining the possibility of setting up a dry port in Delhi.

Shri R. V. Bade : Will the hon. Minister be pleased to state the details of the report of the inter-ministerial working group ?

Shri L. N. Mishra : Details are quite lenghty. They have said that it would involve expenditure of about Rs. 3 crores and have also suggested facilities to be provided there. They are of the view that if dry port is set up at Delhi other states like Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh will have convenience in sending their goods out.

Shri Hukam Chand Kachwai : Keeping in view the amount which will be incurred on its construction and the benefits which people will derive from it, is the Government going to consider the necessity of setting up this port if so by when will the work commence?

Shri L. N. Mishra : The amount of Rs. 3 crores is not excessive. The question is of the feasibility and if it is workable we will certainly do it and that is why we are appointing Committees and are asking people to examine its prospects.

Fourth Centenary of Ram Charit Manas

*1572. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any comprehensive scheme to celebrate the Fourth Centenary of the *Ram Charit Manas*, one of the greatest works in the world ;

(b) if so, the broad outlines thereof and whether any Committee has been constituted for the purpose ; and

(c) whether Government propose to instal any statue of Goswami Tulsidas on this occasion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) and (b). 'Ram Charit Manas' Chatuhshati Rashtriya Samiti is a non-official registered society. This society has envisaged various programmes like holding of Seminars. World Conference on Ramayana and construction of Manas building etc. to celebrate the fourth centenary of Ram Charit Manas. This society has requested the Ministry of Education and social welfare for financial assistance. The request of the committee is under consideration.

(c) No, Sir.

Shri Shanker Dayal Singh : May I know from the hon. minister of if any scheme has been made for popularising abroad the 'Ram Charit Manas' on the eve of its fourth centenary.

श्री मोहसिन : राम चरित मानस चतुशती राष्ट्रीय समिति, जिसका संगठन रामचरित मानस की चतुर्थ शताब्दी मनाने के लिये किया गया है 'पंजीकृत समिति अधिनियम' के अधीन पंजीकृत है। इस समिति ने शताब्दी मनाने हेतु एक योजना तैयार की है किन्तु सरकार की इस संबंध में कोई योजना नहीं है।

Shri Shanker Dayal Singh : Mr. Speaker, sir as there is a large number of Indians residing abroad I have put a specific question whether Government is going to do anything in this regard.

An hon. member : It is the society to do the needful.

Shri Shanker Dayal Singh : Is the society capable of doing that ?

श्री मोहसिन : समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गोष्ठियों का आयोजन रामचरित मानस के विभिन्न संस्करणों का प्रकाशन रामायण पर विश्व सम्मेलन तथा मानस से सम्बद्ध कलाकृतियों तथा मूर्तियों का प्रदर्शन।

Shri Shanker Dayal Singh : I wish to know how much amount the Government is going to spend in this regard.

श्री मोहसिन : उन्होंने 75 लाख रुपये की मांग की है सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस कार्य के लिए उन्हें कितनी राशि प्रदान की जाए।

Shri B. P. Maurya : No religions book should receive any encouragement by the Government if it is opposed to the spirit of the constitution. If Ram Charit Manas is read carefully it will be apparent that it records the shudras with contempt and women with animals.

श्री मोहसिन : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं रामायण एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है जिसमें भारत की संस्कृति तथा परम्परा को अभूतपूर्व रूप से दर्शाया गया है।

श्री समर गुह : तुलसीकृत रामायण एक महान साहित्यिक कृति है। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इन्डोनेशिया तक में रामायण पर्व शीघ्र मनाया जाने वाला है। उन्होंने विश्व के सभी देशों को निमंत्रण भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं।

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय आपने रिपोर्ट नहीं देखी है। वह चाहते हैं कि भारत भी इसमें भाग ले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्देश्य के लिये कोई दल भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री समर गुह*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप कृपया बैठ जाइये। मैं असंगत प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय आपका यह व्यवहार उचित नहीं। यदि आप सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे तो आप यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह आप का सम्मान करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यदि माननीय सदस्य का प्रश्न संगत है तो आप उन्हें पूछने से कैसे मना कर सकते हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि उनका प्रश्न संगत है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल असंगत है।

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है आप किस आधार पर कहते हैं कि मेरा प्रश्न असंगत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री समर गुह : यह सर्वथा गलत बात है। अध्यक्ष महोदय से ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

Shri R. R. Shenre : Is the hon. Minister aware that a manuscript of Ram Charit Manas by Tulsidas is still there in Ram Rajpur ? What efforts are being made by the Government for its preservation ? Do the Government propose to develop that place into a tourist centre ?

श्री मोहसिन : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह कार्यक्रम पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं न कि सरकार द्वारा। उन्होंने हमसे धन के लिए कहा है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रामचरित मानस के सही अर्थ बतायें हैं। वाल्मीकी और कालीदास के बाद वह सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्या उन्हें उसी प्रकार सम्मान दिया जाएगा जैसा कि रवीन्द्र नाथ टैगोर को दिया गया है ?

श्री मोहसिन : यह सब काल्पनिक है। यदि कोई संस्था स्थापित होती है और धन की सहायता मांगती है तो उस पर विचार किया जाएगा।

जापान द्वारा विकासशील देशों की वस्तुओं पर अधिमान्यात्मक टैरिफ

*1574. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने विकासशील देशों की वस्तुओं पर एक अगस्त, 1971 से अधिमान्यात्मक टैरिफ स्वीकृत कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रियायतों की पेशकश की गई है ; और

(ग) जापान को होने वाले भारतीय निर्यात को इन रियायतों से कितना लाभ पहुँचेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

व्यापक अधिमान पद्धति में, जो जापान में 1 अगस्त, 1971 से क्रियान्वित हुई है, ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली के अध्याय 25-99 के अन्तर्गत आने वाले उन अधिकाँश निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित उत्पादों के शुल्क मुक्त प्रवेश की व्यवस्था है जो सभी विकासशील देशों के, जिनमें भारत भी शामिल है, उद्भव के हों। सूती वस्त्र, चमड़ा, पटसन के बने हुए वस्त्र और मानव-निर्मित रेशों जैसी कुछ मदों के बारे में जापान द्वारा केवल 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी गई है। रेशमी वस्त्र, जो भारत के लिए निर्यात हित की मद हैं, व्यापक अधिमान पद्धति के अन्तर्गत जापान की आफर में से निकाल दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र (ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली के 1-24 अध्याय) के अन्तर्गत आने वाली मदों को चयनात्मक आधार पर शामिल कर लिया गया है और उन पर लगने वाले जापानी टैरिफ में थोड़ी कमी हो जाएगी।

व्यापक अधिमान पद्धति के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि भारत जापान को अपने निर्यात, विशेषत: अपरम्परागत निर्मित और अर्द्ध-निर्मित उत्पादों के निर्यात, बढ़ा सकेगा।

श्री डी० के० पंडा : रियायती आयात करने के बारे में वक्तव्य से पता चलता है कि निर्यात के लिए उपयुक्त रेशमी वस्त्रों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है और उससे हमें कोई लाभ होने का नहीं। इस लिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जापान की सरकार से विशेष रूप से यह जानने की चेष्टा की है कि रेशमी वस्त्रों को रियायती आयात कर के अन्तर्गत क्यों नहीं लिया गया। दूसरे, कौन सी कृष्य वस्तुयें हमारे लाभ के लिए चुनी गई हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्या चीनी उस सूची में सम्मिलित है?

श्री एल० एन० मिश्र : जापान ने 1 अगस्त से हमें 'अनकटाड' के अधीन वरीयताओं की सामान्य पद्धति पर कुछ वस्तुओं पर कुछ छूट दी हैं। सूती वस्त्रों एवं कुछ अन्य वस्तुओं पर उन्होंने हमें करों में 50 प्रतिशत रियायत दी है। परन्तु रेशमी वस्त्रों पर कोई रियायत नहीं दी गई है। हम उनसे आग्रह कर सकते हैं परन्तु यह निर्णय जापान सरकार को ही करना है कि वह किस वस्तु पर हमें रियायती आयात कर की सुविधा देगी अथवा नहीं 'अनकटाड' द्वारा यह व्यवस्था स्वेच्छा से की गई है।

श्री डी० के० पंडा : क्या सरकार ने इस बारे में जापान सरकार को लिखा है?

श्री एल० एन० मिश्र : यह व्यवस्था प्रथम अगस्त से ही आरम्भ हुई है और आज 3 अगस्त है। यह निर्णय जापान सरकार को ही करना है कि वे किन वस्तुओं पर छूट दे तथा किन पर न दे। यह प्रशंसनीय है कि उन्होंने विकासशील देशों को कुछ वस्तुओं पर लगने वाले आयात करों पर 50 प्रतिशत की छूट दी है और कुछ वस्तुओं पर कोई छूट नहीं दी है। कुछ अन्य देशों ने भी रियायतें दी हैं। जहां तक जापान का सम्बन्ध है हम सर्वथा सन्तुष्ट हैं कि जापान ने विकासशील देशों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया है।

श्री डी० के० पंडा : क्या कृष्य वस्तुओं के अन्तर्गत चीनी को लिया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि केवल निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं को ही जो कि बी०एन०टी० के अध्याय 25-99 में उल्लिखित है, लिया गया है। अपरम्परागत वस्तुओं पर, विशेषत: इंजीनियरिंग वस्तुओं पर हमें जापान से रियायत मिली है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नेफा में रेडियो स्टेशन

*1566. **श्री सी० सी० गोहेन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 जुलाई, 1971 को अपने मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय दिये गये आश्वासन के अनुसार, नेफा में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा ;

(ख) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) नेफा के भीतरी भाग में कितने क्षेत्रफल में इस रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). नेफा के पूर्वी भाग में फिलहाल डिब्रूगढ़ का उच्च शक्ति केन्द्र सेवा देता है।

2. इसके अतिरिक्त, नेफा में निम्नलिखित स्थानों पर अल्प शक्ति वाले दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं :—

(1) तेजू

(2) पासीघाट

(3) चौथी योजना के दौरान नेफा में अल्प शक्ति वाले नौ और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से तवांग में एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है और वह 1972-73 में चालू हो जायेगा। निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने की योजनायें तैयार कर ली गई हैं और इन परायोजनाओं पर प्रारंभिक कार्य चल रहा है :—

(1) लाँगडिंग

(2) अनीनी तथा

(3) कोलोरियांग

शेष 5 केन्द्रों के स्थानों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

4. नेफा के पश्चिमी भाग को कवर करने के लिये डिब्रूगढ़ केन्द्र जैसा उच्च शक्ति वाला एक और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय के बाहर सैनिकों का शिविर स्थापित किया जाना

*1567. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में सैनिकों को तैनात किया गया है ;

(ख) क्या विश्वभारती विश्वविद्यालय के बाहर सैनिकों का एक शिविर स्थापित किया गया है ;

(ग) क्या कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) विश्व भारती विश्वविद्यालय के बाहर बोलपुर में सैना तैनात की गई है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा पुलिस द्वारा करनाल जिले (हरियाणा) में दिल्ली के पत्रकारों के पीटे जाने के सम्बन्ध में जांच

*1569. **श्री एस० एम० जोजेफ़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10/11 जुलाई, 1971 की रात को पुलिस द्वारा करनाल जिले (हरियाणा) की वाह्य सीमा पर नई दिल्ली के पत्रकारों के एक दल के पीटे जाने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसमें अन्तर्ग्रस्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि इस घटना के बारे में पुलिस अधिक्षक, करनाल द्वारा जाँच-पड़ताल की गई थी, किन्तु पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी । सारी घटना एक गलतफहमी के कारण हुई ।

चांदी का निर्यात

*1573. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कुल कितनी मात्रा में चांदी का निर्यात किया गया ;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) किन-किन देशों को चांदी का निर्यात किया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) से (ग). अप्रैल, 1970 से फरवरी 1971 की अवधि के दौरान चांदी की सिल्ली छड़ का कोई निर्यात नहीं हुआ। तथापि इसी अवधि के दौरान 76,433 रु० मूल्य के 100 किग्रा० चांदी के धागेनुमा तार का सऊदी अरब को निर्यात किया गया। फरवरी, 1971 के बाद के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

भारत तथा जापान के बीच व्यापार-संतुलन

*1575. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान के साथ निर्यात तथा आयात सम्बन्धी व्यापार सन्तुलन की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) जापान के साथ हमारे निर्यात व्यापार में कच्चे माल तथा तैयार वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

अप्रैल, दिसम्बर, 1970 के दौरान जापान के साथ भारत का व्यापार

(मूल्य करोड़ रु० में)

निर्यात :	
1. आधारभूत माल	
(1) कच्चा माल	109
(2) अन्य	18
2. निर्मित तथा अर्ध-निर्मित चीजें	28
योग :	155
आयात :	55.7
व्यापार शेष	+99.3

केरल में चिमनी-मुपली सिंचाई परियोजना

*1576. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चिमनी-मुपली सिंचाई परियोजना, जिला त्रिचूर (केरल) के प्रतिवेदन को मंजूरी के लिए योजना आयोग के अध्ययन दल को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक कार्यवाहियां

*1577. **श्री समर गुह :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की अधिकतर हिंसात्मक कार्यवाहियों का स्वरूप राजनीतिक है ;

(ख) क्या सरकार ने इस हिंसा की राजनीति के पीछे छिपे सामाजिक आर्थिक कारणों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति का मुकाबला करने के लिए सरकार की व्यापक योजना क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हालांकि पश्चिम बंगाल में अधिकतर हिंसा का उद्देश्य राजनैतिक है, फिर भी समाज-विरोधी तथा अपराधियों के कार्य उत्तेजना के कारण हैं।

(ख) और (ग). सरकार इस बात से अवगत है कि सही सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का शोषण स्वार्थी राजनैतिक दलों द्वारा हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अतः बेरोजगार तथा निराश युवकों की समस्याओं के व्यवहारिक हल का पता लगाने के लिये पश्चिम बंगाल में विकासशील कार्य स्थापित करने के लिए उपाय आरम्भ किये गये हैं। किन्तु पश्चिम बंगाल में सामाजिक-आर्थिक कारणों की कोई विशिष्ठ जाँच नहीं की गई है क्योंकि वहां विधि और व्यवस्था की समस्या है।

(घ) सरकार हत्या तथा हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए दृढ संकल्प है। सामान्य स्थिति लाने के लिए निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। हिंसात्मक गतिविधियों को कुचलने के लिए विधि और व्यवस्था की शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार सभी आवश्यक सहायता, जैसे आसूचना का एकीकरण, अतिरिक्त पुलिस कुमुक तथा उपकरण प्रदान कर रही है। अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में छानबीन की कार्यवाहियां करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए सेना का प्रयोग भी किया जा रहा है। सार्वजनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वयं सेवकों की विरोध करने वाले दलों को संगठित किया जा रहा है। हत्या तथा हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए राजनैतिक दलों से भी सहयोग के लिए कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में महिला समिति की नेता पर कथित आक्रमण

*1578. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1971 को पश्चिम बंगाल में महिला समिति की नेता श्रीमती ज्योति चक्रवर्ती पर कुछ उपद्रवियों ने उनके घर में आक्रमण किया था ;

(ख) क्या इस क्रूर आक्रमण के लिए उत्तरदायी अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो वे क्या हैं और उनका परिणाम क्या निकला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्रीमती ज्योति चक्रवर्ती को 22 मई, 1971 को उनके निवास स्थान पर छुरा मारा गया था। इस घटना के सिलसिले में एक मामला चलाया गया है और चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। जांच पड़ताल की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम में तैनात किया गया केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

*1579. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात किया गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को उक्त निगम के कर्मचारियों से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार निगम से उक्त दल को हटाने पर विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत तीन तापीय शक्ति केन्द्रों में तैनात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में 14-7-71 को दामोदर घाटी निगम स्टाफ संघ तथा दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ ने जरनल मैनेजर से भेंट की थी। उन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मामले की निगम द्वारा जांच की जा रही है।

कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की योजना

*1580. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की देख रेख में जो सूती कपड़ा मिलें हैं उनका आधुनिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किन मिलों का आधुनिकीकरण किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) :

विवरण

जिन 28 मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया गया है, उनमें से 25 मिलों में इस समय कार्य चल रहा है। शेष मे से 2 मिलों के भी शीघ्र ही पुनः चालू होने की आशा है। जहां तक तीसरी मिल का संबंध है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश जारी कर दिया है। जिन 25 मिलों में इस समय कार्य चल रहा है, उनमें से 14 मिलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। मिलों के नाम और साथ ही प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में प्रस्थापित आधुनिकीकरण के लिए अनुमानित व्यय का ब्यौरा अनुबंध में दिये गये हैं।

इस योजना का उद्देश्य मिलों की मशीनों का आधुनिकीकरण तथा नवीकरण करना है ताकि उनकी कार्य करने की क्षमता में सुधार किया जा सके और उन्हें लाभप्रद बनाया जा सके। इन योजनाओं पर होने वाला व्यय 51.49 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम और संबंधित राज्य सरकारों अथवा राज्य वस्त्र निगमों द्वारा पूरा किया जायेगा।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	आधुनिकीकरण की कुल लागत
		(लाख रु०)
1.	इण्डिया युनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई	493.31
2.	आर० एस० आर० जी० मोहता स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स (प्रा०) लि०, अकोला।	25.70
3.	माडल मिल्स नागपुर लि०, नागपुर।	27.28
4.	म्यूर मिल्स लि०, कानपुर।	54.05
5.	हीरा मिल्स लि०, उज्जैन।	19.89
6.	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लौर मिल्स लि०, इंदौर।	29.99
7.	भोपाल टैक्सटाइल्स लि०, भोपाल।	22.35
8.	महालक्ष्मी मिल्स लि०, ब्यावर।	14.86
9.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स लि०, अहमदाबाद।	24.35
10.	हिमाभाई मैन्यु० कं० लि०, अहमदाबाद।	7.86
11.	कम्बोडिया मिल्स लि०, कोयम्बतूर।	3.45
12.	श्री रंगा विला जि०, स्पि० एण्ड वीविंग कं० लि०, कोयम्बतूर।	1.76
13.	बरहानपुर ताप्ती मिल्स, बरहानपुर।	19.30
14.	श्री भारती मिल्स कं० लि०, पाँडिचेरी।	3.37
	योग :	747.52

समाचार भारती को ट्रस्ट के रूप में बदला जाना

*1581. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार भारती को ट्रस्ट के रूप में बदलने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव पर इस बीच कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). सरकार प्रेस आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के फैलाव की सम्भावना के बारे में विचार कर रही है।

'बोनस वाउचर' योजना का नेपाल द्वारा पुनरीक्षण

*1582. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उस बोनस वाउचर योजना का पूरा ब्यौरा है जिसका नेपाल सरकार ने हाल में पुनरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं और इससे भारत सरकार के वे दृष्टिकोण कहां तक पूरे हो जाते हैं जिन को पूरा किये जाने के लिए बार-बार जोर डाला जाता रहा है ;

(ग) क्या योजना में पुनरीक्षण से नेपाल के साथ सन्धि को अन्तिम रूप दिए जाने का मार्ग खुल गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा जुलाई, 1971 में जारी की गई एक सार्वजनिक सूचना से यह पता चला है कि कुछ मदों के सम्बन्ध में बोनस में कमी कर दी गई है। प्रत्यक्ष तौर पर ये परिवर्तन अपने आप में ऐसे प्रतीत नहीं होते जिनसे व्यापार-विस्थापन की समस्या में कोई उल्लेखनीय अन्तर आ सके। निर्यातों पर भारी बोनस मिलता रहेगा जो 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अलग-अलग होगा।

(ग) और (घ). नई व्यापार तथा परिवहन सन्धि पर बातचीत पुनः आरम्भ करने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल आज काठमाँडू के लिए रवाना हो गया है परन्तु यह यात्रा बोनस वाउचर योजना में किये गये इस मामूली से परिवर्तनों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुई है।

आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद

*1583. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच आसाम और नागालैण्ड के सीमा-विवाद को हल कर दिया है,;

(ख) क्या नागालैण्ड के मुख्य मंत्री ने विवाद को हल करने के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). असम तथा नागालैण्ड के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात सरकार ने असम-नागालैण्ड सीमा के बारे में तथ्यों का पता लगाने तथा किसी सामांजस्य की आवश्यकता तथा एक सम्मत हल निकालने के इरादे से एक सलाहकार की नियुक्ति करने का निर्णय किया है ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में "ब्लैक आउट" के अभ्यास

*1584. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उस के आस पास के क्षेत्रों में हाल में "ब्लैक आउट" का अभ्यास किया गया था ;

(ख) क्या अब तक के अभ्यासों की सफलता का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश सामान्य जनता को नियमों का पालन न करने से उत्पन्न खतरों का पता नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो जनता को उचित एहतियात बरतने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश सामान्य जनता ने ब्लैक आउट अभ्यास में सहयोग दिया था । दिये गये अनुदेशों का उल्लंघन करने के कुछेक मामले थे और उन में उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है । पता लगा है कि कुछ क्षेत्रों में रोशनी बुझाने में विलम्ब का कारण मुख्यत: साइरनों का न सुना जाना था । भविष्य में अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

सिलीगुड़ी में चाय नीलामी केन्द्र खोलना

*1585. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में उत्पादित चाय काफी मात्रा में कलकत्ता चाय केन्द्र पर नीलाम किए बिना ही अन्य राज्यों को भेजी जा रही है जिससे वहां राजस्व और दूसरे करों का घाटा होता है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के चाय उत्पादकों ने सिलीगुड़ी में एक चाय नीलामी केन्द्र खोलने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970 में कलकत्ता में नीलामियों के माध्यम से बेची गई चाय की मात्रा में कुछ गिरावट दृष्टिगोचर हुई है। लेकिन इस के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल प्रवेश करने के सिवाय किसी उपकर या राजस्व की हानि नहीं होती।

(ख) सरकार को इस की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का एवार्ड

*1586. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के एवार्ड को कार्य रूप देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त एवार्ड के अनुसार हरियाणा को दिये जाने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य बन्द पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 29 जनवरी, 1970 को घोषित निर्णय के अनुसार चण्डीगढ़ को अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र रहना है। उस क्षेत्र के वर्तमान दर्जे में कोई परिवर्तन करने की कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्। राज्य सरकार से इन शिकायतों की जांच करने को कहा गया है।

अगरतला में भारतीय सीमा के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों की हत्या

*1587. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने लगभग 200 शरणार्थियों की जिनमें पुरुष, महिलायें और बच्चे थे उस समय गोली चलाकर हत्या कर दी जब कि वे अगरतला की माधवपुर स्थित भारतीय सीमा चौकी की ओर नौकाओं में आ रहे थे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अगरतला के निकट माधवपुर में भारतीय सीमा के समीप किसी ऐसी घटना के होने का समाचार नहीं है। किन्तु कुछ शरणार्थियों से यह मालूम हुआ है कि 10 जुलाई 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला देश में बराई की ओर, जो बंगला देश में है तथा जो भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 4 किलोमीटर पर है, गोलाबारी करने के परिणामस्वरूप बंगला देश के लगभग 25 व्यक्ति सोनाई नदी के निकट जब वे भारत में आने का प्रयत्न कर रहे थे, मारे गये।

(ख) यह घटना ठीक बंगला देश के भीतर हुई थी और इस तरह भारत सरकार का ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Proceedings against Al-Fatah Organisation operating in Jammu and Kashmir

*1588. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Government of Jammu and Kashmir have sought legal opinion from the Central Government to launch proceedings against the Al-Fatah organisation found operating in Kashmir ; and

(b) whether the Centre has since given legal opinion to the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोपों के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कराये जाने की मांग

*1589. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि "आनन्द मार्ग के विरुद्ध आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो पांच मामलों की जिनमें रांची में हुई घटनाओं के बारे में आनंद-मार्ग अन्तर्ग्रस्त हैं, जांच-पड़ताल कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में बन्द सूती कपड़ा मिलों का पुनः चालू किया जाना

1590. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल में बन्द हुई 22 सूती कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने अथवा राष्ट्रीय कपड़ा निगम या सरकार की किसी एजेन्सी द्वारा उन्हें अपने हाथ में लेने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). समाप्त की जाने योग्य समझी गई मिलों को छोड़कर जून, 1971 के अन्त में पश्चिम बंगाल में 16 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं। समय-समय पर बन्द मिलों के लिए जांच समिति की नियुक्ति के लिये और साथ ही सरकार द्वारा उनके प्रबन्ध को अपने हाथ में लिए जाने के लिये राज्य सरकार से समय-समय पर पत्र प्राप्त हुए हैं। 16 बन्द मिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) दो मिलों के समापन के मामले कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

(2) एक मिल का परिसमापन करने के आदेश हो चुके हैं।

(3) तीन मिलों के कार्यों की जाँच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच समितियां नियुक्त की गई हैं और उनके प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा है।

(4) एक मिल के संबंध में जांच समिति नियुक्त की जा रही है।

क्रमांक (3) और (4) पर उल्लिखित मिलों के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के बारे में समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(5) उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत दो मिलों के कार्यों की जांच पहले ही की जा चुकी है और समितियों के प्रतिवेदन विचाराधीन हैं।

(6) एक अन्य मिल के प्रबन्धकों ने सुझाव दिया है कि मिल को समाप्त करने योग्य समझा जाना चाहिए और इस विषय पर पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(7) शेष 6 मिलों के मामलों पर राज्य सरकार आदि से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi

6834. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi-24 had got themselves registered with the Registrar, joint Stock Companies, Delhi and the Registrar of Companies, Delhi on 28th January, 1948 and 28th November, 1959, respectively ;

(b) whether it has been mentioned in the rules and regulations under which the two institutions were registered that Shri Kumar Paul, founder of the said institutions, would be the General Secretary of the institutions for life and after his death the person nominated by him would take over as the General Secretary of the aforesaid institutions ; and

(c) if so, whether Government propose to take any action against such institutions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). According to the Registrar of Societies, Delhi, All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi-24, were registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860 on 28th January, 1948 and 28th November, 1959 respectively, Shri Kumar Paul, the founder of these institutions, is the General Secretary for life, unless he resigns earlier. He also has the power to nominate his successor. No action against such institutions is possible under the law.

जमशेदपुर में क्रीप स्टील प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्र की स्थापना के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ करार

6835. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमशेदपुर में क्रीप स्टील परीक्षण और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, (एन० एम० एल०), जमशेदपुर में केन्द्रीय क्रीप (विसर्पण) परीक्षण की सुविधाओं का केन्द्र स्थापित करने के लिए संचालन योजना पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) परियोजना के उद्देश्य हैं :—

(i) गर्म प्रतिरोधक स्टील, विसर्पण और मिश्र धातुओं की परीक्षण सुविधाएं प्रदान कराना ।

(ii) देश के अन्तर्गत उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नवीन गर्म प्रतिरोधक स्टील एवं मिश्र धातुओं के विकास के साथ उनके योग में अनुसंधान एवं विकास सेवाएं प्रदान करना ।

(iii) भारतीय स्टील के उच्च तापक्रम पर फैलाव और क्रीप (विसर्पण) की क्षमताओं पर सामग्री सम्बंधी मानक विशिष्टियां तैयार करने के लिए सुविधायें प्रदान करना ।

(iv) क्रीप (विसर्पण) परीक्षण कार्य के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना ।

(v) अतिरिक्त ताप-वैद्युत-युग्म और दैर्ध्य वृद्धिमापी अंशशोधन सुविधाएं प्रदान करना ।

(vi) विशेषकर उन औद्योगिक प्रयोगशालाओं के साथ जो अपने लघुस्तरीय विसर्पण परीक्षण की सुविधाओं को विकसित करने के लिये योजना बना रही हैं, विसर्पण परीक्षण के सम्बन्ध में सहयोग करना ।

(2) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला के माध्यम से सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी जब कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू० एन० आई० डी० ओ०) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से हिस्सेदार तथा कार्यसंपादन संस्था के रूप में कार्य करेगी ।

(3) परियोजना के लिये सरकार कर्मचारी, प्रशिक्षण सुविधाएं भूमि, भवन उपकरण तथा अन्य आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करेगी और इन पर अनुमानित व्यय रु० 30,75000 होगा । इसके अतिरिक्त सरकार विदेशी विशेषज्ञों पर स्थानीय संचालन सम्बन्धी व्यय के लिए यू० एन० डी० पी० को रु० 1,45,500 की धनराशि का नक़द भुगतान करेगी और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष का, आवर्ती खर्च भी वहन करेगी ।

(4) अमरीकी डालर 671,600 या रुपये-50,37,000 की अनुमानित लागत की आवश्यक विश्लेषण सेवाएं, प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं यू० एन० डी० पी० प्रदान करेगी ।

(5) यू० एन० डी० पी० की सहायता अवधि 3 वर्ष है ।

हथकरघा बुनकरों को विशेष प्रोत्साहन

6836. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों को प्रत्येक राज्य में उनके द्वारा तैयार किये जाने वाले कपड़े की एक विशेष किस्म की कोटि में सुधार करने के लिये विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) हथकरघा कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने हेतु यह योजना कहाँ तक सफल हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बढ़िया कपड़े के उत्पादन को सुकर बनाने हेतु, डिजाइन, बुनाई तथा साधित करने की तकनीक सुधारने में मार्ग-दर्शन करने के लिये किये गये उपायों के अलावा हथकरघा बुनकरों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिये गये।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों को निर्यात की गई बीड़ियां

6838. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत से कितनी बीड़ियों का निर्यात किया गया तथा वर्षवार प्रत्येक देश से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा का उपार्जन हुआ ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : गत तीन वर्षों में बीड़ियों का जो निर्यात किया गया उसका देशवार ब्यौरा इस प्रकार है :

मात्रा मे० टन में
मूल्य हजार रुपये में

देश	1968-69		1969-70		1970-71 जनवरी, 1971 तक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अफगानिस्तान	—	—	5	54	3	34
दुबई	*	*	*	*	3.5	58
मलयेशिया	69	1214	63	1131	55.5	985
नेपाल	3	28	2	25	2	14
कतार	3	55	2	43	1	18
सिंगापुर	37	552	31	512	27	460
स्विटजरलैंड	—	—	बहुत कम	3	4	85
अन्य देशों सहित योग	114	1875	105	1787	98	1689

टिप्पणी *वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिये दुबई के आंकड़े कतार में शामिल हैं।

Abolition of the post of Commissioner for Public grievances

6839. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the post of the Commissioner for Public grievances has been abolished, if so, the reasons therefor ;

(b) the name of the authority who has been entrusted with the work relating to ventilation of public grievances after abolition of this post ; and

(c) the total number of complaints received during 1969-70 and the number out of them disposed of by the Public Grievances Section and the number of those in respect of which correspondence is still going on with the Ministries/Departments concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The post of Additional Secretary and the Commissioner for Public Grievances has been discontinued and the Secretary, in the Department of Personnel functions as the Commissioner for Public Grievances. It is expected that the institution of Lokpal and Lokayuktas when set up would also take over the role of the Commissioner for Public Grievances.

(c) During the period 1969-70, 563 complaints were received in the Public Grievances Section of the Department of Personnel. Of these 470 complaints have been disposed of and the remaining complaints are being attended to in correspondence with the Ministries/ Departments concerned.

उत्तर प्रदेश में एस०ए०एक्स० की तरह के टेलीफोन केन्द्रों में वातानुकूलन व्यवस्था का अभाव

6840. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०ए०एक्स० की तरह के टेलीफोन केन्द्रों के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु वातानुकूलन संयंत्र आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में एस०ए०एक्स० की तरह के कितने ऐसे टेलीफोन केन्द्र हैं जिनमें वातानुकूलन संयंत्र नहीं लगाये गये हैं और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : एस०ए०एक्स० किस्म के एक्सचेंजों को वातानुकूलित करना अभी आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश का माईलानी टेलीफोन केन्द्र

6841. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी जिले में माईलानी टेलीफोन केन्द्र गत छ: महीनों से कार्य नहीं कर रहा है और गत दो वर्षों में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम हो गयी है ;

(ख) गत दो वर्षों में माईलानी केन्द्र से कितनी ट्रंक कालें बुक की गयी तथा कितनी सम्पन्न हुईं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत मई महीने में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने के कारण माईलानी एक्सचेंज के रख-रखाव में कठिनाई पैदा हुई। इसलिए इसका कार्य सुचारू ढंग से नहीं चल सका। पिछले दो वर्षों के दौरान टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 10 से घट कर 9 हो गई है। देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण तीन टेलीफोन काट दिये गये थे और दो नये कनेक्शन दिये गये थे।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस एक्सचेंज से बुक किए गये ट्रंक कालों की संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उनसे सम्बन्धित ट्रक टिकटों को सुरक्षित नहीं रखा गया है। इस एक्सचेंज से 1969-70 में 130 और 1970-71 में 40 कालें सम्पन्न हुई।

(ग) एक्सचेंज के साज-सामान को पूरी तरह ओवरहाल किया गया है और इसके कार्य पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

Foreign nationals and Missionaries registered under Foreigners' Registration Act, 1939

6842. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs be pleased to state** :

(a) the number of foreign nationals alongwith the number of those from prominent countries living in India who have been registered under the Foreigners' Registration Act, 1939 and the Rules framed thereunder, at the end of December, 1970 ; and

(b) the number of foreign missionaries registered up to December, 1970 and the names of those who belong to prominent countries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b). Complete information for the year 1970 is not yet available. However, a statement showing the number, as on the 1st January, 1970, of foreigners and foreign missionaries registered in India and the number of them from prominent countries is attached.

Information regarding the names of missionaries belonging to prominent countries is not readily available. Its collection will involve considerable time and labour.

STATEMENT

Statement showing the number of foreigners and foreign missionaries registered in India as on the 1st January, 1970.

(a) *Foreigners*

TOTAL	63,470
Afghan	2,335
American	3,839
Chinese	7,526
French	2,099
German (W)	2,027
Iranian	4,794
Italian	821
Japanese	874
Russian	2,641
Thai	1,290
Tibetan	23,399

(b) *Foreign Missionaries* :

TOTAL	5,768
American	1,034
Belgian	271
French	323
German	321
Italian	508
Spanish	335
British	1,124
Australian	228
Irish	358
Canadian	406

प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के लिए भर्ती सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना

6843. **श्री शिव पूजन शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8406 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विभिन्न पदों पर भर्ती सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप से तैयार करने तथा वरिष्ठता सम्बन्धी विवादों को निपटाने का मामला कितने समय से विचाराधीन पड़ा है तथा नियमों को अन्तिम रूप से तैयार करने में कितना समय लगेगा ;

(ख) नियमों के अन्तिम रूप से तैयार होने के कारण अतिक्रमण तथा स्थायीकरण न किये जाने से कितने व्यक्तियों को हानि हुई है ;

(ग) गृह मन्त्रालय के 27 अक्तूबर, 1969 के आदेशों के जारी होने के बाद अस्थायी पदों सम्बन्धी पुनर्विलोकन के पश्चात् से कितने अस्थाथी कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य विभागों से पुनर्नियुक्ति पर आये तथा इस निदेशालय के गैर-कार्यकारी पदों पर कार्य कर रहे कितने-कितने व्यक्तियों को कार्यकारी पदों पर पदोन्नत भर्ती किया गया है ; और

(ङ) क्या बाहर से आये व्यक्तियों की उक्त पदों पर नियुक्ति से कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है ; और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रवर्तन निदेशालय में 1969 के पूर्व सृजन की गई श्रेणी I तथा श्रेणी II पदों के लिये भर्ती नियम पहले से ही विद्यमान हैं। श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती नियम प्रारूप बहुत समय पूर्व से ही विचाराधीन हैं, और भविष्य में शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है। संगठन में वरिष्ठता के विषय में विवाद को ध्यान में रखते हुये, कार्यविधिक तथा विधि सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने के कारण विलम्ब हुआ है ।

(ख) तथा (ग). ऐसे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्थायीकरण का प्रश्न,

नियमों को अन्तिम रूप देने तथा वरिष्ठता से सम्बन्धित विद्यमान दावों को निपटाने पर लिया जायेगा। अधिक्रमण इत्यादि के मामलों के न होने देने की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

(घ) 1968-70 की अवधि के दौरान 30 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। इसी अवधि में छः अधिकारियों को गैर-कार्यकारी पदों से श्रेणी III के कार्यकारी पदों में नियुक्त किया गया था।

(ङ) भर्ती नियमों के प्रारूप के अधीन विभागीय उम्मीदवारों के लिए कुछ कोटे का प्रस्ताव किया गया है और ऐसे पदों पर गैर-विभागीय उम्मीदवारों को नहीं रखा जाता है।

पंचवर्षीय योजनाओं के विज्ञापन के बारे में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा शुरू किया गया अध्ययन

6844. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में चार विज्ञापनों पर, प्रतिक्रिया का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). कोई अध्ययन नहीं किया गया, परन्तु यह जानने के लिए कि क्या सरकारी विज्ञापन पढ़े जाते हैं, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने एक समाचार-पत्र विज्ञापन के फुटनोट के द्वारा पाठकों को यह पेशकश की थी कि यदि वे चाहे तो 'इंडिया टुडे' नामक पुस्तिका निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

इस पुस्तिका में देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर सांख्यिकीय सूचना दी गई है।

इस पेशकश की प्रतिक्रिया में निदेशालय को 18 जून, 1971 और 26 जुलाई, 1971 के बीच पुस्तिका के लिए 33,000 पत्र प्राप्त हुए। उन समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं, जिनमें प्रश्नास्पद चार विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे, की खपत संख्या का विचार करते हुए, प्रतिक्रिया 9.4 प्रति हजार पाठक है जो एक अच्छी प्रतिक्रिया मानी जाती है।

फैशन के वस्त्रों का निर्यात

6845. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैशन वस्त्रों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने-कितने मूल्य के फैशन के वस्त्रों का निर्यात किया गया ; और

(ग) जिन देशों को इन वस्त्रों का निर्यात किया गया है उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). फैशन वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है :—

1969	55.1 लाख रु०
1970	141.2 ,,
1971 (जनवरी-जून अनुमित)	80.2 ,,

1968 के लिए फैशन वस्त्रों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पश्चिमी यूरोप, स्केन्डीनेविया तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रकाशन के लिए रजिस्टर हुए दैनिक साप्ताहिक आदि पत्रिकाएं

6846. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कितने तथा किन दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं ने रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर आफ इंडिया के पास अपना नाम रजिस्टर कराया है ;

(ख) कितने प्रकाशकों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र दिए ; और

(ग) उनमें से प्रकाशन शुरू करने वालों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

'विवरण'

वर्ष	राज्य	रजिस्ट्रेशन के लिए दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रों के प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या।	उन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रों की संख्या जिन्होंने प्रकाशन शुरू किया।
1968	बिहार	132	27
	मध्य प्रदेश	228	44
	पश्चिम बंगाल	596	105
1969	बिहार	112	11
	मध्य प्रदेश	369	87
	पश्चिम बंगाल	576	75
1970	बिहार	168	21
	मध्य प्रदेश	380	83
	पश्चिम बंगाल	556	83

पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों की नई नीति से भारत को लाभ

6847. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी में मजूरी बिलों में वृद्धि के फलस्वरूप उक्त देश के उद्योगपतियों की नई नीति से भारत को पर्याप्त लाभ होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई-नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों ने उनके देश में बढ़ती हुई श्रम लागतों के फलस्वरूप अपने उत्पादन के कुछ अंश का विकासशील देशों को अन्तरण की कोई नई नीति सम्मिलित रूप से निश्चित नहीं की है, अपितु प्रत्येक फर्म स्वयं यह विनिश्चय करती है कि विकासशील देशों को अपने उत्पादन के किसी अंश का अन्तरण आर्थिक दृष्टि से साध्य और लाभकर है या नहीं, और यदि अन्तरण किया जाना है तो किस देश को किया जाए। इस प्रवृत्ति से भारत फायदा उठा सकता है बशर्ते हमारे निर्माता जर्मन फर्मों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करके उन्हें आश्वस्त कर सकें कि वे भारत को अपने द्वारा बनाई जाने वाली चीजों में से जो भी चीजें भारत में बनाने को देंगे उनके उत्पादन पर अधिक लागत न आने देने के साथ-साथ उनकी क्वालिटी का स्तर भी ठीक रखा जायेगा तथा साथ ही माल की सुपुर्दगी भी बिल्कुल ठीक समय पर की जाएगी। जर्मन पक्षकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के इच्छुक भारत स्थित निर्माताओं को सरकार सहायता दे रही है। परन्तु वस्तु स्थिति इस प्रकार की है कि दोनों ओर के पक्षकारों में रजामंदी हो जाने पर ही सौदा पट सकता है। सरकार के प्रयत्नों के परिणाम का आकलन कुछ समय पश्चात ही किया जा सकता है।

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों तथा वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं की जांच के लिये नियुक्त समिति की रिपोर्ट

6848. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों तथा वहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं की जांच के लिए पंजाब सरकार ने कुछ समय पूर्व एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिशों को सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये योजनाओं पर विचार करने हेतु अगस्त, 1967 में मंत्रिमण्डल को एक तदर्थ उप-समिति का गठन किया गया था।

(ख) और (ग). समिति की विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया ! देखिए संख्या एल० टी०—821/71**].

आसाम में पोस्टल स्टेशनरी की कमी

6849. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लखीमपुर जिले में मारगेरीटा लीडों तथा लाखापानी स्थानों पर टेलीग्राफ, मनीआर्डर तथा रजिस्ट्रेशन जैसे डाक प्रपत्रों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के कारण क्या हैं ; और

(ग) इन मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) कागज की कमी और रेल बुकिंग पर रोक लगाए जाने के कारण भारत सरकार के मुद्रणालयों से सप्लाई अपर्याप्ति होने की वजह से डाक सामग्री डिपो, कलकत्ता से फार्म प्राप्त नहीं हुये।

(ग) (i) अन्य कार्यालियों को भेजे जाने वाले फार्म यहां भेज कर सप्लाई की व्यवस्था की गई है।

(ii) जिन फार्मों की सप्लाई कम है पोस्टमास्टर जनरल, शिलांग ने उन्हें स्थानीय रूप से छपवाने के लिए कार्रवाई की है।

(iii) जिन फार्मों की जरूरत है उन्हें डाक सामग्री डिपो, कलकत्ता से सड़क परिवहन के जरिये लाने की व्यवस्था पोस्टमास्टर जनरल, शिलांग ने की है।

(iv) रेलवे प्राधिकारियों को लिखा गया है कि बुकिंग पर जो रोक लगाई गई है उसमें डाक-तार फार्मों के मामले में ढील दी जाए।

संकटग्रस्त मिलों के मजदूरों को बोनस प्रदान करना

6850. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत नियन्त्रक द्वारा निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार संकटग्रस्त मिलों को बोनस दिया आयेगा और यदि हां, तो कैसे और किस प्रकार दिया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार अथवा राष्ट्रीकृत कपड़ा निगम ने यह पुनरीक्षित नीति अपनाई है कि संकटग्रस्त मिलों के मजदूरों को बोनस का भाग नहीं मिलेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में संकटग्रस्त मिलों के इन मजदूरों को बोनस देने के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मजदूरों को बोनस का भुगतान, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आता है अतः प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा नियमों तथा विनियमों के विहित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग). चूंकि प्राधिकृत नियंत्रकों के अधीन अधिकांश मिलें हानि उठाती रही हैं अतः वे बोनस देने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ मिलों के बारे में न्यायालयों ने यह विनिर्णय किया है कि उपर्युक्त अधिनियम इन मिलों पर लागू नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से छीनी गई बन्दूकें तथा आग्नेयास्त्र

6851. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 में और 30 जून, 1971 तक पश्चिम बंगाल में पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों से कुल कितनी बन्दूकें तथा अन्य आग्नेयास्त्र छीने गये ; और

(ख) उनमें से कितने हथियार बरामद कर लिये गये हैं और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आसाम में पाक राष्ट्रिकों तथा घुसपैठियों का प्रवेश

6852. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा 1970 के अन्त तक आसाम में प्रवेश करने वाले पूर्व पाकिस्तान के व्यक्तियों तथा घुसपैठियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि में इनमें से कितने पाकिस्तानियों तथा घुसपैठियों को निकाला गया ;

(ग) क्या निकाले गये पाकिस्तानियों में से हजारों पाकिस्तानी बंगला देश के शरणार्थियों के साथ पुनः आसाम में दाखिल हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे शरणार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) असम में प्रवेश करते हुए पकड़े गये पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या वर्षवार इस प्रकार हैं :

1968	5962
1969	2447
1970	1085

(ख) इसी अवधि में निर्वासित किये गये पाकिस्तानियों की संख्या इस प्रकार है :

1968	4709
1969	2060
1970	550

(ग) और (घ). बंगला देश से भारत में उमड़ रही शरणार्थियों की भीड़ के साथ निर्वासित किये गये घुसपैठियों की असम में पुनः प्रवेश करने की सम्भावना है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे निर्वासित, समाजविरोधी तत्व और तोड़-फोड़ करने वाले शरणार्थियों के वेष में हमारे देश में घुसपैठ न करें इस हेतु बड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहायता

6853. **श्री देवेन्द्र सिंह गर्चा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा, परिवार नियोजन और गहन कृषि उत्पादन हेतु टेलीविजन साधन का प्रयोग बढ़ाने के लिये जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत की सहायता करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) ने फिल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, पूना में टेलीविजन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सहायता देना स्वीकार कर लिया है। भारत के टेलीविजन केन्द्रों के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा कार्यक्रम व्यक्तियों को इस संस्थान में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ख) इस संस्थान के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रायोजना के लिए यू०एन०डी०पी० के योगदान के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, यू०एन०डी०पी० इस संस्थान की स्थापना में सहायतार्थ तकनीकी विशेषज्ञ भी नियुक्त करेगा। शिक्षण कार्य में लगे भारतीय व्यक्तियों को भी यू०एन०डी०पी० की शिक्षा वृतियों पर विदेश में प्रशिक्षणार्थ भेजा जायेगा। इस प्रायोजना पर कुल 204 लाख रुपये खर्च होंगे, जिनमें से 88 लाख रुपये यू०एन०डी०पी० देगा तथा 116 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

6854. **श्री प्रताप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन में प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दिल्ली प्रशासन के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत दिल्ली प्रशासन के नियमित

पदों पर दिनांक 1-1-1971 को इस प्रकार है :

स्कंध	श्रेणी	भरे गये नियमित पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
कार्यकारी :					
	I	74	6	—	8.01
	II	286	11	—	3.84
	III	120	6	—	5.00
	IV	245	10	—	4.08
मन्त्रालयीय :					
	I	66	—	—	—
	II	363	2	—	·55
	III	1483	56	—	3.76
	IV	2450	267	—	10.89

जनुकू (आन्ध्र प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र के लिये किराये पर इमारत

6855. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के लिए जनुकू (आंध्र प्रदेश) में कोई इमारत किराये पर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इमारत किस तिथि को किराये पर ली गई थी ;

(ग) क्या प्रस्तावित नये टेलीफोन केन्द्र की स्थापना इस बीच की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) 1 मई, 1970 को।

(ग) इसकी स्थापना की जा रही है, लेकिन इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(घ) 480 लाइनों का एक सैंट्रल बैटरी मल्टीपल टाइप एक्सचेंज और मौजूदा 300 लाइनों के सैंट्रल बैटरी गैर-मल्टीपल एक्सचेंज को बदल कर उसकी जगह एक 4-पोजीशन टी०-43 ट्रंक एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है।

नये जैक स्ट्रिप की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण एक्सचेंज लगाने का काम रुक गया है। आशा है कि ये शीघ्र सप्लाई कर दिए जाएंगे और इस वर्ष के अन्त तक यह एक्सचेंज चालू कर दिया जाएगा।

राज रत्न टैक्सटाइल मिल्स आफ पैटलाड का श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल्स को हस्तांतरण

6856. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी मशीनों के कारण राज रत्न टैक्टाइल मिल्स आफ पेटलाड दिवालिया हो गई थी ;

(ख) क्या मार्च, 1971 से इस मिल को श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल द्वारा चलाया जा रहा है जिसने गुजरात उच्च न्यायालय में सब से अधिक टेंडर दिया था किन्तु सरकार ने अभी तक श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल्स को औद्योगिक लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किये हैं ;

(ग) क्या इसी मिल को चलाने तथा मशीनों को बदलने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है ; और

(घ) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, वित्तीय कठिनाइयां, पुरानी मशीनों का होना आदि इसके कारण हैं।

(ख) यह मिल मैसर्स श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०, पेटलाड द्वारा पुनः चालू की गई और पंजीकरण प्रमाण पत्र उनके नाम में 31 जुलाई, 1971 को अंतरित किया गया।

(ग) मिल चलाने के लिए लाइसेंस का होना आवश्यक है और सूती वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश 1948 के अन्तर्गत मशीनों को बदलने के लिए अनुमति लेना भी जरूरी है।

(ग) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में संशोधन किया जा चुका है और अब वस्त्र आयुक्त मशीनों को बदलने के लिये अनुमति दे देंगे।

राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के शाखा-सचिवालयों का खोला जाना

6857. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कितने राज्यों से विभिन्न मंत्रालयों के ब्रांच सेक्रेटेरियट खोले हैं अथवा खोलने का विचार है ; और

(ख) इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). तीन राज्यों में छोटे शाखा-सचिवालय कार्य कर रहे हैं। उन्हें स्थापित करने के संक्षेप में निम्नलिखित कारण हैं :

मंत्रालय/विभाग का नाम	स्थान का नाम जहां शाखा सचिवालय खोला गया है	कारण, संक्षेप में
1	2	3
1. पुनर्वास विभाग	कलकत्ता	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास देना।
2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	कलकत्ता	पुनर्वास विभाग के शाखा सचिवालय को वित्तीय सलाह देना।
3. विदेश मंत्रालय	कलकत्ता	पूर्वी बंगाल में उत्पन्न स्थिति और शरणार्थियों के भारी अन्तः प्रवाह के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के बारे में प० बंगाल और उत्तर-पूर्वी भारत की अन्य राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखना
4. गृह मंत्रालय	कलकत्ता	कानून और व्यवस्था, आदि संबंधी मामलों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्पर्क बनाए रखने के लिए कलकत्ता में शीघ्र ही एक शाखा सचिवालय खोलने का विचार है।
5. परमाणु ऊर्जा विभाग (प्रधान कार्यालय बम्बई)	नई दिल्ली	(i) परमाणु खनिज प्रभाग से सम्बन्धित सचिवालय-कार्य की देख-रेख करना, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है; (ii) अन्य मन्त्रालयों के साथ सम्पर्क बनाए रखना; और (iii) संसद सम्बन्धी कार्य की देख-रेख करना।
	मद्रास	उस क्षेत्र की परियोजनाओं के शाखा सचिवालय-कार्य की देख-रेख करना।
6. रेल मंत्रालय	कलकत्ता	रेलवे को लोहा, इस्पात, सामान, कोयला, आदि की सप्लाई में ताल-मेल रखना।

1	2	3
7. विधि मन्त्रालय	कलकत्ता, बम्बई और मद्रास	इन स्थानों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को कानूनी सलाह देना और मुकदमेबाजी के उन मामलों की सम्बद्ध उच्च न्यायालयों के समक्ष देखभाल करना जिनमें कि केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार हो। मद्रास शाखा सचिवालय केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के समक्ष चल रही मुकदमेबाजी से सम्बन्धित कार्य भी करता है।
8. पूर्ति विभाग	कलकत्ता, बम्बई (आन्तरिक वित्त अनुभाग)	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से प्राप्त की गई पूर्तियों (सप्लाईज) का लेखा संधारित करना।

Promotion of Vice-Principals in Delhi Schools

6858. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the rules governing promotions issued by his Ministry have been followed in the case of promotion of the Vice-principals of the Higher Secondary Schools under the Delhi Administration, Delhi ; and

(b) if so, the number of Vice-principals promoted so far and the number of persons belonging to the Scheduled Castes among them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) Eighteen persons have been promoted as Vice-Principals. No Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidate was, however, promoted because no reservations are provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion by selection to Class II posts but the concession of higher grading as provided in para 2B (w) of Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Est. (C) of 11th July, 1968 would be given to Soheduled Caste/ Scheduled Tribe employees in the zone of consideration. The post of Vice-Principal is a Class II post filled by promotion by selection. As there was no S. C./S. T. person in the zone of consideration for promotion to this post, the benefit higher grading as stated above could not be given to any SC/ST persons.

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर कलकत्ता की दो फर्मों को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देना

6859. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री निर्यात प्रोत्साहनों तथा आयात लाइसेंसों के वास्तविक उपयोग के बारे में समय-समय पर जांच के बारे में 14 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की दो फर्मों, एजेंट्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड और श्याम इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड को निर्यात गृहों के रूप में मान्यता दे दी गई है ;

(ख) क्या छापा मारे जाने के पश्चात ये दोनों फर्में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई गई थीं और इस पर जुर्माना किया गया था ;

(ग) क्या वे अब भी निर्यात हकदारी, प्रोत्साहन सम्बन्धी लाइसेंस, कोरे परमिट आदि जैसे सभी लाभ प्राप्त कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास पुलिस सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के कोटे के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश

6860. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मद्रास पुलिस सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये पदोन्नति-कोटे को 25 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत से बदल कर क्रमश: 40 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत कर दिया जाये ;

(ख) प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्विति में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कठिनाई है क्योंकि 10 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के समक्ष मद्रास पुलिस के 90 प्रतिशत अधिकारी सब-डिविजनल स्तर पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो पहले से श्रेणी की सेवा में नहीं है, की प्रगति के लिये अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रेणी 1 की रिक्तियों की संख्या जो पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं, बढ़ा कर अधिकतम 40 प्रतिशत कर दी जाये। यह एक सामान्य सिफारिश है और भारतीय पुलिस सेवा पर भी लागू होती है। सिफारिश विचाराधीन है।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर किया गया निर्णय तमिलनाडु राज्य के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में भी लागू होगा। जहां तक तमिलनाडु पुलिस सेवा के अधिकारियों का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार के विचार का मामला है।

मद्रास पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

6861. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की ओर से राज्य में प्रतिनियुक्ति पर बड़ी संख्या में अधिकारियों के, एकतरफा आगमन से मद्रास पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नतियों के अवसर बहुत कम हो जाते हैं ; और

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनों की तुलना में उन्ही के समान पद-

नाम वाले तथा उनके समान ही अपेक्षित स्तर, क्षमता तथा प्रतिभा से पूर्ण कार्य करने वाले मद्रास पुलिस सेवा के अधिकारियों के वेतनों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्र से राज्यों के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कोई नियमित या संगठित रूप से नहीं होती। अतः मद्रास पुलिस अधिकारियों के ऐसी प्रतिनियुक्ति के कारण अवसर कम होने का प्रश्न नहीं है।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और मद्रास पुलिस सेवा के सदस्य दो विभिन्न श्रेणी के हैं। भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य अखिल भारतीय सेवा के सदस्य है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनने वाले नियमों के नियंत्रण के अधीन है। दूसरी तरफ मद्रास पुलिस के अधिकारी राज्य सरकार के कमचारी हैं। इस प्रकार इन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। फिर भी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति होने पर भूतपूर्व तमिलनाडु पुलिस सेवा के अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती से आये अधिकारियों की सेवा की शर्तों के मामलों में समान समझा जाता है।

बड़ा डाकघर कड़प्पा, आंध्र प्रदेश

6862. **श्री० वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कड़प्पा आंध्र प्रदेश के बड़े डाकघर में पर्याप्त स्थान के अभाव, भीड़ तथा रोशनदान की कमी के कारण दैनिक कार्य में कठिनाई हो रही है तथा काम करना कठिन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान प्राप्त करने और उपयुक्त नई इमारत बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). कड़प्पा प्रधान डाकघर की इमारत बहुत पुरानी है। इस समय जितने स्थान की आवश्यकता है उसके एक तिहाई स्थान की इस इमारत में कमी है। मौजूदा इमारत को गिराकर एक नई इमारत के निर्माण की मंजूरी जारी की जा चुकी है और अब इस कार्य के लिये टेंडर मंगाए गए हैं। ज्यों ही प्रधान डाकघर के कार्यालय के लिए किराये की एक उपयुक्त इमारत उपलब्ध हो जायेगी, मौजूदा इमारत को खाली करके गिरा दिया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को निवेदन किया गया है कि जब तक नई इमारत का निर्माण कार्य पूरा न हो जाए, प्रधान डाकघर के लिए एक इमारत अलाट कर दी जाए।

बम्बई मद्रास रुट के टेलीफोन सर्किट की क्षमता

6863. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई मद्रास रुट पर टेलीफोन सर्किट क्षमता में वृद्धि करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस रुट पर उन महत्वपूर्ण कस्बों के नाम क्या हैं जिनमें 1970-71 में और अधिक सर्किट जोड़े गये हैं ;

(ग) क्या इस रुट पर अडोनी, गुंतकल और कड्प्पा कस्बों में अतिरिक्त सर्किट जोड़े गये हैं अथवा जोड़ने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बम्बई-पूना-बेलगाम-हुबली-बंगलूर-मद्रास कोएक्सल मार्ग पर विभिन्न स्थानों के बीच अतिरिक्त सर्किटों की योजना बनाई गई है। इसके लिए साज-सामान प्राप्त हो रहा है और इन्हें उत्तरोत्तर चालू कर दिया जाएगा। बम्बई और मद्रास के बीच पूना, सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा के मार्ग से वैकल्पिक माइक्रोवेव और कोएक्सल प्रणालियों की भी स्थापना की जा रही है।

(ख) 1970-71 में इस मार्ग पर विभिन्न स्थानों के बीच निम्नलिखित सर्किट जोड़े गए थे :

(i)	बम्बई-पूना	60 सर्किट
(ii)	पूना-लोनावाला	12 सर्किट
(iii)	पूना-सतारा	24 सर्किट
(iv)	पानावाला-खपौली	12 सर्किट
(v)	बंगलूर-टुंकुर	12 सर्किट
(vi)	गुंतकल-मद्रास	9 सर्किट

(ग) जी हाँ। सिन्दराबाद, कुरनूल, गुंतकल, अडोनी, अनंतपुर और बंगलूर का सम्बन्ध जोड़ने के लिए एक कोएक्सल केबल प्रणाली लगाने की स्वीकृति दे दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की वापसी

6861. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को ऐसी कौनसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि वे चिकित्सा पर किए गए व्यय को वापस ले सकें।

(ख) क्या महा डाकपाल, आन्ध्र सर्किल ने इनमें से कुछ सुविधायें न देने का निर्णय किया है और चिकित्सा पर किए गए व्यय को वापसी के लिए डिवीजनों को बहुत कम धनराशि दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की वही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवायें (चिकित्सा व्यवस्था) नियमावली 1944 के अन्तर्गत उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं। जिन मामलों में नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, उनके लिए डिवीजनों की सुपुर्दगी में आवश्यक निधि की व्यवस्था कर दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में हुए पत्रकार-सम्मेलन में पश्चिम बंगाल प्रशासन के विरुद्ध लगाये गए आरोप

6865. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्युनिस्ट (मा०) से सम्बन्धित दुर्गापुर परियोजना कर्मचारी संघ को कार्यकारिणी समिति के सदस्य, श्री विश्वनाथ घोष को डी० पी० एल० बस्ती में छुरा घोंप कर मार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/341 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन दो व्यक्तियों के नाम दोषी के रूप में दिए गए हैं वे फरार हैं।

विश्व युवक केन्द्र को वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ के माध्यम से सी० आई० ए० के धन की प्राप्ति

6866. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र को वर्ल्ड असैम्बली आफ यूथ के माध्यम से सी० आई० ए० का धन मिल रहा है ;

(ख) क्या इस केन्द्र के पास लुडगर एलिंग नामक एक पश्चिमी जर्मनी प्रोग्राम कन्सलटैन्ट था जिसके यहाँ पर ठहरने की अवधि को गृह मंत्रालय के कहने पर 1969 में बढ़ाया नहीं गया था और क्या वह व्यक्ति किसी अन्य प्रकार से फिर भारत में मौजूद है, और यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस केन्द्र ने, जिसका बाद में नाम इण्डियन असैम्बली आफ यूथ कर दिया गया था, अमरीकन पीस कोर को इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक रहने को सारा स्थान दे दिया था, और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस केन्द्र को कुल कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई ? और इसके बोर्ड तथा प्रबन्ध समिति में सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 4136 दिनाक 7-7-71 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमेरिकन पीसकोर द्वारा चलाये गये पीस कोर सेवकों

के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए हाल ही में केन्द्र के होस्टल में ग्रावास उपलब्ध कराया गया था।

(घ) सरकार ने विश्व युवक केंद्र को कुल 6,23,000 रुपये का अनुदान दिया है, जिसमें से 6,00,000 रुपये सदृश अनुदान के रूप में केन्द्र का होस्टल बनाने के लिए दिया और शेष 33,000 रुपये की राष्ट्रीय युवक मंडल (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा, जिसका केन्द्र एक सदस्य है, आयोजित विचार-गोष्ठी के लिए दिया है। सरकार ने केन्द्र को रियायती दर पर भूमि भी दी है। विश्व युवक केन्द्र के बोर्ड ग्राफ़ ट्रस्टीज के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित हैं :

१. श्री मोरारजी देसाई अध्यक्ष

२. श्री नवल एच० टाटा

३. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

४. श्री एस० पी० गोदरेज

५. श्री चरत राम

६. श्री बृज मोहन

७. श्री रविदत्त (एक्स ग्राफिसियो)

८. श्री रवीन्द्र वर्मा

९. श्री रामकृष्ण बजाज (मैनेजिंग ट्रस्टी)

बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज में सरकार का मनोनीत सदस्य कोई नहीं है। फिर भी, होस्टल मैनेजिंग कमेटी में पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. श्री रवीन्द्र वर्मा

२. श्री ब्रजमोहन

३. श्री इन्दर शर्मा

४. श्री कांतीलाल देसाई

५. श्री संयुक्त महा निदेशक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार।

६. श्री रामकृष्ण बजाज

विघटन तथा विचारधाराओं में विभेद के बारे में सम्मेलन

6867. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है जिसमें विघटन तथा विचारधाराओं में विभेद अवसरवादी गठजोड़, सरकार की अस्थिरता और राज्य विधान सभाओं में सदस्यों द्वारा बार-बार दल बदलने के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निकर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

राजेन्द्र कालेज, छपरा, बिहार के प्रिन्सिपल की हत्या की जाँच

6868. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो राजेन्द्र कालेज छपरा (बिहार) के प्रिन्सिपल की हत्या की जांच कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कामेश्वर सिंह महाराजाधिराज दरभंगा की मृत्यु के बारे में सन्देह

6869. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनता में यह सन्देह है कि दरभंगा के महाराजाधिराज श्री कामेश्वर सिंह की कुछ वर्ष पूर्व हत्या की गई थी और उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को इस मामले की जांच का कार्य सौंपा जा रहा है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में कुछ गांवों के हरिजन परिवारों की शिकायतों की जाँच

6870. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री हरि सिंह** :
श्री बी० एस० मूर्ति :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में, कुछ गांवों के गरीब हरिजन परिवारों को कुछ बड़े जमींदारों के दमन और आतंक के कारण अपने घरों से भागने के लिए विवश होना पड़ा है ;

(ख) क्या पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों तथा आरोपों की कोई जांच करने का आदेश दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जिला बुलन्दशहर तहसील खुर्जा के गांव जहीदपुर कलां के कुछ हरिजन जून, 1971 के अंतिम सप्ताह में प्रधान मन्त्री से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये गये हैं। भूमि के वितरण तथा मजदूरी में वृद्धि करने के प्रश्न पर गांव के कुछ दलों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। 7 जून, 1971 को जो घटनायें हुई उनमें एक हरिजन लड़का तथा एक दूसरी जाति का लड़का पीटा गया था। हरिजनों की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 323 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है जिसकी कानून के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है। राज्य सरकार ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गांव में शान्ति बनाये रखने तथा हरिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है।

मैसूर के राज्यपाल के विरुद्ध शिकायतें

6871. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री निहार लास्कर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के कुछ संसद-सदस्यों ने राज्य में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति संबन्धी शिकायतों के सम्बन्ध में मैसूर राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री को सम्बन्धित एक पत्र में मैसूर के कुछ संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ मैसूर सरकार के अन्तर्गत कुछ सांविधिक निकायों में हुई कुछेक नियुक्तियों के बारे में लिखा था। 2 जून, 1971 को जब राज्यपाल प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श के लिये आये तो इन विषयों का उनसे उल्लेख किया गया था, ताकि वे इसकी जाँच कर सकें।

राज्यपालों पर खर्च की गई धनराशि

6872. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यपालों पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त खर्च में कमी करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) राज्यपालों पर प्रति वर्ष खर्च की गई राशि की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। 1968-69 के वर्ष में जिसके शुद्ध खर्च के सम्पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं, 1,42,28,045 रु० की राशि व्यय की गई।

(ख) राज भवनों में व्यय में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Financial assistance for Bastar District in Madhya Pradesh

6873. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given any financial assistance for the development of Bastar District in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) if so, the total amount of financial assistance given for the purpose ; and

(c) the works undertaken for the development of the said district with the above financial assistance and the amount incurred on each development work ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b). Central assistance to Madhya Pradesh for the Fourth Five Year Plan, and for the Annual Plans forming part thereof, is given in the shape of block loans and block grants for the State as a whole. No part of the assistance is earmarked for Bastar district. The amount of assistance which goes into the development programme of Bastar district cannot, therefore, be separately indicated.

(c) Information relating to the works undertaken for the development of Bastar district under the State Plan and the Centrally-sponsored sector, is still awaited from the State Government.

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

6874. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन ग्रायोग की सिफारिश पर दिल्ली नगर निगम ने ग्रपने कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करते समय ग्रपने ग्रायुक्त की और अपने उपक्रमों के महाप्रबन्धकों की नियुक्ति ग्रौर ग्रनुशासन सम्बन्धी शक्तियों को कम कर दिया था ग्रौर उन्हें कम प्रभावी बना दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या शक्तियों में इस कमी का दिल्ली नगर निगम में 8-10 वर्ष तक सेवा कर चुकने वाले कुछ सहायक इंजीनियरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ग्रौर यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी वरिष्ठता ग्रौर सेवा को ग्रविच्छिन्नता की रक्षा करके उन्हें राहत देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम के ग्रनुसार नगर निगम द्वारा द्वितीय वेतन ग्रायोग की सिफारिश को स्वीकार करने पर वेतनमान के संशोधन से कतिपय पदों में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा ग्रायोग के साथ परामर्श करना ग्रावश्यक हो गया, जिनके लिए पहले ऐसे परामर्श की ग्रावश्यकता नहीं थी। ऐसे पदों के बारे में केन्द्र सरकार ग्रपील ग्रधिकार बन गई। वेतनमानों में संशोधन के बाद संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श के बिना कुछ सहायक इन्जीनियरों को तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त किया गया था। इन सहायक इन्जीनियरों ने एक रिट याचिका दायर की है जिसमें दावा किया है कि उन्हें ज्येष्ठता के मामले में वेतनमानों के संशोधन से पूर्व नियुक्त किये गये सहायक इन्जीनियरों के समान समझा जाय। मामला न्यायाधीन है।

रक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिये केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण की स्थापना

6875. **श्री ग्रार० पी० उलगनम्बी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण की स्थापना करने सम्बन्धी उस सुझाव की जानकारी है जो योजना ग्रायोग की ग्रनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों सम्बन्धी गोष्ठी ने दिया तथा जिसका समर्थन ग्रनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने किया था ; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि श्रेणी I और II पदों/सेवाओं में भर्ती साधारणतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, यदि प्रस्तावित केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण का सृजन किया जाय तो इसको श्रेणी III और IV की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनके उम्मीदवारों का केवल नामांकन करने का काम सौंपा जा सकता है। इस समय रोजगार कार्यालय सामान्य और श्रेणी III और IV पदों/सेवाओं में उनके लिए अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को बुलाता है और इसलिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण को सृजन करने का अर्थ एक अन्य समानान्तर प्राधिकरण स्थापित करना होगा । संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर पदों/सेवाओं के लिए आरक्षित और अरक्षित दोनों तरह के उम्मीदवारों के प्रवरण का उत्तरदायित्व नियुक्त प्राधिकारी पर है और केवल इस प्रकार के नियुक्ति प्राधिकारी ही, पदों सेवाओं के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उम्मीदवार की उपयोगिता का निर्णय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगा । आगे, विभिन्न प्रकार के श्रेणी III और IV के पदों पर आगे भर्ती सामान्य रूप से स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर इस प्रकार की जाती है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में इन सम्प्रदायों की प्रतिशतता के आधार पर इस प्रकार की भर्ती में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है । स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा नामांकित उम्मीदवारों के सम्बंध में इस प्रकार की रिक्तियों के लिए साधारण रूप से विचार किया जाता है और उन आरक्षित रिक्तियों के लिए जिन पर नियुक्ति स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का नामांकन करना व्यावहारिक नहीं होगा । सन् 1965 से जून, 1970 तक की अवधि में रोजगार कार्यालय अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 2,93,681 स्थान प्राप्त कर सका जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित केवल 70,535 रिक्तियां उनके लिए अधिसूचित की गई थी। इसी प्रकार से इस अवधि के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित 26,747 रिक्तियों के लिए जो उनके लिए अधिसूचित की गई थी, रोजगार कार्यालय 79,439 नौकरियां प्राप्त कर सका । अतः यह देखा जा सकता है कि रोजगार कार्यालय न केवल इन सम्प्रदायों के लिए आरक्षित रिक्तियो के हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को बुलाता है बल्कि अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों को छोड़कर भी सामान्य रिक्तियां और समस्त पदों के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों को लिया गया । यदि रोजगार कार्यालय द्वारा आरक्षित सम्प्रदायों के योग्य उम्मीदवार नहीं बुलाये गये हैं तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के पुनरक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी रिक्तियों का इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों संस्थाओं को अधिसूचित करने के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिया जाना चाहिए। तब से ये संस्थायें आरक्षित रिक्तियों के लिए भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का भी नाम भेज सकती है ।

अतः उक्त उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का नाम भेजने के लिए केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण का सृजन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति

6876. **श्री शिव पूजन शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति में दिल्ली में नियुक्त सम्पादक और श्रमजीवी पत्रकार हैं ; और

(ख) क्या वर्तमान केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति का एक गैर-सम्पादक सदस्य वर्ष 1971 के आरम्भ से प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया अथवा किसी अन्य समाचार संगठन के साथ कार्य नहीं कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्भवतया संदर्भ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति में नामजद श्री बी० आर० वत्स के बारे में है। श्री वत्स, जो प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के विशेष प्रतिनिधि हैं, बिना वेतन छुट्टी पर बताये गये हैं।

Demands made by Prajapatis

6877. **Shri Ram Chandra Vikal :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any delegation of the 'Prajapatis' throughout the country called on the Prime Minister in Delhi during the last week of June or first week of July, 1971 ;

(b) if so, the main demands made by them ;

(c) whether the Central Government or the State Governments have made any move to redress the grievances of the 'Prajapatis' ; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (d) On 1.7.71 approximately 400/500 persons led by S/Shri Ram Kishan and Hari Chand waited upon the Prime Minister and presented a Memorandum on behalf of Delhi Pradesh Prajapati Sangh (Regd.). Their main demands were (i) provision for easy availability of clay for manufacture of earthenwares (ii) Grant of bank loans and subsidies and (iii) allotment of shops in the newly constructed Government & semi-Government markets. Their Memorandum has been sent to Delhi Administration for appropriate action on 15th July, 1971.

Per capita income in Bihar

6878. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Planning be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2268 on the 16th June, 1971 regarding *per capita* income in Bihar and state :

(a) whether *per capita* income in Bihar State is lower than that of other States ;

(b) whether the Bihar State stood at the fourth place as regards the *per capita* in-

come at the time of the beginning of the First Five Year Plan and, if so, the reasons for which the *per capita* income has gone down so much now ;

(c) whether he proposes to chalk out any scheme to raise its *per capita* income ; and

(d) if so, the outlines of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) Comparable estimates for all States for the year 1950-51 are not available. It is not, therefore, possible to indicate the relative position of Bihar's *per capita* income at the beginning of the First Plan.

(c) & (d). The measures to accelerate the pace of development in Bihar in the Fourth Plan so as to raise the *per capita* income in the State were indicated in reply to Unstarred Question No. 2268 on June 16, 1 71. No fresh proposal is under consideration in this behalf at this stage.

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदा जिलों के विकास के लिए वित्त सम्बन्धी रियायत

6879 **श्री वी० के० दास चौधरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मालदा जिलों की प्रति व्यक्ति आय पूरूलिया की तुलना में कम है जबकि उस क्षेत्र में पुरूलिया को औद्योगक विकास में प्रोत्साहन देने के लिए पूंजी विनियोजन पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज सहायता देने की घोषणा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसी प्रकार की वित्त संबधी रियायत पुरूलिया जिले से आर्थिक दृष्टि से गरीब और पिछड़े क्षेत्र कूच बिहार और मालदा जिलों को देने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार 1961 में पुरूलिया जिले की प्रति व्यक्ति आय 191.5 रुपये थी जब कि कूच बिहार तथा मालवाह जिलों के सापेक्षिक आंकड़े क्रमशः 233.4 रुपये तथा 249.9 रुपये थे ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति के निर्णय के अनुसार केन्द्र से मिलने वाले सीधे अनुदान अथवा राज सहायता की पात्रता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक जिला चुनने की अधिकारी है । अनुदान अथवा राज साहयता की राशि औद्योगिक इकाइयों के स्थिर पूंजी निवेश के दसवें अंश के बराबद होती है । तद्नुसार इस हेतु पुरूलिया जिले को चुना गया है ।

वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त हेतु पात्रता के लिए पिछड़े जिलों के चयन का जहां तक प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि कूच बिहार तथा मालदा जिले पश्चिम बंगाल के उन 8 जिलों में शामिल हैं जो कि इस प्रयोजन के लिए चुने गए हैं ।

भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों को विदेशों से वापिस बुलाना

6880. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यधिक योग्य भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों आदि को

जो इस समय विभिन्न देशों में कार्य कर रहे हैं, देश से प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए वापस बुलाने के सतत प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इन भारतीय राष्ट्रजनों से क्या उत्तर मिले हैं ; और

(ग) क्या देश में विद्यमान परिस्थिति को देखते हुए तथा सम्बद्ध व्यक्तियों की अनिच्छा को देखते हुए सरकार देश में अनुकूल स्थिति उत्पन्न होने तक अपने प्रयत्न को स्थगित करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय वैज्ञानिकों एवं शिल्प-विज्ञानियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए कतिपय उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है ।

(ख) गत तीन वर्षों में 2679 भारतीय वैज्ञानिकों, इजीनियरों, डाक्टरों आदि, जो विदेशों में कार्य कर रहे हैं अथवा अध्ययन कर रहे हैं ने प्रति उत्तर में स्वेच्छा से अपने आपको भारतीय विदेश विभागों के राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत कराया है । ये लोग देर-सबेर, साधारण तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त करते रहते हैं ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण ।

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों का निर्माण जिन के लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है ।

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों को, जिन के विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तिक सम्पर्क' के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं । संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों का विदेशों में इंटरव्यू लेने की व्यवस्थाएं भी कर ली हैं ।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए तथा उन के नामों को सभी मन्त्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा वृहत् प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण । ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन

(सी०एस०आई०आर०) में प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 1,000 संस्थाओं को निःशुल्क बाँटी जाती है।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था, जो कि भारत में अनुसन्धान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

Raids by Central Excise Department in Madras

6881. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the officers of the Intelligence Branch of the Central Excise Department and the Enforcement Department conducted raids on some business premises in Madras during the first fortnight of April, 1971 and recovered documents relating to foreign exchange and Indian currency transaction ;

(b) if so, the estimated amount of foreign exchange and Indian currency which came to light as a result thereof ; and

(c) the number of persons against whom action was taken as also the nature of the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). Sixteen business and residential premises at Madras were searched by the officers of the Directorate of Enforcement in association with certain other Enforcement agencies on 5th April, 1971 for suspected violations of foreign exchange regulations. As a result of the searches, some documents and Indian currency of Rs. 1,39,165/- were seizeed and 29 persons have been arrested so far. As the matter is under investigation further action will be taken in the light of the results of the investigation. It is not possible at this stage to indicate the estimated involved in the transactions.

Repayment of amounts advanced to U. A. R. to facilitate trade between U. A. R. and India

6882. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the progress made in the repayment of the amounts advanced to the U. A. R. by the Government of India to facilitate trade between the two countries ; and

(b) the action proposed to be taken by Government in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b). A substantial part of the amounts advanced to the U. A. R. by the Government of India to facilitate trade between the two countries has been repaid by the U. A. R. by exports of cotton and the balance now outstanding is fully covered by the credit standing in UAR's current account and the amounts to be received from imports of rice from U. A. R.

भारतीय सीमा के अन्दर पाकिस्तान द्वारा गोली चलाया जाना

6883. **श्री प्रबोध चन्द्र** : **श्री एम० सत्यनारायण राव** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल से 8 जुलाई, 1971 तक पाकिस्तानी सेना ने हमारी सीमाओं के अन्दर कितनी बार गोली चलाई ;

(ख) गोली चलाये जाने की इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए ; और

(ग) ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 256 सभी घटनाएं बंगला देश से लगी भारत की सीमाओं पर हुई ।

(ख) मारे गये—63
घायल हुए – 122

(ग) सीमा सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की अखण्डता को कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा घुसपैठ, गोलाबारी इत्यादि समेत हमारी सीमाओं के किसी भी अतिक्रमण का शीघ्रता से और कारगर रूप से जवाब दिया गया है और दिया जायेगा । हमारी सेना को स्पष्ट आदेश हैं कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी घुसपैठी तत्वों को पीछे धकेल दे और सीमा पार से किसी प्रकार की भी गोलाबारी या फायरिंग का कारगर रूप से उत्तर दे ।

Import of Timber by Nepal from India

6884. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Nepal had been inporting timber from India for the last many years and has now stopped importing the Indian Timber ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Nepal has been importing small quantities of timber from India and has not imposed any restrictions of import of Indian timber.

(b) Does not arise.

दिल्ली में और अधिक सायरन लगाने की व्यवस्था करना

6885. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में केवल 38 'सायरन' हैं जबकि सामान्य आवश्यकता 98 सायरनों की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो शेष सायरन लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) दिल्ली छावनी समेत दिल्ली, नई दिल्ली और देहाती क्षेत्रों के लिए 96 सायरनों की आवश्यकता है जिस में केवल 38 सायरन लगाये गये हैं ।

(ख) 25 सायरन लगाये जा रहे हैं । शेष 33 सायरन तीसरे चरण में स्थापित किए जायेंगे अर्थात् 25 सायरन स्थापित करने का काम पूरा होने के तुरन्त बाद लगाये जायेंगे ।

पश्चिम बंगाल में मंत्रियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्ते

6886. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिस में मंत्रालय में राज्य मंत्री भी शामिल हैं 2 अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 तक त्यागपत्र देने की तिथि तक निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत वेतन और भत्तों के रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई : (1) वेतन (2) मकान किराया (3) मोटर भत्ता और (5) अन्य भत्ते ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—822/71]

गुजरात के कपड़ा मिलों के अचानक बन्द हो जाने के बारे में राज्यपाल की चेतावनी

6887. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राज्यपाल ने मिलों को अचानक बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध राज्य में कपड़ा उद्योगपतियों को चेतावनी दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना

6888. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बहुत से जिलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का काम पूरा नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के मुख्य नाम क्या हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यपालिका से न्यायपालिका को शीघ्र अलग करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सुधार कार्य केवल जलपाईगुड़ी, दार्जीलिंग, पश्चिम दीनाजपुर, मलडा, मिदनापुर और 24 परगना के छः जिलों में पूरा किया जाना है। राज्य सरकार को आशा है कि यह कार्य चार

जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद मिदनापुर और 24 परगना के दोनों जिलों में पूरा हो जायेगा।

(ग) केन्द्र सरकार को कोई सरकारी पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशिष्ट विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन

6889. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में संशोधन करने के लिये ऐसा विधान पेश करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उन कतिपय असाधारण विशेषाधिकार को समाप्त किया जा सके जिसका लाभ भारतीय सिविल सेवा सदस्य उठा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उसकी सम्भावित तिथि क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 314 के विलोपन के लिए उचित कार्रवाई करने का प्रश्न सरकार के यहां विचाराधीन है।

मनीपुर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाना

6890. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्णतया लागू कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम संतोषजनक रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि 1965 में उनके द्वारा दिए गये कार्यपालिका आदेशों के अन्तर्गत चार घाटी सब डिवीजनों पूर्वी इम्फाल, पश्चिमी इम्फाल, केन्द्रीय मणिपुर के बिशनपुर और थोबल जिलों को भारतीय दण्ड संहिता के विषय में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के शेष इलाकों की न्यायपालिका को अभी अलग नहीं किया है।

(ख) और (ग). जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मनीपुर में करघों की गणना

6891. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में पिछली बार करघों की गणना कब कराई गई थी तथा यह गणना किस एजेंसी के द्वारा कराई गई थी ; और

(ख) हथकरघों, लोनी करघों तथा अन्य किस्म के करघों की संख्या के बारे में क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) करघों की पिछली गणना संघशासित क्षेत्र के उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1959-60 में की गई थी।

(ख) करघों की कुल संख्या 2,00,259 थी ; जिनमें से 1,13,443 लाइन करघे, 50,282 प्रो शटल करघे तथा 36,534 फ्लाई शटल करघे थे।

उपकरण खरीदने के लिए हथकरघा बुनकरों को ऋण तथा अनुदान

6892. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार हथकरघा बुनकरों को तथा उनकी सहकारी समितियों को बुनाई उपकरण खरीदने के लिए ऋण तथा अनुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना अवधि में अब तक बुनकरों को ऋण के रूप में तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में भुगतान करने पर विचार कर रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, परन्तु ऋण तथा अनुदान केवल प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को ही दिए जाते हैं।

(ख) विभिन्न योजनाओं की अवधि में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में दी गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

योजना	ऋणों की धनराशि	अनुदानों की धनराशि
प्रथम	शून्य	5,545
द्वितीय	1,350	55,523
तृतीय	9,075	27,225
चतुर्थ	20,665.50	63,346.50

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के० उद्योगों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना

6893. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है ; और

(ख) प्रत्येक उद्योग में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी तैनात किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सूचना अनुलग्नक में दी जाती है ।

विवरण

उन सार्वजनिक उपक्रमों के नाम जहाँ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रतिष्ठापित कर दिया गया है ।

	तैनात किये गये कर्मचारियों की संख्या
1. एफ़० ए० सी० टी० कोचीन डिवीजन	159
2. हलदिया तेलशोधन कारखाना	53
3. दुर्गापुर स्पात संयंत्र	1117
4. खनन तथा सम्बद्ध मशीनरी निगम	232
5. ऐलाय स्टील प्लांट	195
6. डिगाघाट में भारतीय खाद्य निगम डिपो	46
7. मोकामेह में भारतीय खाद्य निगम डिपो	60
8. मद्रास उर्वरक लि०, मनाली	57
9. सौलवेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, उज्जैन	10
10. एफ़० सी० आई० ड्राम्बे यूनिट	192
11. हिन्दुस्तान शिपयार्ड कोचीन प्रोजेक्ट	59
12. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	59
13. एफ० सी० आई० बरौनी यूनिट	96
14. नारकोटिक्स फ़ैक्टरी, नीमच	45
15. भारतीय खाद्य निगम डिपो, गया	66
16. नारकोटिक्स फ़ैक्टरी, गाज़ीपुर	122
17. भारतीत खाद्य निगम डिपो, फुलवारी शरीफ	34

18.	बोकारो इस्पात लि०	555
19.	औप्थालिमक ग्लास फैक्टरी, दुर्गापुर	31
20.	आई० डी० पी० एल० हैदराबाद का सिन्थैटिक्स ड्रग्स प्रोजैक्ट	30
21.	मोरमुगोवा पोर्ट ट्रस्ट	53
22.	कलकत्ता पोर्ट	769
		4040

टिप्पणी : क्रम संख्या 18 से 22 तक के उपक्रमों में बल अन्शतः प्रतिष्ठापित किया गया है ।

बिहार में पिछड़े क्षेत्र

6894. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) किन क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से उद्योगों को रियायती दर पर मिलने वाले धन हेतु पात्रता के लिये 9 जिलों (अर्थात् सन्थाल परगना भागलपुर, पालामाऊ, चम्पारन, सारन, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा सहर्षा) का प्रस्ताव किया था । इनमें से दरभंगा तथा भागलपुर जिलों को केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले सीधे अनुदान अथवा राज सहायता (सब्सिडी) के लिये प्रस्तावित किया गया था जिसकी राशि औद्योगिक इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के दसवें भाग के बराबर होती है । राज्य सरकार के प्रस्तावों की सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श पर जांच की गई तथा प्रस्तावों के अनुसार रियायती वित्त के लिए 9 जिलों को तथा 10 प्रतिशत केंद्रीय राज सहायता के लिये 2 जिलों के चयन का अनुमोदन किया गया है ।

मैसूर राज्य के तुमकुर जिले का विकास

6895. **श्री के० लकप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के तुमकुर जिले के विकास के लिये जो उस राज्य का पिछड़ा हुआ जिला है चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ विशेष उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके विकास के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). तुमकुर जिले में सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूर परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । तुमकुर को, निजी

क्षेत्र में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले रियायती वित्त के लिए भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्र के रूप में चुना जा चुका है। जहां तक राज्य योजना के अन्तर्गत किये गये उपायों का सम्बन्ध है, मैसूर सरकार से सूचना भेजने के लिये अनुरोध किया जा चुका है।

सिनेमा घरों के लिए अपेक्षित आयातित रोटेटिंग कारबनों की कमी

6896. **श्री इन्द्रजीत सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े सिनेमा घरों के लिए अपेक्षित आयात किये गये रोटेटिंग कारबनों की भारी कमी है ;

(ख) क्या लगभग एक वर्ष पहले यू० ए० ए० आई० डी० योजना के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम को इस प्रयोजन के लिये 17 लाख रुपयों के मूल्य के लाईसेंस जारी किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कोई क्रयादेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सिनेमा व्यापार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). सिनेमा कार्बनों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य व्यापार निगम को कार्बनों का, जिनमें 8 लाख रु० के रोटेटिंग आर्क कार्बन भी शामिल है, आयात करने के लिए 17 लाख रु० के कुल मूल्य के दो लाइसेंस अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अभिकरण के अन्तर्गत दिये गये थे। राज्य व्यापार निगम ने 12 लाख रु० के आयात के लिए क्रयादेश पहले ही दे दिए हैं और उनके शीघ्र ही भेजे जाने की आशा है ब्रिटिश ऋण के अन्तर्गत राज्य व्यापार निक्म को 4 लाख रु० का एक और लाइसेंस रोटेटिंग आर्क कार्बनों के आयात के लिए जारी किया गया है और वे उनके आयात की व्यवस्था करने के तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर रहे है। कमी की पूर्ति करने के लिए कुछ माल हवाई जहाज से मंगाया जाएगा। क्रयादेशों के देने में कुछ देर अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण पर लागू शर्तों के कारण हुई थी।

उत्तर-पूर्व परिषद् की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

6897. **श्री मुहम्मद शरीफ** : **श्री पी० गंगादेव** :
श्री निहार लास्कर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उत्तर-पूर्वी परिषद् की स्थापना के लिए हाल में किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार विमर्श किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देने की मांग को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने के सरकार के निर्णय

की घोषणा करते हुए यह भी बताया था कि समन्वित रूप से कार्य करने के महत्व को दृष्टि में रख कर ब्यौरे तैयार किये जाये। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मन्त्रियों से इस कार्य के विस्तृत ब्यौरों के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है।

मुख्य मन्त्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा राज्यों में पृथक झंडा लगाये जाने की मांग के बारे में निर्णय

6898. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मन्त्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा अपनी कार और निवास स्थानों पर पृथक झंडे लगाये जाने की माँग के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये निर्णय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के लिये निगम

6899. **श्री मुहम्मद शरीफ : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कुछ संसद सदस्यों ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के लिए निगम बनाने के लिए कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार प्रेस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के फैलाव की सम्भावना के बारे में विचार कर रही है।

तेलंगाना का विकास

6900. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष तेलंगाना क्षेत्र में विशेष विकास योजनाएं आरम्भ करने तथा इन्हें क्रियान्वित करने के लिये अधिक स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). तेलंगाना के त्वरित विकास के लिए विशेष विकास-योजनाएं जिनकी लागत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 45 करोड़ रुपये होगी, पहले ही हाथ में ले ली गई हैं। ये योजनाएं क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों पर तैयार की जाती हैं और तेलंगाना विकास समिति तथा योजना कार्यान्वियन समिति द्वारा तथा प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर बुलाई गई पुनरीक्षण बैठकों के माध्यम से भी उनके कार्यान्वियन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इस प्रयोजन के लिए किसी स्वायत्त निकाय का गठन करने का विचार नहीं है।

मंत्रियों द्वारा की गई स्थानीय और ट्रंक कालों पर हुआ व्यय

6901. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-मार्च, 1971 की अवधि के दौरान मंत्रि-परिषद् के सदस्यों ने स्थानीय ट्रंक कालों के लिए कितनी राशि अदा की ;

(ख) उक्त भुगतान का व्यौरा क्या है, अर्थात् कितनी राशि व्यक्तिगत हिसाब में दी गई तथा कितनी राशि सरकारी हिसाब में दी गई ; और

(ग) वर्ष 1970 में इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें यह सूचना दी गई है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये** संख्या एल० टी० 823/71]

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें यह सूचना दी गई है। [**ग्रन्थालय में रख दिया गया।** देखिये संख्या एल० टी०—823/71]

'नेफा' क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियाँ

6902. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने बहुत समय पूर्व से 'नेफा' में अपनी गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ राज्य-क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में जबकि बंगला देश से भारी संख्या में आये शरणार्थियों के कारण चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है, कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) विधि और व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है परन्तु सतर्कता बरती जा रही है।

'नेफा' में संचार व्यवस्था

6903. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के चीन-भारत विवाद के दौरान हमारे संचार के साधन बहुत अपर्याप्त थे ;

(ख) यदि हां, उसके पश्चात सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ;

(ग) क्या नेफा' के लोहित जिले में हिमलियोंग से वालोंग सड़क का क्षेत्र अत्यन्त उपेक्षापूर्ण है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी नहीं। 1962 के

भारत-चीन संघर्ष के दौरान नेफ़ा में 28 डाकघर काम कर रहे थे। छः जगहों पर बेतार के जरिये तार सुविधा दी गई थी। ये जगहें शिलांग से जोड़ी गई थीं। तेजू में एक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा था। उसके बाद नेफा में 41 और डाकघर खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त 8 और बेतार तार सर्किट और 2 रेडियो टेलीफोनी सर्किट लगा दिये गये हैं। सात नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये हैं और तेजू के एक्सचेंज को 50 लाइन मैगनेटो से बदल कर 100 लाइनों का आटोमेटिक एक्सचेंज बना दिया गया है।

(ग) नेफा के लोहित जिले में हियूलियोंग से वलोंग रोड के इलाके में हियूलियोंग, होवाई और वलोंग में तीन डाकघर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां तार और टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) नेफ़ा प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस इलाके में और अधिक डाकघरों की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जायेगा। तेजू-हियूलियोंग और तेजू-वलोंग के बीच बेतार तार सुविधा देने का प्रस्ताव है।

बंगला देश में सैनिक अत्याचार पर वृत्त-चित्र

6904. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में सैनिक अत्याचारों का चित्रण करने वाले कुछ वृत्त-चित्र बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या हाल में बंगला देश से वापस आये कुछ विदेशियों ने सरकारी एजेन्सियों को कुछ चित्र दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे वृत्त-चित्र कब बनाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी): (क) और (ग). फिल्म प्रभाग बंगला देश पर फ़िलहाल तीन वृत्त-चित्र बना रहा है जिनमें पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा किये गये अत्याचारों का भी चित्रण किया जायेगा। आशा है ये चित्र शीघ्र ही मुकम्मल हो जायेंगे।

फिल्म प्रभाग इस विषय पर दो वृत्त-चित्र तथा चार न्यूजरीलें पहले ही बना चुका है। इसके अतिरिक्त फिल्म प्रभाग ने एक गैरसरकारी निर्माता द्वारा बनाया गया एक वृत्त चित्र खरीद कर रिलीज किया।

(ख) जी, नहीं। तथापि, टेलीविजन केन्द्र, नई दिल्ली की मार्फत 'विसन्यूज' से प्राप्त बंगला देश से सम्बन्धित कुछ चित्र न्यूजरील में शामिल किये गये थे।

औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत सूती कपड़ा मिलों की जाँच

6905. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ और सूती कपड़ा मिलों की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन सूती कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने का निर्णय कर लिया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) जहांगीर वकील मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद।

राजनगर स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० अहमदाबाद।

सैक्सरिया काटन मिल्स लि०, बम्बई।

प्रभा मिल्स, वरिमगाम।

एडवर्ड मिल्स कं० लि०, ब्यावर।

बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लि०, कासिम बाजार।

मनिन्द्रा मिल्स लि०, कासिम बाजार।

बंगाल फाइन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स लि० सं० 1 तथा 2 कोननगर।

कन्ननूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कन्नूर।

मैसूर स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बंगलौर।

मिनर्वा मिल्स, लि०, बंगलौर।

अहमदाबाद जुपिटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० बम्बई।

(ग) जी नहीं। जांच समिति की रिपोर्टों पर, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से, विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी के 'स्टाफ आर्टिस्टों' की मांगें

6906. **श्री एम० एम० बनर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के 'स्टाफ आर्टिस्टों" की मांगें पूरी न होने के कारण उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके संगठनों के साथ बातचीत द्वारा फैसला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) और (ख). स्टाफ आर्टिस्टों की मांगों पर उनकी मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समय-समय पर बातचीत होती रहती है। उसकी कुछ मांगों को निपटाया जा चुका है, किन्तु फीस के ढांचे को युक्तियुक्त बनाने जैसी महत्वपूर्ण बातों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय एकता के बारे में सीमांत क्षेत्रों में प्रचार

6907. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमांत प्रचार एजेन्सियों ने एकता के मामले में राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के बारे में सीमाओं के निवासियों को सब समाचारों से अवगत और चौकस रखने के गहन प्रयास किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रचारात्मक कार्यक्रम तैयार करते समय राष्ट्रीय जागरूकता तथा एकता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । इन कार्यक्रमों में पीचर फ़िल्मों, डाकुमेंट्री फिल्मों, गीत तथा नाटक प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों, कलेन्डरों, पोस्टरों तथा पैम्फ्लेटों तथा परस्पर बातचीतों के माध्यम से किये जाने वाले विशेष अभियान शामिल है । आकाशवाणी द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रचारात्मक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए शिमला तथा जोधपुर में उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर पहले ही चालू किये जा चुके हैं । नजीबाबाद, शिलांग तथा गोरखपुर में भी इसी प्रकार के ट्राँसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

नौगांग जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण की गई गिरफ्तारियां

6908. **श्री एम० एम० जोजफ** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जुलाई, 1971 के महीने में नौगांग जिले के मोराफास में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

फैशन के वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि

6909. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में फैशन के वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है और तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जी हां।

जनवरी-जून, 1970 के दौरान लगभग 68.8 लाख रु० के फैशन परिधानों के निर्यात की तुलना में वर्ष 1971 की उसी अवधि के दौरान फैशन परिधानों के निर्यात लगभग 80.2 लाख रु० के थे, अर्थात 11.4 लाख रु० अधिक के थे।

राजभवनों में विकास पर अत्यधिक व्यय

6910. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभवनों में विकास पर अत्यधिक व्यय के विरुद्ध जनता द्वारा की जाने वाली आलोचना के बारे में प्रधान मंत्री ने सभी राज्यपालों को कोई पत्र भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उत्तर मिला ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) और (ख). राजभवनों के व्यय में कमी करने के उपायों का पता लगाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए हाल में प्रधान मंत्री ने राज्यपालों को एक पत्र भेजा है। सम्पूर्ण प्रश्न का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के केन्द्रीय सरकार के निश्चय की भी उन्हें सूचना दी थी। अपने उत्तर में राज्यपालों ने समिति को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

सदस्यों द्वारा बंगला देश के मामले में साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारने में अन्तर्ग्रस्त साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

6911. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने ऐसे साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है जो बंगला देश के मामले में तोड़-मरोड़ कर साम्प्रदायिक भावनाएं पैदा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली प्रदेश सांप्रदायिकता बिरोधी समिति की ओर से दिनांक 29-7-1971 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें हस्ताक्षर करने वालों में एक संसद सदस्य भी शामिल हैं। ज्ञापन में यह तर्क दिया गया है कि सांप्रदायिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और जमाते इस्लामी बंगला देश के प्रश्न को सांप्रदायिक मोड़ दे रहे हैं और ऐसे संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है।

(ख) सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निपटने वाला आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 चौथी लोक सभा में सितम्बर, 1970 में विरोधी दलों द्वारा विरोध करने पर प्रारम्भिक अवस्था में ही वापस लेना पड़ा था। आगे की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

पट्टिकाट डाकघर, त्रिचूर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6912. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिचूर जिला (केरल) के पट्टिकाट डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के बारे में पट्टिकाट की जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांग स्वीकार कर ली गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, यह सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सामान की सख्त कमी के कारण यह काम रुका पड़ा है।

मैसूर राज्य में "कावेरी सेना" की गतिविधियां

6913. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसूर राज्य में कावेरी सेना नामक स्थानीय संघठन के गठन और गैर-कन्नड़ी लोगों पर इसके द्वारा किये जाने वाले आक्रमणों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संगठन के कार्यों को समाप्त करने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1968 में कुर्ग जिले में एक स्वयं सेवी संगठन बनाया गया था जो अपने आपको "कावेरी सेना" कहता है। इसे जनता का कोई अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और शीघ्र ही निष्क्रिय हो गया। गैर-कन्नड़ी लोगों पर सेना के आक्रमण करने की कोई घटनाएं ध्यान में नहीं आई हैं।

केरल में काजू के कारखानों का राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना

6914. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के राज्य मंत्री के नेतृत्व में कोई गैर-दलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें काजू उद्योग की कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी थी ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा 20 कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए राज्य सरकार को धन देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिनिधिमण्डल को दिये गये वचनों को पूरा किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसा किया जा रहा है ।

हथकरघा उद्योग में बेरोजगारी

6915. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में हथकरघा उद्योग में कुल कितने श्रमिक नियुक्त थे ;

(ख) इस समय कितने श्रमिक नियुक्त हैं ;

(ग) इस उद्योग में कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये ; और

(घ) हथकरघा उद्योग में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये हाल में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (घ). ऐसा अनुमान है कि हथकरघा उद्योग लगभग 30 लाख बुनकरों और प्रारम्भिक स्तर के कार्यों आदि में लगे 45 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है । किसी विशेष समयावधि में इस उपयोग में नियोजित व्यक्तियों की संख्या के वास्तविक अथवा अनुमानित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

2. हथकरघा उद्योग के विकास का कार्य मुख्यत: राज्य सरकारें करती हैं । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हाल में उत्पन्न हुई एकमात्र कठिनाई सूत को ऊंची कीमतों के सम्बन्ध में थी । इस कठिनाई को हल करने के लिए राज्यों के उद्योग/हथकरघा निदेशकों के माध्यम से हथकरघा व शक्तिचालित करघा बुनकरों और हौजरी एककों को धागे की पूर्ति करने हेतु साफ किये हुए सूती धागे का एक विशेष पूल बनाया गया था ।

वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत

6916. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन एक ही ग्रेड में अस्थाई बनाये गये केन्द्रीय सरकार के स्थाई कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धांत क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में वरिष्ठता का निर्धारण, जिन विभागों में वे गये हैं, उनमें स्थायित्व को ध्यान में रख कर या जिन विभागों से वे आये हैं उनमें स्थायित्व को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए ;

(ग) क्या कोई कर्मचारी, जिसका एक विभाग से केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभाग में स्थानांतरण लोक हित में नहीं होता है और जो दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत उसी ग्रेड में आता है अपनी वरिष्ठता को दिल्ली प्रशासन में किसी ग्रेड में आरम्भ से अपनी सेवा की लगातार अवधि से निर्धारित करवा सकता है ; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की गलत वरिष्ठता किस आधार पर रद्द करवाई जा सकती है, जिनके बारे में सरकार द्वारा इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध दूसरे उच्च वेतनमानों में धारित वरिष्ठता की अनुमति दे दी गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Propagation of 'Ram Charit Manas' Abroad

6917. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Home** Affairs be pleased to state whether Government are formulating any scheme for the propagation of 'Ram Charit Manas' abroad on the occasion of its Fourth Centenary ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home affairs (Shri Mohsin) : Ram Charit Manas Chatushati Rashtriya Samiti has proposed the following schemes for the propagation of Ram Charit Manas abroad :-

(i) Holding of a World Conference of Ramayana in which about 100 scholars from various countries will be invited to participate along with Indian Scholars.

(ii) Publication of an International edition on the subject of Ramayana containing pictures and select passages from the Ramayana Gatha in different countries of the world.

(iii) Inviting Ramayana Ballets from Indonesia, Thailand and Laos.

(iv) Sending of Ramayana Kathavachaks and speakers of Ram Charit Manas to various countries.

The question of giving financial and other assistance to the Samiti for carrying out the above programmes is under the consideration of the Ministry of Education and Social Welfare.

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम को अमान्य ठहराने के बारे में केरल विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

6918. श्री **ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम को अमान्य ठहराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसपर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-7-1971 को केरल विधान सभा ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव पारित किया जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है :

"यह सदन केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठायें ।"

(ख) अधिनियम को रद्द करने के लिए संसद में कोई प्रस्ताव रखने का विचार नहीं है ।

टेलीफोन उपकरण कारखाना, नैनी

6919. **श्री राजदेव सिंह :** क्या संचार मन्त्री नैनी स्थित आई० टी० आई० कारखाने पर पूंजीगत व्यय के बारे में 14 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 4805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनी में टेलीफोन उपकरण कारखाने के पूरा होने का क्या समय निर्धारित किया गया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : नैनी का टेलीफोन उपकरण कारखाना 1973-74 के दौरान उत्पादन आरम्भ कर देगा और 1977-78 में यह अपनी पूरी उत्पादन-क्षमता तक पहुँच जाएगा। यह कारखाना लोक-सभा के लिखित प्रश्न-संख्या 4805 के उत्तर में उल्लिखित लम्बी दूरी के पारेषण उपस्करण के निर्माण के कारखाने से भिन्न है। लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण का कारखाना 1971-72 के दौरान उत्पादन आरम्भ करेगा और 1973-74 तक इसके पूरी उत्पादन-क्षमता तक पहुंच जाने की आशा है।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं के संम्बंध में व्यापारिक करार के लिये रूस के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

6921. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नारियल जटा से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ व्यापारिक करार करने के लिये रूस के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था और किसी करार पर हस्ताक्षर किये बिना वह रूस लौट गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता टेलीफोन्स के विरुद्ध शिकायतें

6922. **श्री समर गुहा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एसिस्टैंस' 'डायरेक्टरी' 'इंक्वारी' मोर्निंग अलार्म काल' 'ट्रंक काल' 'फोनो-ग्राम' आदि के कार्यकरण के बारे में नागरिकों द्वारा 'कलकत्ता टेलीफोन्स' के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई हैं ;

(ख) क्या कलकत्ता में टेलीफोन बार-बार गलत नम्बर पर मिल जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह खराबी यंत्रों के कारण और मनुष्यों की असफलता के कारण किस हद तक होते हैं ; और

(घ) क्या सरकार कलकत्ता में टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार करने की जांच करेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित जून 1971 के निम्नलिखित ब्यौरे से यह स्पष्ट है कि शिकायतें बहुत ज्यादा नहीं है :—

1. एसिस्टेंस	5
2. डाइरेक्टरी इन्क्वारी	कोई नहीं
3. मोर्निंग अलार्म काल (याद दिहानी सेवा)	1
4. ट्रंक काल	51
5. फोनोग्राम	51

(ख) अक्सर गलत कनेक्शन नहीं लग जाते। जून के महीने के दौरान कुल 1.9 प्रतिशत कालें गलत लगी थीं। इनमें से 1.1 प्रतिशत मामलों में टेलीफोन उपभोक्ताओं का दोष था और .8 प्रतिशत विभागीय चूक के कारण थे।

(ग) ये शिकायतें मशीनी खराबियों के कारण हैं। इनमें मानव भूलें भी सम्मिलित हो जाती हैं जो कि कलकत्ता की असामान्य स्थिति के परिणामस्वरूप हुई।

(घ) जहां तक व्यवहार्य है, चालू परिस्थितियों के अंतर्गत सभी सेवाओं में सुधार लाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में विशेष जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कलकत्ता तथा बम्बई में नये टेलीफ़ोन के लिये आवेदन-पत्र

6923. **श्री समर गुह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और बम्बई में नई टेलीफोन लाइनों के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ;

(ख) वर्ष 1968 और 1970 की अवधि में कलकत्ता और बम्बई सर्किलों में कितनी नई टेलीफोन लाइनें मंज़ूर की गई ; और

(ग) इन दोनों नगरों में टेलीफोन लाइनों के नये कनेक्शन देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

कलकत्ता	35,788)	) 30 जून, 1971 को
बम्बई	84,040)	

(ख) कलकत्ता	10,228)
बम्बई	23,845)

(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त एक्सचेंज उपस्कर अलाट किया गया है, जो कि 1975 तक उत्तरोत्तर चालू कर दिया जाएगा।

कलकत्ता	59,100
बम्बई	62,150

Proposal to abolish Lottery system

6924. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to frame rules to abolish lottery system in the States ;

(b) if so, by what time ; and

(c) in not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government had considered the matter in all its aspects before permitting States to conduct lotteries, if they so desired, with the object of mobilising savings and locating funds for financing their Development plans etc.

पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी

6925. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई से 25 जून, 1971 के बीच पश्चिम बंगाल में बर्दवान में 12 पुलिस कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनको किस आधार पर बर्खास्त किया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 30 मई और 25 जून, 1971 के बीच जिला बर्दवान में दो कांस्टेबल (न कि 12) बर्खास्त किये गये ।

(ख) उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311, खण्ड 2, परन्तुक (ग) के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया था ।

आरामबाग पश्चिम बंगाल में संचार व्यवस्था में बाधा पड़ना

6926. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हरिनखोला के स्थान पर मुंडेश्वरी के ऊपर अस्थायी पुल टूट-फूट जाने के कारण पश्चिम बंगाल के आरामबाग सबडिवीजन में संचार व्यवस्था में बहुत बाधा पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं, दूर संचार सेवा में ऐसी कोई बाधा नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और गुंडों द्वारा मारे गये व्यक्ति

6927. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री अजय मुखर्जी के नेतृत्व में लोकतंत्रात्मक दलों की संयुक्त सरकार के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और गुंडों द्वारा कितने व्यक्तियों की हत्या की गई थी ;

(ख) कितने मामलों का पता लगा था ;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अभी और कितने व्यक्ति पकड़े जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारतीय यूरेनियम निगम के प्रबंधक निदेशक के विरुद्ध आरोप

6928. **श्री नवल किशोर सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूरेनियम निगम के प्रबंधक निदेशक और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिडेट के प्रबंधक निदेशक के विरुद्ध लगाये गये किसी ऐसे आरोप की जानकारी सरकार को नहीं है। तथापि, कर्मचारियों की भर्ती तथा कुछ फर्मों को दिये गये ठेकों के बारे में कम्पनी के एक अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायत मिली है, जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

सेरामपुर टेलीफोन केंद्र

6929. श्री **दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेरामपुर, उत्तरपाड़ा और चिनसुरहा, पश्चिम बंगाल के टेलीफोन केंद्र के अन्तर्गत रख रखाव तथा मरम्मत अनुभाग में बहुत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) चतुर्थ श्रेणी के बीस कर्मचारी हैं।

(ख) छह स्थायी हैं। बाकी कर्मचारियों में से जो स्थायी किये जाने के पात्र हैं, उन्हें स्थायी किया जा रहा है।

लुधियाना जिला (पंजाब) में ककराल कलां के एक प्रीतम दास नाम के व्यक्ति का लापता हो जाना

6930. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारकार का ध्यान लुधियाना जिला, पंजाब के ककराल कलाँ के प्रीतम दास, जिसको 17 अप्रैल, 1971 को सायं 5 बजे पुलिस की हिरासत में लिया गया था के लापता हो जाने की ओर दिलाया गया था ;

(ख) क्या पंजाब के राज्यपाल को प्रीतम दास के परिवार के सदस्यों और ग्रामवासियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि जिला लुधियाना, ककराला कलां गांव के निवासी श्री प्रीतम दास को स्थानीय पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तार या पुलिस हिरासत में नहीं रखा गया था।

(ख) और (ग). श्री प्रीतमदास के पिता श्री राजा राम से दिनांक 5 जुलाई, 1971 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी छान बीन की गई थी परन्तु उसमें लगाये गये आरोप साबित नहीं हो सके।

पश्चिम बंगाल में सेना का तैनात किया जाना

6931. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में उग्रवादी तत्वों को समाप्त करने के लिए सेना का प्रयोग आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस समय स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से अथवा स्वयं सेना द्वारा उनको समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है ; और

(ग) इस कार्य के क्या परिणाम निकले हैं और क्या इसे चालू होने से राज्य में राजनीतिक तथा अन्य हत्याओं की संख्या में कमी हुई है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से नवीनतम सूचना प्राप्त की जा रही है।

Declaration of Garhwal as backward District

6932. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of Planning be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2948 on the 23rd June, 1971 and state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have already declared Garhwal District as a backward district of Uttar Pradesh ;

(b) whether the Central Government also propose to declare the said District as a backward district ;

(c) if so, what time and, if not, the reasons therefor ; and

(d) the various facilities provided to the backward districts and the time by which these facilities are likely to be provided to Garhwal ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The identification of backward areas and the taking of measures for their accelerated development is essentially the responsibility of the State Government. On the recommendations of the State Government, Garhwal has already been included in the list of industrially backward districts to which concessional finance will be advanced by financial institutions. In addition Garhwal has also been included in the list of hill districts for the development programme of which a liberal pattern of Central assistance has been laid down by the Central Government.

(d) The main concessions allowed to backward districts are in the form of concessional finance for industrial development and Rural Electrification and, in some cases, a liberal pattern of Central assistance. The details of these are given in the attached statement.

"STATEMENT"

SPECIAL FACILITIES ACCORDED TO BACKWARD DISTRICTS

(i) A liberal pattern of Central assistance has been evolved for the development of hill and border areas. While the normal grant component in Central assistance has been fixed at 30%, in the case of these areas the Central assistance accruing on account of Plan expenditure incurred therein will qualify for a higher proportion of grant. The grant component for Meghalaya, Assam, Nagaland, Jammu & Kashmir (Ladakh and Himachal Pradesh (Lahaul, Spiti and Kinnaur districts) will be 90%, the balance of 10% being treated as loan. The pattern of Central assistance against expenditure incurred in the hill and border districts of Uttar Pradesh, Darjeeling (West Bengal) and Nilgiries (Tamil Nadu) will be 50% grant and 50% loan.

(ii) An importat measure for reducing disparities is accelerating the pace of industrial development in backward areas. The districts needing attention have been identified and notified with the cooperation of the State Governments in pursuance of the criteria laid down by the Pande and Wanchoo Committee Reports. Districts identified as industrially backward are eligible to get concessional finance for new industries from the financial and credit institutions. Garhwal is one of the Districts identified for getting these concessions. In addition, the Central Government is giving outright grant or subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment of new units having a total fixed investment of not more than Rs. 50 lakhs each, in two selected districts in each of the 9 States identified as industrially backward and one district in each of the remaining States and Union Territories. U. P. has been identified as one of the backward States for getting this conccession.

(iii) A Rural Electrification Corporation has been set up recently and is giving finance on concessional terms to State Electricity Boards for Rural Electrification Programmes in backward areas.

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

6933. **श्रीमान मान सिंह भौरा** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के राज्यपाल को पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा शिकायत की जांच की जा रही है ।

एडवर्ड सूती मिल्स, ब्यावर का पुनः खोला जाना

6934. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री एडवर्ड सूती मिल्स ब्यावर के बन्द होने के बारे में 7-7-1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडवर्ड काटन मिल्स ब्यावर को पुनः खोलने के लिए राजस्थान सरकार के साथ परामर्श करके प्रतिवेदन की जांच पड़ताल इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी राय दी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

अराजपत्रित कर्मचारियों के कांफिडेंशल रिपोर्ट लिखे जाने की प्रणाली को समाप्त करना

6935. श्री **रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अराजपत्रित संवर्ग के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कान्फिडेंशल रिपोर्ट' लिखे जाने की प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) केन्द्रीय कर्मचारियों के अराजपत्रित पदों के सभी संवर्गों को किस समुचित तिथि और महीने में प्रतिकूल टिप्पणियों के बारे में सूचना दी जाती है ; और

(ग) क्या सभी विभागों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि आने वाले वर्ष के छः महीनों में सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना दे दी जानी चाहिए ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). वार्षिक 'कान्फिडेंशल रिपोर्ट' में समाविष्ट प्रतिकूल टिप्पणियों, यदि कोई हों तो, को सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करने के सम्बन्ध में कोई नियत तिथि अथवा माह स्पष्ट नहीं किया गया है । तथापि, विद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिकूल टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, रिपोर्ट के पूर्ण होने से एक माह के बीच सूचित कर दी जानी चाहिये ।

Communal riots in Bihar

6936. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times communal riots broke out in the Bihar State during the years from 1969 to 1970 and the number of persons killed, injured, arrested and convicted as a result thereof, separately ;

(b) whether her Ministry had issued orders to the effect that immediate action should be taken against the Officers showing carelessness in the performance of their duties at the time of communal riots ;

(c) if so, whether any action has been taken against such Officers in Bihar ; and

(d) if so, their names and designations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) According to information received from the Government of Bihar, communal disturbances took place on four occasions in the State between 1st April 1969 and 31st March 1970. In these disturbances seven persons were killed, 25 were injured and 297 were arrested. No person has so far been convicted in cases arising out of the riots.

(b) In pursuance of a recommendation made by the National Integration Council, the State Governments were instructed to regard failure on the part of IAS and IPS officers posted in districts to deal effectively with communal tensions and disturbances as a dereliction of duty, entailing suitable disciplinary action.

(c) & (d). The Government of Bihar have informed that administrative inquiries were held into each of the aforementioned disturbances. It was not found necessary to initiate any disciplinary proceedings against any officer.

पटना में 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में कैम्प तार कार्यालय

6937. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पटना अधिवेशन में एक कैम्प तार घर खोला गया था ;

(ख) केन्द्रीय तार कार्यालय पटना के मुख्य सुपरिन्टेंडेन्ट ने इसके नाम में बहुत बड़ी धन-राशि का बहुत अधिक सामान खरीदा, किराए पर लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) खरीदे गये सामान का क्या बना ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का पटना में अधिवेशन 1969 में नहीं, बल्कि 1970 में हुआ था। इसमें एक कैम्प तार घर खोला गया था ;

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। बहरहाल 782.25 रुपए की राशि खर्च की गई थी।

(घ) यह सामान खप गया है या फिर स्टाक में पड़ा है।

कूच बिहार में 'काटन स्पिनिंग मिल'

6938. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तरी बंगाल के जिलों विशेष कर कूच-बिहार जलपाईगुड़ी में अच्छे किस्म की रूई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कच्चे माल की उपलब्धता और स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर भी ध्यान रखते हुए कूच-बिहार में काटन स्पिनिंग मिल स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार का विचार विशेषज्ञों की राय लेने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। केवल कुछ ही कृषक लघु जो करते हैं और वह रुई अधिकांशतः छोटी लम्बाई वाले हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे समाचार-पत्रों को सहायता देने सम्बन्धी सरकार की नीति

6939. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिलों में प्रकाशित होने वाले छोटे समाचार पत्र और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्रों को अखबारी कागज का कोटा सीधे स्थानीय प्रशासन कार्यालय से दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख), अखबारी कागज की वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत छोटे समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को यह छूट है कि वे अखबारी कागज का अपना कोटा आयातित अखबारी कागज में अखबारी कागज के नियन्त्रक द्वारा जारी किए गए अधिकार-पत्रों पर राज्य व्यापार निगम के बम्बई, कोचीन, मद्रास और कलकत्ता में उपलब्ध स्टाक से प्राप्त करें, या भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की सलाह पर मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों पर विदेशों से सीधे या अधिकृत आयातकों/कोटा होल्डरों की मार्फत आयात करें। इन अधिकृत आयातकों/कोटा होल्डरों की देश के विभिन्न भागों में शाखायें हैं और यह घन, रीलों को शीटों में काटने इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिले के छोटे समाचारपत्र इन आयातकों की निकटतम शाखा से ये सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। छोटे समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अखबारी कागज स्थानीय प्रशासन की मार्फत जारी करने की व्यवस्था करना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

राजनीतिक कारणों के लिए गिरफ्तार किये गये बंदी

6940. **श्री रेणुपद दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत में ऐसे बंदियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया है और बिना मुकद्दमा चलाये ही हिरासत में रखा जा रहा है ;

(ख) ऐसे कुल कितने बन्दी हैं जिन्हें तीन महीने से अधिक हिरासत में रखा गया है ; और

(ग) ऐसे कुल कितने राजनीतिक बन्दी हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाये गये हैं और जिन्हें बिना मुकद्दमा चलाये छः महीने तक जेल में रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राजनैतिक कारणों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा नजरबन्द नहीं किया जाता।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जब अभियुक्त व्यक्ति, जिनका विशिष्ट अपराधों के लिए विचारण हो रहा है, सक्षम न्यायालयों द्वारा हिरासत में रखे जाते हैं, तो उन्हें "राजनैतिक कैदियों" और "अन्य कैदियों" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता।

Misuse of newsprint by Madhya Pradesh Dailies

6941. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4151 on the 7th July 1971, regarding misuse of newsprint by Madhya Pradesh Dailies and state :

(a) when Government received complaints regarding selling of newsprint in black-market by the Dailies Bhaskar and Jagran of Bhopal and Rewa respectively ;

(b) the times since when the enquiry into the said complains is being conducted : and

(c) the report of the enquiry held so far ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) to (c). The requisite information is given in the attached statement.

'STATEMENT'

S. No.	Name of the Daily	Date of receipt of complaint.	Date since when the allegation is being investigated.	Report of the enquiry held so far.
1.	Dainik Bhaskar, Hindi Daily, Bhopal.	22.1.1969	22.2.1969	After preliminary investigation a show causc Notice was issued on 14.4.70 by Chief Controller of Imports & Exports to the publisher of the newspapers under Clause 8 of the Import Control Order, 1953 for misuse of newsprint in respect of the allocation

				made in 1964-1965. The reply of the publisher has since been received by the Chief Controller of Imports & Exports and is under examination.
2.	Daily Jagran, Hindi Daily, Bhopal.	2.4.1971	2.4.1971	The circulations of both the newspapers have since been checked and found at variance with the figures claimed for 1970. Show Cause notices to publishers both of the newspapers have been issued by the Registrar of Newspapers for India on 29.5.1971 and 30.7.1971 respectively, to substantiate their claims.
3.	Daily Jagran, Hindi Daily, Rewa.	-do-	-do-	

Mismanagement in Indore Telephone Exchanges

6942. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the difficulties of Telephone subscribers have increased due to mismanagement in new Telephone Exchange recently set up at Indore ;

(b) whether demonstrations have also been staged several times in front from of the Telephone Exchange to invite attention towards it ; and

(c) wherher the reorganisation of the Telephone Advisory Committee for the area has become necessary ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No.

(b) No.

(c) No. The term of the present Telephone Advisory Committee at Indore extends upto 30-4-1972.

Resolution re. Delicensing of Muzzle Loading Guns passed by Madhya Pradesh Legislative Assembly

6943. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4150 on the 7th July, 1971 regarding Resolution passed by the Madhya Pradesh Legislative Assembly for delicensing Muzzle loading guns and state the reasons for which the said resolution was not accepted by the Government of India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The recommendation contained in the Resolution passed by the Madhya Pradesh Legislative Assembly was not accepted for the following reasons :-

(a) It was contrary to Government policy to delicence weapons which are capable of causing serious bodily injuries ;

(b) The question of exempting ML guns from licensing requirements was considered by Parliament at the time of consideration of the Arms Bill but the suggestion was not accepted ; and

(c) there was no difficulty in obtaining licence for muzzle loading guns, as the licence fee was nominal and the Arms Act made it obligatory, on the part of the licensing authority, to grant licence for muzzle loading guns for bona fide crop protection.

पंजाब में भूतपूर्व अकाली सरकार द्वारा अधिकारियों का स्थानांतरण

6944. **श्री प्रबोध चन्द्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि पंजाब विधान सभा के भंग होने के कुछ दिन पूर्व भूतपूर्व अकाली सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण इस कारण किया गया कि अकाली-समर्थक विचारधारा वाले अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ श्रीमान । सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतें पंजाब सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित की गई हैं ।

सिले-सिलाए वस्त्रों का उत्पादन

6945. **श्री विजय पाल सिंह : क्या विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिले-सिलाये वस्त्रों के उत्पादन में कितने कारखाने लगे हुए हैं ; और

(ख) उनमें वार्षिक उत्पादन कितना होता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Correspondence in Hindi between Central Government and Delhi Administration

6946. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration had sent at least 100 letters in Hindi to the Central Government, but the Central Government did not reply even to a single letter out of them in Hindi ; and

(b) whether it has been the policy of the Government of India to reply in Hindi to the correspondence made by the State with tne Centre in Hindi and, if so, the reasons for not following this policy in the case of the Delhi Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The period during which the impugned 100 letters were sent by the Delhi Administration to the Central Government has not been specified. However from the information readily available in the Ministry of Home Affairs, it is fonnd that during the period 1.1.1971 to 31.3.1971 letterrs received from Delhi Administration in Hindi were generally replied to in Hindi by the various Ministries/Departments. A detailed statement showing the position in this regard is annexed.

(b) Yes, Sir,. except in regard to the originating correspondence of the nature of d. o. letters, communications involving tehnical and legal matters and circular letters addressed to all the State Governments. This policy is equally applicable to the correnpondence with Delhi Administration.

'STATEMENT'

Statement showing the number of letters received in Hindi from Delhi Administration in various Ministries and Departments of the Government of India and the number replied to in Hindi and in English during the period 1.1.1971 *to* 31.3.1971.

S. No.	Name of the Ministry/Department	No. of letters received in Hindi	No. of letters replied to	
			in Hindi	in English
1	2	3	4	5
1.	*Ministry of Education & Social Welfare*			
	(a) Department of Education	407	110	1
	(b) Department of Social Welfare	56	24	8
2.	*Ministry of Finance.*			
	(a) Department of Economic Affairs	10	8	—
	(b) Department of Expenditure	23	16	—
	(c) Department of Revenue & Insurance	13	2	—
3.	*Ministry of Agriculture.*			
	(a) Department of Agriculture	35	12	—
	(b) Department of Food	19	—	—
4.	*Ministry of Foreign Trade.*	16	6	—
5.	*Ministry of Health & Family Planning.*			
	(a) Department of Health	35	35	—
	(b) Department of Family Planning	31	13	—
6.	*Ministry of Home Affairs.*	398	220	2
7.	*Ministry of Information & Broadcasting.*	40	5	—
8.	*Ministry of Irrigation & Power.*	34	12	—
9.	*Ministry of Labour & Rehabilitation.*			
	(a) Department of Labour & Employment.	80	17	—
	(b) Department of Rehabilitation.	6	4	—
10.	*Ministry of Law & Justice.*			
	(a) Department of Legal Affairs	20	5	—
	(b) Legislative Department.	141	137	—
11.	*Ministry of Works & Housing.*	7	7	—
12.	*Ministry of Tourism & Civil Aviation.*	1	—	—
13.	*Department of Parliamentary Affairs.*	49	—	—
14.	*Department of Supply.*	1	—	—
15.	*Cabinet Secretariat.*			
	(a) Department of Cabinet Affairs.	5	—	—

1	2	3	4	5
	(b) Department of Personnel.	62	31	—
	(c) Department of Statistics.	29	2	—
16.	*Prime Minister's Secretariat.*	61	3	—

पश्चिम बंगाल के मामलों सम्बन्धी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पश्चिमी बंगाल की स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

6947. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदार :**
डा० सरदीश राय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मामलों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने पश्चिम बंगाल की स्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर राज्य में काफी उद्योग का विकास

6948. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में काफ़ी उद्योग का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई विशेष निधि नियत की गई है और यदि हाँ, तो कितनी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). श्रीलंका से प्रत्यावासित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु 2400 हैक्टर बन भूमि में काफी के बाग लगाने की एक योजना मैसूर सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) निधि का आवंटन करने संबन्धी प्रश्न पर राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है ।

पीपल्स कालेज हल्द्वानी, (उत्तर प्रदेश) में जासूसी गतिविधियां

6949. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1971 के "ब्लिटज" में छपे इस समाचार की

ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी, नैनीताल के पीपल्स कालेज के भवन को सी० आई० ए० द्वारा भारत में जासूसी करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान। आरोप का कोई आधार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Hoisting of National flag over Rashtrapati Bhavan and Raj Bhavan

6950. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Madhu Dandavate :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have since taken any decision to hoist the National fllag and to do away with the practice of hoisting special flags over the Rashtrapati Bhavan and the various Raj Bhavans ; and

(b) if so, the time by which the practice of hoisting special flags on the Rashtrapati Bhavan, Raj Bhavans and cars would be stopped ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) From 15th August, 1971.

Complaints against working of Welfare Society in Ramakrishna Puram, New Delhi

6951. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether about 100 persons of Sector II, Ramakrishna Puram, New Delhi have lodged complaints against the inefficient functioning of the Welfare Society ; and

(b) whether any enquiry has been conducted into these complaints and, if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir, an enquiry has been conducted, the particulars whereof are as below :

(i) the Welfare Society (Sector II Ramakrishna-puram) has held nine meetings since September 1970.

(ii) The accounts of the Society were duly considered and passed in the general body meeting held on 6th December, 1970.

(iii) There has been no wrong utilisation of funds of the Society.

(iv) The Society is functioning on proper lines and the allegations made in the complaint were not correct.

इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों का निर्धारित समय से पूर्व सेवा निवृत्त किया जाना

6952. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के निर्धारित समय सीमा से पूर्व सेवा निवृत्त किए जाने सम्बन्धी सरकारी नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मूल भूत नियम 56 के खंड (एफ) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सदस्य जो ऐसा सदस्य होने के पूर्व, भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, सामान्यत: उसके भारत में आने की तारीख से 35 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त होगा।

समय से पूर्व सेवा निवृत्ति नियम, 1937 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे सदस्य को समय से पूर्व सेवानिवृत होने की अनुमति दी जा सकती है। समय से पूर्व सेवानिवृति के अभ्यावेदनों पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में जलाये गये डाकघर

6953. **डा० सरदीश राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 (जून, 1971 तक) पश्चिम बंगाल में जलाए और नष्ट किए गए डाकघरों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से कितनों ने कार्य करना बन्द कर दिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 132 डाकघरों को जलाने, नष्ट करने के प्रयत्न किए गए जिससे डाकघरों के रिकार्ड और संपत्ति को काफी क्षति पहुँची। इन डाकघरों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1969-70	2
1970-71	85
1971-72 (जून 1971 तक)	45

किन्तु इससे कोई भी डाकघर पूर्णत: जलाने नष्ट नहीं हुआ।

(ख) 6.

Connection of Mauganj with outer Telephone/Telegraph lines

6954. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any provision has been made in the Fourth Five Year Plan to link Mauganj with any outer Telephone or Telegraph lines ; and

(b) if so, the time by which the said line is likely to be completed ?

The Minister of Communications (Shri H. R. Bahuguna) : (a) Mauganj is a long distance public call office connected to Rewa Telephone exchange. There is no proposal at present to connect Mauganj to any other new line.

(b) Question does not arise.

Broadcasting Station at Ambikapur

6955. **Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the area likely to be covered by the Broadcasting Station proposed to be set up at Ambikapur ;

(b) whether the Broadcasting Stations proposed to the set up at Rewa and Ambikapur would cover the entire Adivasi area between these two places ; and

(c) if not, whether Government propose to set up any additional Broadcasting Station between these two places also ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Major portion of Sarguja district and parts of Bilaspur and Raigarh districts.

(b) Not entirely.

(c) Schemes to fill the gaps that may remain in the coverage of this region after stations at Ambikapur and Rewa have been commissioned, will be formulated and considered for inclusion in the Fifth Plan.

केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के आवास के लिये इस्पात के बने-बनाये मकान

6956. **डा० कर्णी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर' 1968 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के आवास के लिए एक फर्म को बने बनाये इस्पात के मकान सप्लाई करने के क्रयादेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खरीद के सम्बन्ध में सम्भरण और निपटान महानिदेशक की सहमति ले ली गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या फर्म को प्राप्त किए गये सामान के गुण दोषों को सुनिश्चित किए बिना रुपये की अदायगी कर दी गई थी तथा प्राप्त माल की किस्म बहुत खराब थी, और उसमें सुधार, परिवर्तन तथा कुछ मदों को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता थी ;

(घ) यदि हां, तो फर्म को कितनी धन राशि अदा की गई तथा खराब माल के लिए अदायगी करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सुधार करने और कुल भागों को बदलने की लागत फर्म से वसूल कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस धांधली के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हैदराबाद में केंन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के उसी समय स्थापित केन्द्र के अन्य कर्मचारियों के लिये आवास की आवश्यकता तथा बहुत जरूरी अपेक्षाओं को पूरा करने के कारण भारत सरकार ने सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इस मद का सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से नहीं खरीदा था ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । फर्म को भुगतान यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया कि प्राप्त सामान अपेक्षित अच्छी किस्म का है । यह भी कहा जा सकता है कि यह प्राप्ति अस्थाई आवास तथा इसे अर्ध-स्थायी आवास में परिवर्तित करने के लिए की गई थी । कुछ संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, जो पहले अनुमानों में नहीं थे, आवश्यक होंगे ।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठता ।

Direct Dialling system at Indore

6957. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which direct dailling system will be introduced in Indore ; and

(b) whether Government propose to connect Indore with Delhi and Bombay by S. T. D. ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahaguna) : (a) It is hoped to provide subscriber trunk dialling between Indore & Bhopal during 1973.

(b) Yes, Sir. It is hoped to provide S. T. D. from Indore to Delhi and Bombay during fifth Plan period.

Per capita income in the country

6958. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the per capita income in the country at present Statewise ;

(c) whether it has increased in comparsion to that of the last three years ;

(c) if so, the particulars thereof ?

The Prime Minister, the Minister of Automic Energy, the Minister of Home Affairs and the Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) State-wise estimates of per capita income are prepared by the State Governments. No such estimates for the current year, i.e. 1971-72, or for 1970-71 are so far available.

(b) & (c). Do not arise.

भारत-नेपाल व्यापार करार

6959. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और नेपाल के बीच व्यापारिक करार के संबंध में मत भेद कहां तक कम हो गये हैं ;

(ख) इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये तर्कों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) दोनों देशों के बीच कब तक सामान्य रूप से व्यापार होने लगेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक नई व्यापार तथा परिवहन संधि पर बातचीत पुनः प्रारम्भ करने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रातः काठमांडू के लिये रवाना हो गया। आशा तो यह है कि जो बातचीत होगी उसके फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक समाधान के आधार पर बकाया मामलों पर समझौता हो जाएगा।

राज्यों के बीच सीमा विवाद

6961. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों के बीच और कितने राज्यों के बीच तथा कब से सीमा विवाद चल रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन विवादों को एक स्थायी सीमा आयोग स्थापित करके निपटाने का है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) वर्तमान सीमा विवाद, जो महाराष्ट्र तथा मैसूर तथा केरल के बीच की सीमा, असम तथा नागालैंड की सीमा, पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से सम्बन्धित है, क्रमशः सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन सन् 1963 में नागालैंड के बनाने और सन् 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से उठ खड़े हुए हैं ।

(ख) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि ये विवाद उनके अपने तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हल किये जा सकते हैं और सभी मालिकों के अनुरूप कोई सिद्धान्त निकालना कठिन है । स्थाई आधार पर कोई सीमा आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार नहीं है ।

मदुराई और सलेम में आकाशवाणी केंद्र

6962. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मदुराई और सलेम में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या उसकी सिफारिश करते हुए राज्य सरकार ने केन्द्र को लिखा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन केन्द्रों पर कार्य कब तक शुरू होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). राज्य सरकार, जिसने इस बारे में भारत सरकार को लिया था, को यह सूचित कर दिया गया है कि क्योंकि ये क्षेत्र तिरुचिरापल्ली के वर्तमान मीडियम-वेव केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र में पहले ही आते हैं, अतएव प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका ।

सरकार के पास सीमित साधन होने के कारण, चालू योजना का उद्देश्य पहले केवल उन क्षेत्रों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है, जो इस समय बाहर हैं । अतएव, मदुराई तथा सलेम के लिए प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

सम्बलपुर में बेकार पड़े टेलीफोन

6963. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर जिले के विभिन्न सब-डिवीजनों में अधिकतर टेलीफोन पिछले दो वर्ष से महीने में लगभग 25 दिन बेकार पड़े रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जनता द्वारा अनेकों शिकायतें करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) शिकायतें मिलने पर उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है ।

(घ) सेवा को संतोषजनक स्थिति में रखने के लिए निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार समय-समय पर टेलीफोन प्रणाली के रख-रखाव का काम किया जाता है ।

मुजफ्फरपुर और छपरा (बिहार) में तारघरों का ठीक प्रकार से काम करना

6964. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुजफ्फरपुर और छपरा में तार घर भली प्रकार काम नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या वहां लोग आजकल भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) मुजफ्फरपुर और छपरा के तारघर ठीक काम कर रहे हैं, सिवाय कलकत्ता, पटना और कटिहार के सर्किटों के जिनमें कि अक्सर गड़बड़ी हो जाती है ।

(ख) जी नहीं । फिर भी वे चाहते हैं कि गड़बड़ियां शीघ्र दूर कर दी जाएं और इन दोनों जगहों और कलकत्ता, पटना और कटिहार के बीच ज्यादा तेज संचार व्यवस्था कायम कर दी जाए । लोग अपनी तारों को तेजी से भेजने के लिए यह चाहते हैं कि कलकत्ता, पटना और कटिहार को जाने वाले मुख्य टेलीप्रिंटर सर्किट सुचारू ढंग से कार्य करें ।

(ग) तार सर्किटों और साज-सामान के रख-रखाव पर लगातार निगाह रखी जा रही है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों की अपीलों तथा अभ्यावेदनों पर निर्णय किये जाने के लिये समय सीमा

6965. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार कर्मचारियों की अपीलों तथा अभ्यावेदनों पर निर्णय किये जाने के लिये कितना समय निर्धारित है ;

(ख) क्या किसी निर्धारित अवधि के पश्चात् बिना निर्णय किये अपीलों आदि को समाप्त करने के लिए कोई नियम अथवा आदेश है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार कर्मचारियों की अपीलों या अभ्यावेदनों के निपटारे के लिये अभी तक कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) जिन अपीलों या अभ्यावेदनों पर निर्णय न किया गया हो उनसे संबंधित फाइलों को नष्ट नहीं किया जाता । उन पर निर्णय लेने के बाद उन्हें रिकार्ड कर दिया जाता है और प्रत्येक मामले के महत्व को दृष्टि में रखते हुए उन्हें निर्धारित अवधि के बाद ही नष्ट किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चे जूट के लिये मूल्य समर्थन संबंधी कार्यविधि

6967. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संस्थान ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पटसन मिलों में वित्तीय संकट के कारण उनको उत्पादकों से माल लेने में विलम्ब हो रहा है, कच्चे पटसन के सम्बंध में मूल्य समर्थन सम्बंधी कार्यवाही के लिये बैंकों से कोई वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाये अथवा सरकार अपनी कोई अन्य व्यवस्था करे ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा

6968. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (श्रेणी 3) चालू होने पर पहले स्टेनो-टाइपिस्टों को, जिन्होंने विभाग में आने पर 80 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा पास की थी अब फिर 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी की परीक्षा पास करनी होगी जब कि वे इस संवर्ग में 10 से 20 वर्ष तक काम कर चुके हैं अन्यथा उन्हें केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के प्रारम्भिक गठन में शामिल नहीं किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को जिनकी नियुक्ति प्रारम्भ में स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में हुई थी और जो 10 से 20 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं तथा जिनकी आयु 35 से 50 वर्ष के बीच है इस बढ़ती हुई उम्र में इस प्रकार की परीक्षा पास करने से छूट देने तथा उनकी उपयुक्तता उनकी सेवा के रिकार्ड के आधार पर निश्चित करने का विचार कर रही है ?

गृह-मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थानीय रूप से ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को स्टेनोटाइपिस्टों के रूप में नियुक्ति होने पर, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनो-ग्राफर सेवा नियमावली, 1969 के अधीन 1-8-1969 से, जब उक्त नियम लागू हुए, दो वर्ष के भीतर सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली हिन्दी अथवा अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में अर्हक परीक्षाएं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से पास करनी पड़ेगी। इस प्रयोजन के लिए सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल ने चार परीक्षाएं आयोजित की हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा ली गई परीक्षाएं समान स्तर की नहीं थी और इसलिए सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करने हेतु उपरोक्त श्रेणी के स्टेनोग्राफरों के लिए नियमों में व्यवस्था है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि केवल वे ही, जो दक्षता के न्यूनतम स्तर पर पहुँचते हैं, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (श्रेणी 3) में अन्तिम रूप से शामिल किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

माइक्रोवेव पद्धति के सम्बन्ध में भारत कनाडा करार

6969. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी बड़े शहरों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए डाक तथा तार विभाग ने माइक्रोवेव पद्धति की स्थापना के लिए कनाडा की एक फर्म से ठेका किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए आवश्यक सभी उपकरणों का भारत में निर्माण किया जायेगा अथवा उन्हें फर्म के अपने देश से मंगाया जायेगा ; और

(ग) कार्य के कब आरम्भ होने की सम्भावना है और क्या इस के पूरा होने की कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। लखनऊ-पटना-आसनसोल-खड़गपुर-कलकत्ता, दिल्ली-जयपुर-इंदौर-धुलिया-बम्बई और धुलिया-नागपुर-खड़गपुर के मार्गों पर लगाने के लिए चौड़ी पट्टी की माइक्रोवेव प्रणालियों की सप्लाई हेतु कनाडा की फर्म मेसर्स रेथियन कनाडा लिमिटेड के साथ किये जाने वाले करार के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर और सम्बन्धित उच्च आवृति की वस्तुओं की सप्लाई कनाडा की फर्म ने करनी है। टेलीफोन चैनल का साज-सामान, पावर प्लांट और टावर की सामग्री देशी उत्पादन के साधनों से प्राप्त करनी है। इसे लगाने का काम डाक तार विभाग करेगा।

(ग) प्रारम्भिक निर्माण-कार्य चल रहे हैं। आशा है कि साज-सामान लगाने का कार्य 1972 में शुरू हो जाएगा और उत्तरोत्तर चौथी योजना की अवधि के दौरान पूरा कर दिया जाएगा।

विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों को बचत प्रमाणपत्रों का कार्य करने की शक्ति दिया जाना

6970. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर शाखा पोस्टमास्टरों को बचत प्रमाणपत्रों सम्बन्धी कार्य करने की शक्ति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिए कोई सीमा होगी तथा कितनी शाखाओं के पोस्ट-मास्टरों को अब यह शक्ति प्राप्त है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) इस समय बचत पत्र विभागेत्तर शाखा डाकघरों से खरीदे और भुनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका लेन-देन संबंधित शाखा डाकघरों के लेखा कार्यालयों के जरिये करना पड़ता है। शीघ्र ही एक ऐसी योजना प्रयोग के तौर पर शुरू की जाएगी जिसके अर्न्तगत विभागेतर शाखा डाकघरों को बचतपत्रों का काम स्वतन्त्र रूप से करने का अधिकार दिया जाएगा।

(ख) ऊपर भाग (क) में जिस प्रयोगात्मक योजना का जिक्र है, उसके अन्तर्गत ऐसे शाखा

डाकघरों में केवल 10 रुपये और 100 रुपये वाले राष्ट्रीय बचत पत्र ही बिक्री के लिए रहेंगे और कोई भी व्यक्ति एक दिन में 500 रुपये तक की कीमत के बचत पत्र खरीद सकेगा। इन डाकघरों से खरीदे गए बचतपत्र उनके लेखा कार्यालयों से किसी भी तरह की लिखा-पढ़ी के बिना भुनाये जा सकेंगे। आरम्भ में केवल 138 विभागेतर शाखा डाकघरों को ही यह अधिकार देने का विचार है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ का व्यापार

6971. **श्री वैंकटस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष में अब तक कुल कितनी मात्रा में रबड़ बेचा है ;

(ख) निगम ने रबड़ के उत्पादकों को कितना मूल्य दिया ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने उक्त व्यापार में कुल कितना लाभ कमाया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1 जनवरी 1971 से 24 जुलाई, 1971 तक 4426 मे० टन।

(ख) राज्य व्यापार निगम आर०एम०ए० ग्रेड 1 की रबड़ 520 रु० प्रति क्विन्टल न्यूनतम कीमत पर तथा अन्य ग्रेडों की रबड़ सरकार द्वारा नियत न्यूनतम कीमत पर खरीद रहा है।

(ग) शून्य।

सतर्कता सम्बन्धी मामलों की जांच पूरी करने के लिये समय सीमा

6972. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस स्थापना और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सतर्कता सम्बन्धी मामलों की जांच पूरी करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित समय सीमा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत मामलों के सम्बन्ध में जांच पूरी करने के लिए विद्यमान अनुदेशों के अनुसार छः माह की निर्धारित समय सीमा सामान्यतः निश्चित की गई है, किन्तु अगर परिस्थितियां बाध्य करें तो व्यक्तिगत मामलों में पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा समय की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

दिल्ली पुलिस के इन्सपेक्टरों की पदोन्नति

6973. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली के स्थायी इन्सपेक्टरों को पुलिस सुपरिन्टेंडेंट के पद पर पदोन्नत करने के लिये फरवरी, 1970 और फिर जुलाई, 1970 में चयन 'जी' सूची तैयार की थी ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस के चुने गये इन्सपेक्टरों की अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस नियम, 1965 के उपबन्धों के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में प्रवरण समिति द्वारा अपनी बैठकों में फरवरी, 1970 में उप-पुलिस अधीक्षक के पद में पदोन्नत के लिए उपयुक्त स्थाई पुलिस इन्सपेक्टरों/पुलिस अभियोजक इन्सपेक्टरों/दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस अभियोजकों का एक पैनल तैयार किया गया था। दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि समिति द्वारा अनुमोदित दिल्ली पुलिस के सभी इन्सपेक्टरों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है।

जुलाई, 1970 में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई।

लट्ठे के मूल्यों में वृद्धि

6974. **श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थानीय टुकड़ा-माल बाजार में लट्ठे के मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय बाजार में लट्ठा कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मई, 1968 से नियंत्रित लट्ठे की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी गई है। हां, अनियंत्रित लट्ठे की कीमतों में हाल के सप्ताहों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है।

(ख) अनियंत्रित कपड़े की कीमतें पूरी तरह से मांग और पूर्ति की स्थिति, कुछ ब्रांड़ों की लोकप्रियता और साथ ही उनके उत्पादन में काम आने वाली कपास की उपलब्धि व कीमतों के अनुसार घटती-बढ़ती हैं। सरकार ने कपास की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए हैं।

गोवा, दमन और दीव कें कर्मचारियों को पेंशन

6975. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव में खपाये गये कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, नियम, 1965 के अन्तर्गत सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष से 58 वर्ष किये जाने के बाद उन कर्मचारियों को भी सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृत्ति के समय भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि की हानि हुई है जिन्होंने पुराने पेंशन नियमों के अन्तर्गत रहने का विकल्प दिया था ;

(ख) क्या उपर्युक्त नियम के परिणामस्वरूप अनेक कर्मचारियों को पेंशन लिये बिना सेवा निवृत्त होने के लिये मजबूर किया गया था क्योंकि उनकी आयु 58 वर्ष या इससे अधिक थी और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन दो श्रेणी के कर्मचारियों में से किसी श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पेंशन की राशि में कमी केवल उन्हीं कर्मचारियों के मामलों में होंगी जो 25 वर्ष की आयु के पश्चात् नौकरी में आए हैं। उनके मामलों में भी यद्यपि पेंशन की दर कुछ कम होगी, परन्तु उनको बिना सरकार की सेवा किए उस दर पर 7 वर्ष के समय के लिये पेन्शन पाने का अतिरिक्त लाभ होगा जो उस वेतन से थोड़ा कम होगा जो वे व्यक्ति सेवा में लेते।

(ख) 17 कर्मचारियों ने 58 वर्ष की अवस्था में बिना पेन्शन के अवकाश प्राप्त किया क्योंकि वे सेवा में अधिक आयु में आए थे और नियमों के अन्तर्गत पेन्शन पाने के हकदार नहीं थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

सिविल सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में प्रशासनिक सुधार आयाग की सिफारिश

6976. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि, ऐसे सभी आदेशों के मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ा दण्ड दिया जाता है, अन्तिम अपीली प्राधिकरण के रूप में सिविल सेवा न्यायाधिकरण स्थापित किये जाने चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को क्रियान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार सिफारिश कर रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सामग्री की वास्तविक सुपुर्दगी के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

6977. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि तांबे और जिंक आदि के आयात मदों के बारे में यदि खनिज तथा धातु व्यापार निगम तीन महीनों के भीतर सामग्री की वास्तविक सुपुर्दगी करने में असमर्थ हो तो माल देने के आदेश आयात लाइसेंस परिवर्तित कर दिये जाने चाहियें और उनके वास्तविक उपभोक्ता को सीधे आयात की अनुमति दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). लघु उद्योगों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि यदि खनिज तथा धातु व्यापार निगम 3 महीने की अवधि के भीतर अलौह धातुओं की निकासी न कर सके तो अलौह धातुओं के निकासी आदेश जो लघु एककों के पास हों उन्हें आयात लाइसेंसों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये। सुझाव विचाराधीन है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से गोवा पत्तन के रास्ते खनिज अयस्कों का निर्यात व्यापार

6978. **श्री इराज्मुद सेक्वेरा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज अयस्कों का निर्यात व्यापार गोआ पतन के रास्ते खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). गोवा के मैंगनीज अयस्क सहित, इस का निर्यात पहले से ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। जहां तक लौह अयस्क का प्रश्न है, यद्यपि इसका निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है तथापि गोवा के पंजीकृत निर्यातक, संविदाओं और कीमतों का सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर सीधे ही निर्यात कर सकते हैं। इस नीति में परिवर्तन करने के लिए अभी कोई प्रस्थापना नहीं है और न ही परिस्थितियां इसमें शीघ्र परिवर्तन करने के लिए औचित्य को सिद्ध करती हैं।

मैंगनीज अयस्क और लौह अयस्क के अतिरिक्त, अन्य खनिज अयस्कों के निर्यात मार्गीकृत नहीं है।

पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ को मान्यता देने की मांग

6979. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ से सम्बद्ध उन संघों और एसोसियेशनों के नाम क्या हैं जिन्होंने पंजाब अधीनस्थ सेवा संघ को मान्यता देने की मांग की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है, और प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय के एक अधिकारी का घेराव

6980. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1971 को केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के कार्यालय के एक अधिकारी का चार घंटे तक घेराव किया गया था ;

(ख) क्या विभागाध्यक्ष उस समय तक कार्यालय से जा चुके थे और टेलीफोन पर सम्पर्क करने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को बचाने के लिए पुलिस को कार्यालय के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी ;

(ग) क्या इस घटना में कुछ फर्नीचरों को भी क्षति पहुंची थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त कार्यालय में उस अधिकारी का घेराव करने के क्या मुख्य कारण थे ; और

(ङ) उस अधिकारी का घेराव करने वाले कर्मचारियों और इस घटना की उपेक्षा करने वाले विभागाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है कि विभागाध्यक्ष (महालेखाकार) केवल कार्यालय बन्द होने के समय के पश्चात् कार्यालय से गये जब स्थिति बहुत सुधर गई थी और उन्होंने जाने से पूर्व अतिरिक्त महालेखाकार को जो स्थिति से निपटने के लिये पूर्णतः सक्षम थे, आवश्यक आदेश भी दिये ।

उस समय इन अधिकारियों का अनुमान था कि कार्यालय के अहाते में पुलिस की उपस्थिति स्थिति को उत्तेजित कर सकती है और हो सकता था इससे स्थिति और बिगड़ जाती और इससे पहले कि अधिकारी कारगर ढंग से कार्य कर सके वे घायल हो सकते थे ।

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि यह सच है कि कुछ फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को क्षति पहुँचाई गई थी । ये वस्तुयें थी—बिना बाजू की कुर्सियां (2) रूम कूलर तथा उसकी ट्रौली, दिवार पर टंगा आयना, मेज के शीशे (2) ; दिवार से बिजली की घंटी का प्लग ; और खिड़कियों के शीशे (9) ।

(घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार अधिकारी का घिराव करने का स्पष्ट कारण यह था कि हाजिरी रजिस्टर में उन कर्मचारियों को जो लगभग 1 बजे दोपहर तक कार्यालय नहीं आते उन्हें "अनुपस्थित" लिख रहा था ।

(ङ) पुलिस को घटना की रिपोर्ट दिनांक 3-7-1971 को उन व्यक्तियों की सूची देते हुये जिन्होंने घिराव में प्रमुख रूप से भाग लिया था अपराध पंजीकृत करने तथा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए की गई थी ।

घिराव में प्रमुख रूप से भाग लेने वालों में से दो को निलम्बित कर दिया है और दूसरे की निम्न पद पर पदावनति कर दी गई है । अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विचाराधीन है ।

उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुये विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ के गुलाव के फूलों के बाग से गुलाब का निर्यात

6981. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्थित एशिया के सब से बड़े गुलाब के फूलों के बाग में उगने वाले

20,000 गुलाब के फूलों को, जिनका यूरोप को निर्यात करके प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा कमाई जाती थी, बहुत सस्ते दामों पर स्थानीय रूप से ही बेचना पड़ा था और उनका निर्यात नहीं किया जा सका था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी मुद्रा की आय में आकस्मिक कमी के कारणों की जाँच की है, और यदि हां, तो इस मूल्यवान वस्तु का उपयोग करने के लिए क्या योजनायें तैयार की गई हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1969-70 के दौरान चण्डीगढ़ स्थित गुलाब के फूलों के बाग से केवल 942 फूल निर्यात किये गए और इसके बाद उस बाग से कोई सप्लाई नहीं की गई ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रस्तावित कीमत चण्डीगढ़ बागवानी डिवीजन को स्वीकार्य नहीं थी ।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्यात सम्बन्धी आय में वृद्धि हो रही है । चालू वर्ष (दिसम्बर से फरवरी) के दौरान राज्य व्यापार निगम का गुलाब के 40,000 फूलों का निर्यात करने का विचार है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति

6982. **श्री वयालार रवि : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से सेनानिवृत्त हुए ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त किए जाने का लाभ प्राप्त हुआ है ;

(ख) ऐसी नियुक्तियों के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त न किये जाने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग). नियमानुसार, अन्य उपलब्ध प्रतिभा की तुलना में, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वित्तीय व्यवस्था के क्षेत्रों में उनके द्वारा सिद्ध योग्यता को ध्यान में रखते हुये, केवल विशेष मामलों में ही सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में नियुक्त किया जाता है ।

तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों में से श्रेणी एक और दो के रिक्त स्थानों के भरे जाने सम्बन्धी योजना

6983. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे तीसरी श्रेणी के कर्म-

चारियों में से श्रेणी एक और दो के रिक्त स्थानों के भरे जाने के बारे में प्रतिशतता निर्धारित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जिस तरीके से किसी विशेष पद/ग्रेड में भर्ती की जानी है उस पद पर कुशलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक योग्यतायें, अनुभव और पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुये उसका निर्धारण करना जरूरी होता है । उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर किसी विशेष पद/ग्रेड में भर्ती की प्रतिक्रिया निश्चित करते समय निम्न ग्रेडों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को पदोन्नति देने के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, ताकि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन बनाया रखा जा सके, सीधी भर्ती के लिए भी किसी सीमा तक आवश्यक व्यवस्था की जाय जिससे किसी पद/ग्रेड में नई पीढ़ी को लाने में सुविधा हो सके । इस मानदण्ड को ध्यान में रखते हुये, किसी पद/ग्रेंड में जिस अनुपात से सीधी भर्ती और पदोन्नति की जानी है, इसे संगत भर्ती नियमों में निर्धारित किया गया है । इस समय, श्रेणी II और I से सम्बन्धित अनेक पद पहले से ही विद्यमान हैं, जिन्हें क्रमशः श्रेणी III और II से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है कि श्रेणी III से श्रेणी II में पदोन्नति उन मामलों में जिनमें अब परीक्षा नहीं ली जाती है और जिनका प्रवरण क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है, उनमें से 50% रिक्तियों के भरे जाने के लिये परीक्षा होनी चाहिए ।

व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए पेशकश करने वाले देश

6984. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1970-71 में और अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 तक की अवधि में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मार्गोपायों का पता लगाने हेतु वार्ता सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने की पेशकश की है ;

(ख) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत ने उक्त अवधि में किन-किन देशों को ऐसी सुविधायें देने की पेशकश की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). विकासशील देशों के बीच व्यापार वार्ताओं से सम्बन्धित गाट समिति के तत्वावधान में, 1970-71 तथा अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 के दौरान भारत के साथ निम्नोक्त देशों ने, उन देशों तथा भारत के बीच व्यापार के विस्तार के लिए टैरिफ सम्बन्धी तथा अन्य रियायतों के आदान-प्रदान करने के सम्बन्ध में, बातचीत की : अर्जेन्टीना, ब्राजील, श्रीलंका, चिली, कोलम्बिया, घाना, ग्रीस, ईराक, मैक्सिको, पेरु, फिलिपाइन, कोरिया गणराज्य, स्पेन, ट्यूनिसिया, टर्की, उरुगवे तथा

बैन्जुएला । भारत इन देशों में से प्रत्येक के साथ टैरिफ सम्बन्धों तथा अन्य जिन रियायतों का आदान-प्रदान कर सकेगा, उनका ब्यौरा तभी मालूम होगा जब बातचीत पूरी हो जाएगी ।

यूगोस्लाविया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत के बीच त्रिपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत यूगोस्लाविया में ब्लेड में 1970 में मन्त्री स्तर पर एक बैठक हुई थी जिसमें तीनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग का आदान-प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया गया था ।

विदेशों में विदेश व्यापार की आवश्यकताओं सम्बन्धी कार्य करने के लिये आवश्यक कर्मचारी

6985. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अंग माना जाता है ;

(ख) विदेश व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से बाहर स्थित विदेश व्यापार मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ;

(ग) क्या भारत से बाहर इस सेवा के लिये भेजने हेतु विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है ;

(घ) क्या इस प्रकार कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने से विदेश व्यापार मंत्रालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को हानि पहुँचती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) तथा (ङ). वाणिज्यिक बजट सम्बन्धी पद भारतीय विदेश सेवा 'क' और भारतीय विदेश सेवा 'ख' के संवर्ग-पद है । कुछ विशिष्ट पदों की आवश्यकताओं को देखते हुए कभी-कभी अन्य मंत्रालयों, जिनमें यह मंत्रालय भी शामिल है, के अधिकारियों को वाणिज्यिक पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

साम्प्रदायिक और जातिगत तनाव कम करने और मित्रतापूर्ण रहन-सहन के लिये प्रचार माध्यम के कार्य के सम्बंध में चर्चा

6986. **श्री कृष्ण चंद्र पांडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् के सुझाव पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा साम्प्रदायिक

और जातिगत तनाव को कम करने और मित्रतापूर्ण रहन-सहन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रचार माध्यम के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित जन सम्पर्क विशेषज्ञ समिति की उप-समिति ने अपनी एक सिफारिश में यह सुझाव दिया था कि पत्र सूचना कार्यालय को सम्पादकों की उन गोष्ठियों तथा सम्मेलनों के आयोजन में सहयोग तथा सहायता करनी चाहिये जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में समाचारपत्रों के उत्तरदायित्व सम्बंधी सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिये भारतीय प्रेस संस्थान द्वारा बुलाए जाए। तदनुसार, पत्र सूचना कार्यालय के सहयोग से भारतीय प्रेस संस्थान द्वारा एक गोष्ठी नवम्बर, 1970 में आयोजित की गई थी जिसमें विचार-विमर्श करने के बाद साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव सम्बंधी समाचार देने के बारे में मार्ग निर्देशक बातों का एक मसौदा तैयार किया गया था। यह मसौदा समाचारपत्रों को सर्कुलेट किया गया तथा मार्च, 1971 में हैदराबाद में हुई प्रादेशिक गोष्ठी में उस पर आगे विचार-विमर्श किया गया था और उसमें संशोधन किया गया था। जब मार्ग निर्देशक बातों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो सरकार उन पर उपयुक्त कार्रवाई के लिये विचार करेगी।

रुई की आयात के लिये करार

6987. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ 1971-72 में रूई का आयात करने हेतु करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) उन करारों की शर्तें क्या हैं ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसा व्यापार करने की पेशकश की थी परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया था ; और

(घ) उक्त पेशकशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). जी हां, 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिये 9-6-1971 को सूडान के साथ एक व्यापार व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सूडान से कपास की लगभग 450,000 गांठें आयात करने का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 350,000 गांठों के विषय में 31 मार्च, 1972 से पहले संविदा की जाएंगी।

(ग) और (घ). संयुक्त अरब गणराज्य के साथ ऐसी ही व्यापार व्यवस्थाएं विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल में पुलिस तथा सेना द्वारा गोली चलाया जाना

6988. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन विभिन्न स्थानों के क्या नाम हैं जहां 2 अप्रैल से 19 जून, 1971 के बीच पुलिस तथा सेना द्वारा गोली चलाई गई ; और कितनी बार गोली चलाई गई :

(ख) इन गोली-काण्डों में कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ;

(ग) क्या इन गोली-काण्डों के बारे में कोई जांच की गई ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जांचों के क्या परिणाम निकले ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केरल के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना को विस्तृत बनाने का प्रस्ताव

6989. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को केरल राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना को विस्तृत बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं तथा इस सम्बंध में क्या निर्णय किया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). केरल की चौथी पंचवर्षीय योजना के विस्तार के सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु राज्य की चौथी योजना के लिए 258.4 करोड़ रुपये का जो परिव्यय है उसके बढ़ने की आशा है क्योंकि राज्य सरकार जल-सम्भरण स्कीमों के लिए जीवन बीमा निगम से अतिरिक्त धन जुटाने में सफल हो गई है । राज्य सरकार ने बेरोजगारी की समस्या, समुद्री-कटाव तथा भूमि सुधार से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन के प्रस्ताव किए हैं, हालांकि ये राज्य की बड़ी चौथी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में नहीं किए गए हैं । इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

केरल के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

6990. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन ब्यूरो के सितम्बर, 1970 तक के अन्तिम रिकार्ड के अनुसार केरल में इन समाचारपत्रों का कितना-कितना वितरण होता है जिनको सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं ; और

(ख) केरल के प्रमुख समाचारपत्रों के नाम क्या हैं तथा उनका कितना वितरण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) समाचार-

पत्रों को सरकारी विज्ञापन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किये जाते हैं न कि किसी विज्ञापन ब्यूरो द्वारा । यह निदेशालय खपत संख्या का माहवारी या अन्यथा कोई अलग रिकार्ड नहीं रखता, परन्तु भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये वर्ष के आंकड़ों के आधार पर चलता है ।

केरल से प्रकाशित होने वाले जिन समाचारपत्रों को 1970-71 के दौरान सरकारी विज्ञापन दिये गये उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इन समाचारपत्रों की वर्ष 1969 की खपत संख्या भी विवरण में दी गई है । 1970 की खपत संख्या सम्बंधी जानकारी समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के पास अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) केरल के प्रमुख (तथा अन्य) समाचारपत्रों के नामों तथा उनके द्वारा बताई गई 1969 की खपत संख्या के बारे में सूचना भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट जो 17-12-1970 को सदन की मेज़ पर रखी गई थी में दी गई है ।

विवरण

मलयालम	खपत संख्या
दैनिक	
1. मातृभूमि, एर्नाकुलम/कोज़ीकोड	2,34,830
2. केरल टाइम्ज़, कोचीन	11,320
3. केरल नाडम, एर्नाकुलम	6,000
4. देशाभिमाणी, कोज़ीकोड	22,171
5. विश्वकेरलम्, त्रिवेन्द्रम	7,620
6. केरल कौमुदी, त्रिवेन्द्रम	1,21,959
7. लाइट, त्रिचुर	5,264
8. थोज़ीलली, त्रिचुर	1,600
9. एक्सप्रैस, त्रिचुर	28,565
10. केरल भूषणम्, कोट्टायम	6,243
11. दीपिका, कोट्टायम	41,324
12. मलयाला राज्यम्, क्विलोन	22,045
13. मलयाला मनोरमा, कोट्टायम/कालीकट	2,46,580
14. जनयुगम क्विलोन	16,494
15. केरल श्री अल्लैप्पी	2,149
16. पोथुजनम, त्रिवेन्द्रम	5,000
17. नव केरलम्, त्रिवेन्द्रम	2,000
18. चन्द्रिका, कोज़ीकोड	22,050

मलयालम	खपत संख्या
अंग्रेजी साप्ताहिक	
1. मालाबार हेर्ल्ड, एर्नाकुलम	8,347
मलयालम साप्ताहिक	
1. मूवी एर्नाकुलम, कोचीन	1,000
2. सत्यदीपम, एर्नाकुलम	20,464
3. केरारी, कोज़ीकोड	10,383
4. मातृभूमि, कोज़ीकोड/एर्नाकुलम	1,18,945
5. मलयाला मनोरमा, कोट्टायम	2,54,085
मलयालम पाक्षिक	
1. भरत्रामोन, त्रिवेन्द्रम	4,500
2. क्रिटिक, त्रिवेन्द्रम	11,359
मलयालम मासिक	
1. केरल इण्डस्ट्रीज़, त्रिवेन्द्रम	1,400
2. पूमपट्ठा, त्रिवेन्द्रम	12,312
3. रबड़, कोट्टायम	32,800
4. सिनेमा, मासिका कोट्टायम	53,374
5. अरुणा, कोट्टायम	8,250
6. सरसन, चंगचेरी	24,498
7. विकटन, त्रिवेन्द्रम	9,997

केरल में तार तथा टेलीफोन की सुविधायें

6991. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में तथा विशेषकर इसके पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं प्रदान करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चौथी योजना के दौरान तार-प्रणाली के विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). केरल सरकार की ओर से हाल के वर्षों के दौरान राज्य में तार और टेलीफोन सुविधाएं देने के बारे में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल इस तरह की सभी पुरानी मांगों पर अलग-अलग विचार किया गया है और उन पर विभाग की समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में 100 तारघर खोलने का

प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि इस अवधि के दौरान केरल के निम्नलिखित शहरों में टेलेक्स एक्सचेंजें खोली जाएं :---

(क) त्रिवेन्द्रम

(ख) कोजी कोड

(ग) क्विलोन

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हित के लिये भारत द्वारा उपग्रहों का उपयोग

6ग92. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री एम० एम० हाशिम :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के हितार्थ उपग्रहों के उपयोग के कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इससे क्या लाभ उठाये जायेंगे तथा इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) उपरोक्त परियोजना में भाग लेने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) भू-माण्डलिक वाणिज्यिक उपग्रह प्रणाली की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन, टेलेक्स तथा अन्य सेवाओं के उपयोक्ताओं को चौबीसों घण्टे की लगातार, विश्वसनीय और निर्बाध सेवा उपलब्ध की गई है। कुल लागत 30 करोड़ डालर रहने का अनुमान है—भारतीय अंश कुल लागत का लगभग 0.5 प्रतिशत होगा। अन्तरिक्ष खण्ड के स्वामित्व के कारण, इस व्यय के अलावा भारत ने पूना के निकट आर्वी में उपग्रह-संचार-भूमि-केन्द्र की स्थापना पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

(ग) निम्नलिखित उन्नहत्तर देश अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संघ (इण्टेलसेट) के सदस्य हैं :

(1) अल्जीरिया
(2) अर्जेंटीना
(3) आस्ट्रेलिया
(4) आस्ट्रिया
(5) बेलजियम
(6) ब्राजील
(7) कैमरून
(8) कनाडा
(9) सीलोन
(10) चिली
(11) चीन (के० एम० टी०)
(12) कोलम्बिया
(13) कांगो लोकतन्त्र गणराज्य
(14) डेनमार्क
(15) डोमिनिकन गणराज्य
(16) इक्वेडोर
(17) इथोपिया
(18) फ्रांस
(19) जर्मनी
(20) ग्रीस

(21) गुवाटेमाला
(22) भारत
(23) इंडोनेशिया
(24) ईरान
(25) ईराक
(26) आयरलैण्ड
(27) इजराइल
(28) इटली
(29) आइवरी कोस्ट
(30) जमाइका
(31) जापान
(32) जोर्डन
(33) कुवैत
(34) कीन्या
(35) कोरिया
(36) लेबनान
(37) लीबिया
(38) लिच्टेंस्टीन
(39) लग्ज़ेमबर्ग
(40) मालागासी गणराज्य
(41) मलयेशिया
(42) मौरितानिया
(43) मैक्सिको
(44) मोनाको
(45) मोरक्को
(46) नीदरलैंडस्
(47) न्यूजीलैंड
(48) निकारागुआ
(49) नाइजीरिया
(50) नोर्वे
(51) पाकिस्तान
(52) पनामा
(53) पेरू
(54) फिलिपीन्स
(55) पुर्तगाल
(56) सऊदी अरेबिया
(57) सेनेगल
(58) सिंगापुर
(59) दक्षिण अफ्रीका
(60) स्पेन
(61) सूडान
(62) स्वीडन
(63) स्विटज़रलैंड
(64) सीरिया
(65) तंजानिया
(66) थाइलैंड
(67) त्रिनिदाद तथा टोबागो
(68) ट्यूनिशिया
(69) टर्की
(70) यूगाण्डा
(71) संयुक्त अरब गणराज्य
(72) ब्रिटेन
(73) संयुक्त राज्य अमरीका
(74) वैटिकन सिटी
(75) वेनेन्जुएला
(76) वियतनाम
(77) यमन
(78) यूगोस्लाविया
(79) ज़ाम्बिया

नेलौर, आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरीकोटा राकेट लाँचिंग स्टेशन में नियुक्त कर्मचारी

6993. **श्री के० के० रामी रेड्डी : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेलौर, आंध्र प्रदेश स्थित श्री हरीकोटा राकेट लाँचिंग स्टेशन में कार्य कर रहे व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इस केन्द्रीय में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे स्थानीय व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में 500 रुपये तथा उससे कम मासिक वेतन वाले सभी पदों पर स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करने से सम्बन्धित सरकार की कोई स्वीकृत नीति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाने की है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). श्रीहरीकोट राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 45 कर्मचारी भर्ती किये गये हैं, जिनमें से 39 कर्मचारी आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। भारत सरकार द्वारा निश्चित पदों के वर्गीकरण सम्बन्धी नियमों के अनुसार कर्मचारियों का वर्गवार विवरण निम्नलिखित है :

श्रेणी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
प्रथम श्रेणी	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	—	1 (1)	—
तृतीय श्रेणी	4 (3)	12 (11)	16
चतुर्थ श्रेणी	4 (2)	24 (22)	28

(कोष्टकों में दी गई संख्या आंध्र प्रदेश निवासी कर्मचारियों की सूचक है)

(ग) और (घ). सरकारी नीति के अनुसार, अकुशल श्रमिकों की भर्ती आमतौर पर उसी क्षेत्र से की जाती है, तथा भर्ती में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो उस इलाके के विस्थापित हों जहाँ परियोजना की स्थापना की जानी है या जिनके नाम उस क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं।

80 तथा 100 काउन्टों वाले अट्टी सूत (हैंक यार्न) पर उत्पादन शुल्क में छूट

6994. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग ने 80 तथा 100 काउटों वाले अट्टी सूत (हैंक यार्न) पर उत्पादन-शुल्क में छूट देने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

नेताजी जांच आयोगों पर किया गया व्यय

6995. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की कथित मृत्यु के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए नियुक्त शाहनबाज आयोग पर कितनी धनराशि व्यय की थी ; और

(ख) इसी सम्बन्ध में वर्तमान जांच आयोग पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 38,000.00 रुपये ।

(ख) 30 जून, 1971 तक 1,33,886.13 रुपये खर्च हुए हैं ।

राज्यपालों के लिये मार्गदर्शी निदेश

6996. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों के लिए कोई मार्गदर्शी निदेश तैयार किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं तो क्या राज्यपालों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे निदेश तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातें क्या-क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). उन मार्गदर्शी निदेशों को तैयार करने के प्रश्न पर जिनका राज्यपाल को मुख्य मंत्री नियुक्त करने में अनुसरण करना चाहिए, जब किसी दल को आम चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, 1967 में विचार किया गया था और पांच प्रमुख विधिवेन्ताओं के मत प्राप्त किये गये थे। मामले पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ फरवरी-मार्च, 1968 में हुई बैठकों में आगे विचार-विमर्श किया गया । बैठकों में भाग लेने वालों से बाद में इसका समर्थन करने का अनुरोध किया गया कि क्या राज्यपालों को उन बातों की सूचना दी जा सकती है जिन पर आम सहमति प्राप्त हो गई थी । चूंकि उनमें से कुछ से ही उत्तर प्राप्त हुए थे अतः मामले में आगे कार्यवाही नहीं की गई । फिर भी, विधिवेन्ताओं के साथ हुए पत्राचार की प्रतियां सभी राज्यपालों को सूचनार्थ भेज दी गई हैं ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र-राज्य सम्बंधों पर अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी की है कि प्रस्तावित अंतर-राज्य परिषद उस तरीके के बारे में मार्गदर्शी निदेश बनाये जिसमें राज्यपालों द्वारा उनकी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है । रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । राष्ट्रपति ने संविधान के अधीन राज्यपालों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए राज्यपालों की एक समिति नियुक्त की है । समिति का कार्य चल रहा है ।

भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापार करार का नवीकरण

6997. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त अरब गणराज्य के 1970-71 के व्यापारिक करार की अवधि

30 जून, 1971 को समाप्त हो गई थी और निकट भविष्य में नया करार होने के उत्साहवर्धक संकेत नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) से (ग). वर्ष 1953 के भारत संयुक्त अरब गणराज्य व्यापार करार के अन्तर्गत प्रतिवर्ष भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच एक व्यापार व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। इस प्रकार की पिछली व्यापार व्यवस्था की, जिस पर जुलाई, 1970 को हस्ताक्षर किये गये थे, अवधि 30 जून, 1971 को समाप्त हुई । दोनों देशों के बीच कुल व्यापार प्रतिवर्ष लगभग 70-80 करोड़ रुपये का है, अतः कुछ कठिनाइयां सामने आना अनिवार्य है परन्तु दोनों देशों के बीच बातचीत के द्वारा उन्हें दूर कर दिया जाता है । इस वर्ष भी राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही हैं । ऐसी आशा है कि 1971-72 के लिए व्यापार व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक शीघ्र ही होगी ।

फाजिल्का क्षेत्र को पंजाब में रहने देने की मांग के बारे में पंजाब कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव

6998. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पंजाब कांग्रेस समिति ने इस आशय के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें फाजिल्का पर अपने एवार्ड का पुनरीक्षण करने और इस क्षेत्र को पंजाब में रहने देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में पंजाब कांग्रेस समिति द्वारा पारित संकल्प से सम्बन्धित समाचार रिपोर्ट को देखा है । किन्तु केन्द्र सरकार को संकल्प की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, पहले घोषित निर्णयों में कोई परिवर्तन नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के द्वारा रबड़ की खरीद और बिक्री

6999. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने पूर्ववर्ती मौसम में उत्पादकों से कितनी मात्रा में रबड़ खरीदा था ;

(ख) निर्माताओं ने उपरोक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम के गोदामों से कितनी मात्रा में रबड़ उठाया था ;

(ग) क्या इस समय राज्य व्यापार निगम के गोदामों में पड़े सम्पूर्ण स्टाक को निर्माता उठा लेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य व्यापार निगम का विचार शेष स्टाक का निपटान किस प्रकार करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अक्तूबर, 1970 से 24 जुलाई, 1971 तक राज्य व्यापार निगम द्वारा 10625 मीट्रिक टन रबड़ खरीदा गया।

(ख) 4426 मे० टन।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्लैप्पी में मीडियम वेव का नया ट्रांसमीटर खोला जाना

7000. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित अल्लैप्पी में मीडियम वेव के नये ट्रांसमीटर ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) इस नये ट्रांसमीटर के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा ; और

(ग) क्या यह इतना शक्तिशाली होगा कि लक्षद्वीप और मिनिकोय के निवासी इसे सुन सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां

(ख) त्रिचूर, एर्नाकुलम, अल्लैप्पी, क्विलोन के जिले, पालाघाट, कोट्टायम और त्रिवेन्द्रम जिलों के भाग तथा लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप समूहों का अधिकांश भाग।

(ग) जी, हां। इन द्वीपों के अधिकांश निवासी इस केन्द्र के कार्यक्रम सुन सकेंगे।

कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र के कर्मचारियों की हड़ताल

7001. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र में कार्य कर रहे 3,000 से भी अधिक कर्मचारी दो सप्ताह से अधिक समय से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में लगे हुए 3034 कर्मचारियों

में से लगभग 2700 कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कर्मचारी यूनियन के महासचिव की गिरफ्तारी किये जाने के विरुद्ध, 26 जून, 1971 से 11 जुलाई, 1971 तक हड़ताल पर रहे।

(ख) और (ग). कर्मचारियों की मांगों तथा उनमें से प्रत्येक से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का ब्यौरा सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

मांग	वर्तमान स्थिति
1. कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अदालत में दायर किये गये मुकदमे वापिस लिये जायें।	ये मुकदमे कुछ कर्मचारियों ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में दायर किये थे तथा इस मामले में सरकार द्वारा दखल दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
2. जिन 13 कर्मचारियों को परियोजना में पिछले हुए दंगों के बाद तथा सैशन कोर्ट द्वारा कारावास की सजा दिये जाने पर, नौकरी से अलग किया गया था उन्हें तुरंत पुनर्नियुक्त किया जाये, क्योंकि उन्हें अदालत ने अब बरी कर दिया है।	ये मामले कैंद्रीय सरकार उद्योग अधिकरण, जयपुर के विचाराधीन हैं। कर्मचारियों को बरी किये जाने के विरुद्ध राज्य सयकार ने 'हाईकोर्ट' में अपील की हुई है।
3. प्रशासनिक स्टाफ के दैनिक काम के घंटे 8 सें घटाकर 6 कर दिये जाएं।	यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
4. स्टाफ की छटनी नहीं की जानी चाहिये, उन्हें अन्य परियोजनाओं को स्थानांतरित किया जाना चाहिये। यदि किसी कर्मचारी की छटनी की जाये तो इसके लिए कर्मचारी यूनियन की स्वीकृति लेनी चाहिये।)	
5. तरक्की का आधार केवलमात्र वरीयता होना चाहिये तथा योग्यता को गौण स्थान मिलना चाहिए।)	ये मांगें उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली को सुलह कराने के लिए विचारार्थ भेजी जा चुकी हैं।
6. परियोजना के निर्माण की अवधि में कर्मचारियों को आवास के लिये दिये गये मकानों का किराया नहीं लिया जाना चाहिए।)	
7. परियोजना के कर्मचारियों से मीटर का किराया नहीं लिया जाना चाहिए तथा जो किराया अब तक लिया जा चुका है वह वापिस किया जाना चाहिये।)	

1	2
8. यदि कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि औद्योगिक अधिकरण/सुलह कार्यवाही से भाग लेने के लिए अपने मुख्यालय से बाहर जायें तो उन्हें ड्यूटी पर समझा जाना चाहिए।	
9. उच्च-श्रेणी-लिपिकों के पदों के 20% के बराबर	ये मांगें उप-मुख्य श्रम-आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली को सुलह करने के लिये विचारार्थ भेजी जा चुकी है।
10. परियोजना के जिन कर्मचारियों ने 240 दिन तक सेवा कर ली हो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य बनाया जाना चाहिए।	

राजकोट में मीडियम वेव का ट्रांसमीटर

7002. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट में मीडियम वेव ट्रांसमीटर ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है और इसके क्षेत्र में कितने श्रोता होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) यह अफगानिस्तान, ईरान, खाड़ी देशों, साउदी अरब, ईराक तथा पश्चिमी पाकिस्तान के भागों में सेवा देता है। भारत में इसको गुजरात राज्य तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों में सुना जा सकता है। विदेशों में श्रोताओं की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि विदेशों में श्रोता सर्वेक्षण नहीं किये जाते।

पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाये जाने के कारण सीमा सुरक्षा दल के हताहत हुये कर्मचारी

7003. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जुलाई, 1971 के प्रातःकाल 24-परगना जिले में घोजाडांगा सीमा चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा मशीनगनों तथा मोर्टरों से गोली चलाये जाने के कारण सीमा सुरक्षा दल का एक सिपाही मारा गया था तथा दूसरा गम्भीर रूप से घायल हुआ था ;

(ख) क्या उक्त घटना में बहुत से असैनिक व्यक्ति भी घायल हुए और सीमा सुरक्षा दल की चौकी गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तानी सैनिक हमारी सीमा की चौकी के इतना निकट किस प्रकार आये तथा उनका पता नहीं लग सका और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). पाकिस्तानी सेना की टोलियों ने दिनांक 9 जुलाई, 1971 को मोर्टर और आर्टिलरी गनों से 24-परगना जिले की गोजाडांगा की भारतीय सीमा चौकी पर बंगला देश में उनकी सीमा चौकी भोरमा से गोला-बारी की। इसके फलस्वरूप सीमा सुरक्षा दल का एक कान्स्टेबल मारा गया, एक नायक तथा एक हैड कांस्टेबल छुरों से घायल हुए ; सीमा चौकी भी क्षतिग्रस्त हुई। इस गोलाबारी के फलस्वरूप हुई किसी गैर-सरकारी क्षति की सूचना नहीं है।

पाकिस्तानी सेना समय-समय पर ऐसी उकसाने वाली गोलाबारी करती रहती है, सीमा सुरक्षा दल पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी को कारगर ढंग से गोलाबारी करके शान्त कर देती है। पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है। सीमा सुरक्षा दल को स्पष्ट आदेश हैं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ, गौलाबारी या फायरिंग की चेष्टाओं का उत्तर कारगर ढंग से दें।

वरिष्ठ विश्लेषकों के पदों के लिए एक पैनल बनाने हेतु अनुभाग अधिकारियों से साक्षात्कार

7004. **श्री सतपाल कपूर : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार के अधीन वरिष्ठ विश्लेषकों के पदों के लिये एक पैनल बनाने के लिए फरवरी, 1971 में कर्मचारी विभाग के कुछ अनुभाग अधिकारियों से साक्षात्कार किया गया था ;

(ख) क्या साक्षात्कार बोर्ड ने 46 व्यक्तियों के नाम स्वीकृत किये थे और इनकी सिफारिश की थी जिनमें से भारत सरकार ने कम से कम आठ वर्ष की सेवा वाले 20 अनुभाग अधिकारियों के नाम पैनल में रखने का निश्चय किया है ;

(ग) साक्षात्कार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये आठ वर्ष से कम सेवा वाले अन्य अनुभाग अधिकारियों के नाम काटे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या वर्ष 1970 में बनाये गये ऐसे ही एक पैनल में आठ वर्ष से कम सेवा वाले किसी अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ विश्लेषक नियुक्त किया गया था ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वरिष्ठ विश्लेषकों के पद (वरिष्ठ श्रेणी I, 700-1250 रुपये के वेतनमान में) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए निःसंवर्ग पद हैं, जो संगत भर्ती नियमों के उपबन्धों के आधार पर सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भरे जाते हैं, जिनमें अन्य पदों के साथ-साथ ऐसे पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने पर विचार किया जाता है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों की एक समिति ने फरवरी, 1971 में इन पदों के लिए आवेदकों का साक्षात्कार किया और उनमें से 47 आवेदक उपयुक्त पाए गए। तथापि, ऐसा अनुभव किया गया था कि केवल सेवावधि इत्यादि सम्बन्धी अपेक्षित न्यूनतम योग्यता वाले अनुभाग अधिकारी ही आवेदन पत्र भेजने के लिए अपेक्षित समझे गए थे, कुछ ऐसे अनुभाग अधिकारियों ने भी जो पात्रता की शर्तों की पूर्ति नहीं कर सके और कुछ गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों ने भी आवेदन पत्र भेजे थे और

उपयुक्तता सूची में शामिल किये गये थे। समिति ने अनुभव किया कि अपात्र अधिकारियों के सूची में नाम लिखना आपत्तिजनक होगा। अतः सूची की छान-बीन की गई और 21 अनुभाग अधिकारी जो पात्रता मानक की पूर्ति करते थे, उनकी अन्तिम सूची तैयार की गई। जहां कहीं आवश्यक होता है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन 21 अधिकारियों के नाम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अन्तिम प्रवरण करने के लिए सुझाव दिये जाते रहे हैं।

(घ) 1970 में तैयार की गई वरिष्ठ विश्लेषकों की सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तीन अनुभाग अधिकारियों के नाम शामिल किए गए जिनकी अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अपेक्षित सेवावधि नहीं थी। तथापि, उनमें से ही सूची में शामिल करने के लिए विचार करने के समय सम्बन्धित विभागों में पहले से ही वरिष्ठ विश्लेषकों के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि तीसरे अधिकारी की सेवा न्यूनतम अवधि में केवल सात महीने कम थी, और यह आशा की गई थी कि जब तक उसका नाम वरिष्ठ विश्लेषक के पद के लिए समर्थित किया जायेगा, तब तक उसकी अपेक्षित सेवावधि की पूर्ति हो जायेगी। 1971 की सूची में ऐसे अधिकारियों की सेवावधि, जो पात्रता का मानक पूरा नहीं कर सके, न्यूनतम सेवावधि में एक वर्ष छः महीने से भी अधिक कम थी और उनमें से कोई भी वरिष्ठ विश्लेषक के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

7005. **श्री क्यालाट रवि : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1971 में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं ; और

(ख) वर्ष 1969 और 1970 में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी पेंशन लेकर सेवा निवृत्त हुए है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व अकाली मंत्रियों के विरुद्ध जांच कराने के लिये पंजाब के भूतपूर्व जन सम्पर्क मंत्री द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

7006. **श्री सतपाल कपूर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के भूतपूर्व जन सम्पर्क और पर्यटन मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें बादल सरकार के कतिपय अकाली मन्त्रियों के विरुद्ध अनियमितताओं, कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने की मांग की गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). पंजाब सरकार के एक भूतपूर्व जन सम्पर्क तथा पर्यटन राज्य मन्त्री द्वारा भेजा गया एक

ज्ञापन राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ है, जिसमें पंजाब सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध दुराचरण, अनियमितात्रों, पक्षपात तथा पद के दुरुपयोग इत्यादि आरोप समाविष्ट हैं ।

आरोपों की जांच की जा रही है ।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा नई दिल्ली में पश्चिम जर्मनी के एक डाक्टर को पीटा जाना

7007. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 21 जुलाई, 1971 को नई दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों ने पश्चिम जर्मनी के एक डाक्टर को बहुत बुरी तरह पीटा था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विधि और व्यवस्था के कार्यों के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपे गये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कर्मचारी कनाट प्लेस में 21-7-1971 को एक जर्मन नागरिक के साथ संघर्ष में अन्तर्ग्रस्त थे । उन कांस्टेबलों में से एक ने छड़ी का प्रयोग किया जिसके फलस्वरूप जर्मन नागरिक को चोटें आयीं ।

(ख) मामले में जांच होने तक सम्बन्धित दोनों कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की बर्खास्तगी

7008. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1971 के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस के लगभग 18 कर्मचारियों को जो दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ के नेता थे अथवा हैं जुलाई, 1971 के तीसरे सप्ताह में सेवा से हटा दिया गया/बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें अप्रैल, 1967 में सेवा से हटाया गया/बर्खास्त किया गया था और हाल ही में उन्हें सेवा में वापिस ले लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो अब जबकि कुछ ही महीने पहले उन्हें बहाल किया गया है सेवा से हटाने/बर्खास्त किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) कुछ महीने पहले उनके बहाल किये जाने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ङ). सरकार ने समाचार देखा है। इन पुलिस कर्मचारियों को अप्रैल, 1967 में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया था। किन्तु जनवरी, 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इन आदेश को एक तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन व्यक्तियों को बहाल कर दिया गया। सेवा में उनका बना रहना बल के अनुशासन के लिये अत्यधिक हानिकर समझा गया और बर्खास्तगी के आदेश में त्रुटि को ठीक करने के बाद संविधान के उसी परन्तुक के अंतर्गत उन्हें पुनः बर्खास्त कर दिया गया।

Examinations conducted by U. P. S. C.

7009. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of examinations conducted by the U. P. S. C. during 1970, the number of applications received and the number of candidates interviewed during the said year ; and

(b) whether the Selection Committee of the U. P. S. C. held its meetings in all the States to select State Civil Police Service Officers for promotion to the Indian Administrative Service Indian Police Service and, if so, the number of Officers promoted during 1970 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The information in respect of the period 1st April, 1971 to 31st March, 1971 is as follows :-

Number of examinations held....................................29

Number of applications received for the examinations..............................69,612

Number of candidates appearing at the examinations who were interviewed by the Commission...........................3,473.

(b) No, Sir. During the year 1970 the Selection Committee constituted for the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu for considering the cases of members of the State Civil Service for promotion to the Indian Administrative Service and the Selection Commitees constituted for the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal, for considering the cases of members of the State Police Service for promotion to the Indian Police Service, did not meet.

During the year 1970, 50 members of the State Civil Services were appointed by promotion to Indian Administrative Service and 25 members of the States Police Services were appointed by promotion to the Indian Police Service.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION (QUERY)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, do you mean to say that no adjournment motion can be moved when discussion is going on a Constitution Amendment Bill ? (*Interruptions*) No, there is no discussion on Finance Bill. We can move adjournment motion ; Since Government have failed to check the price rise and there should be a disscusion in this House on this issue.

Mr. Speaker : It can be raised under some other rule but not under adjournment motion.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We have no other alternative but to move a no confidence motion (*interruption*).

अध्यक्ष महोदय : आपके पास पहले ही यथेष्ट समय था। यह मामला किसी और नियम के अन्तर्गत आ सकता है परन्तु काम रोको प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आ सकता।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पाकिस्तान की संविधान सभा की बैठक होने से पूर्व ही शेख मुजीबुर्रहमान को फांसी की सजा देने के सम्बन्ध में बड़े गम्भीर समाचार मिले हैं। इस मामले को उठाने के लिए सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिये मैं आप की अनुमति चाहता हूं, जिसके लिये मैंने आपको पहले से ही लिख भेजा है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और शेख मुजीबुर्रहमान का जीवन बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने भी इसी मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। (**व्यवधान**)

Mr. Speaker : You can ask me in my room about the issue which I have not allowed here.

श्री समर गुह : जो मामला मैंने उठाया है वह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। क्या आप कृपा करके सरकार का ध्यान इस ओर नहीं दिलायेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उल्टाडंगा दुर्घटना के बारे में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कल आपने आश्वाशन भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में पहले ही एक वक्तव्य दे दिया गया है

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12(क) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**—797/71]

अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल राव) : मैं अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2904 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत सरकार के राज पत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1971 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जनता को विद्युत

ऊर्जा सप्लाई करने अथवा इस प्रकार की सप्लाई के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण अथवा पारेषण से सम्बद्ध सेवा की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०**—798/71]

सदस्य की दोष सिद्धि

CONVICTION OF MEMBER

(श्री ईश्वर चौधरी)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नई दिल्ली से दिनांक 3 अगस्त, 1971 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई है :

> "लोक सभा के सदस्य श्री ईश्वर चौधरी के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन एक आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नई दिल्ली के समक्ष, नई दिल्ली न्यायालय में विचार किया गया और उन्हें उपर्युक्त अपराध का दोषी पाया गया तथा उन्हें एक दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया।"

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) मैं खाद्य विभाग तथा पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 तथा विनियोग लेखे (सिविल) 1968-69 के बारे में लोक लेखा समिति का सातवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान बंगला देश से सम्बद्ध एक अविलम्बनीय एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा (**व्यवधान**), आप इसके लिये मुझे बाध्य नहीं कर सकते।

श्री समर गुह : मैं आपको इसके लिये बाध्य तो नहीं करता, परन्तु यह लोक महत्व का एक अविलम्बनीय मामला है। इसके लिये तो मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) आपने अभी पढ़कर सुनाया है कि इस सदन का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया था। यदि मैंने गलत नहीं सुना है तो वह बंगला देश को मान्यता देने के समर्थन में नारे लगाने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन, करने के कारण भारतीय दण्ड संहीता की धारा 188 के अधीन दोषी

ठहराया गया था । क्या यह इस देश में अपराध है ? यह हमारी न्याय प्रक्रिया के लिये बड़े शर्म की बात है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : न्याय प्रक्रिया पर इस प्रकार की छींटा-कशी करने की मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF HOUSE

तीसरा प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी देने सम्बन्धी पाकिस्तान के सैनिक शासन की धमकी के बारे में

RE. PAK MILITARY REGIMES THREAT TO EXECUTE SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय मामले की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं और इसके लिए मुझे खेद है ।

श्री समर गुह : जब तक आप मुझे इस सदन से बाहर नहीं फेंक देते, मैं बंगला देश का मामला उठाता रहूंगा और इस सदन के माध्यम से देश का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाता रहूँगा, विशेषकर जब कि पाकिस्तान का सैनिक शासन बंग बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान को आगामी अक्तूबर से पहले फांसी लगाने की धमकी दे रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, it is the feeling of this entire House regarding Sheikh Mujibur Rahman. You can assure Shri Samar Guha that you are considering this matter and leave aside this issue.

Mr. Speaker : We have already spent two to three days. Now we can do that no longer.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : वह अकेले नहीं खड़े हैं, समस्त सदन की इनके साथ सहानुभूति है । समझ में नहीं आता कि समूचा शासक दल इस मामले पर क्यों मौन बैठा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न उठाया है

जिससे सारे सदन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है। सदन की सदा यह जिम्मेदारी रहती है कि वह ऐसे मामलों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को दें और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसका कुछ उत्तर दे। पीठासीन अधिकारी को सदा सरकार से यह कहते हुए पाया जाता है कि वह ऐसे मामलों पर ध्यान दे और उचित उत्तर दे। मैं पीठासीन अधिकारी से यह आशा नहीं करता कि वह किसी का पक्ष ले अथवा कोई घोषणा करें, परन्तु सरकार कुछ न कहे। पता नहीं हमारे मन्त्री महोदय क्या करते हैं उन्हें उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब कार्य सूची में कुछ नहीं तो वे यहां क्यों रहें? यहां राज्य सभा भी तो है। कुछ मंत्रियों को उस सदन में भी जाना होता है और कुछ को यहां आना होता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I do not mean to say that the matter which has been raised by Shri Samar Guha should be set aside in such a light manner. You can allow this call attention notice.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। प्रश्न करने का कोई तरीका होता है। एक सदस्य पीठासीन अधिकारी के आदेश की अवहेलना किये जाए और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं उसकी अनुमति दे दूं। यह कदापि नहीं हो सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have given a notice of call attention on this matter.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे याद है कि जब यह मामला उठाया गया था तो आपने श्री स्वर्ण सिंह जी से इस विषय पर कुछ कहने के लिये कहा था। यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गई है। अतः उन्हें इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : पाकिस्तान के सैनिक शासन ने बंगला देश के नेता शेख मुजीबुर्रहमान के बारे में जो कहा है उसके लिए सरकार को उतनी ही चिन्ता है जितनी इस सदन को है। जैसा कि सदन को पता है हमने विभिन्न देशों से कहा है कि वे पाकिस्तान सरकार पर इस बात का दबाव डालें कि शेख मुजीबुर्रहमान को किसी प्रकार की हानि न होने पाए।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें एक ऐसा संकल्प पास करना चाहिए जिसमें शेख मुजीबुर्रहमान को मुक्त करने की मांग की जाए।

श्री जगजीवन राम : संभवतः विदेश मन्त्री ने सभा में बताया था कि हमने विभिन्न देशों से राजनयिक स्तर पर कह दिया है कि शेख मुजीब के साथ न्याय करना होगा और बंगला देश के निर्वाचित सदस्यों को स्वीकार्य समझौता करना होगा।

Shri A. B. Vajpayee : Had this been told before, this issue would not have arisen.

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj *Bahadur*): We have problems whether we give replies or not.

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RECOMMENDATIONS OF CENTRAL LAND REFORMS COMMITTEE

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : श्रीमन्, मुख्य मंत्री सम्मेलन में...

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह तो कार्य सूची में दर्ज नहीं है।

Shri H. C. Kachwai : You had just now ruled that anything that is not on the Order Paper shall be taken up.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। थोड़ी देर पहले शेख मुजीब का प्रश्न उठाते समय आपने कहा था कि यह कार्य सूची में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण किसी भी समय अध्यक्ष पीठ की आज्ञा से वक्तव्य दे सकते हैं। मैंने श्री अहमद को आज्ञा दे दी थी।

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सितम्बर, 1970 में भूमि सुधार से सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि भूमि की अधिकतम सीमा कानून से सम्बन्धित समस्त समस्यायें केन्द्रीय भूमि सुधार समिति को सौंप दी जाए। इस समिति में कुछ मुख्य मंत्री भी सहयोजित किये जायेंगे। इस निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र, तमिल नाडु, बिहार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किए गए।

2. समिति की प्रथम बैठक में यह निर्णय किया गया था कि इस प्रश्न के बारे में समस्त सम्बद्ध आंकड़े राज्यवार आधार पर इकट्ठे तथा संकलित किए गए। यह आंकड़े संकलित किये गये और जैसा कि मैंने लोक सभा में खाद्य और कृषि मन्त्रालय की बजट मांगों पर बोलते हुए अन्तिम टिप्पणी में संकेत दिया था, इस समिति की दूसरी बैठक कल हुई थी।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि समिति के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप सीमा से सम्बन्धित राज्य कानूनों में अधिकतर एक रूपता लाने के लिए निम्नलिखित मुख्य बातें प्रकट हुई हैं और समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) समस्त परिवार पर अधिकतम सीमा लागू की जाये। "परिवार" की परिभाषा के अन्तर्गत पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे आते हैं।

(2) जब परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ जाती है, तो पाँच से अधिक प्रत्येक सदस्य के लिए इस प्रकार से अतिरिक्त भूमि की अनुमति दी जाए जिससे कि परिवार के लिये कुल जितना क्षेत्र मिल सकता है, वह एक परिवार के लिए निर्धारित भूमि सीमा के दुगुने से अधिक न हो।

(3) पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए अधिकतम सीमा निरन्तर सिंचित भूमि या दो फसल देने वाली सिंचित भूमि के 10 से 18 एकड़ क्षेत्र के अंतर्गत निश्चित की जानी चाहिए। चूंकि भूमि परिस्थितियां, भूमि की उत्पादकता, उगी हुई फसल आदि की स्थिति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है और एक ही राज्य के विभिन्न

भागों में अलग-अलग है, समिति ने पूरे देश में किसी सीमा को निर्धारित करने का सुझाव देने की बजाय केवल उस सीमा का उल्लेख करना उचित समझा जिसमें अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(4) जल की उपलब्धि, उत्पादकता, मृदा वर्गीकरण, उगाई गई फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए, भूमि की अन्य विभिन्न श्रेणियों के लिए परिवर्तित अनुपात निर्धारित किए जाने चाहियें। पंच सदस्यों के परिवार के लिए पक्की सीमा, चाहे वह शुष्क भूमि भी हो, 54 एकड़ तक निर्धारित होनी चाहिए। मृदा, वर्षा, निरंतर सूखा अवस्थाओं आदि के कारण यदि ऐसा करने के लिए कोई विशेष औचित्य हो, तो इस सीमा में ढील की जा सकेगी।

(5) मशीनी फार्मों, सुव्यवस्थित फार्मों आदि को वर्तमान राज्य कानूनों से दी हुई छूट वापस ले ली जानी चाहिये।

(6) चाय, कॉफी, बड़ी इलायची, रबड़ आदि के बागों को दी हुई छूट के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भली भान्ति परामर्श किया जाना चाहिए। इसके पश्चात इस और अन्य प्रकार की छूटों के बारे में राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

श्री केशवदेव मालवीय (डुमरियागंज) : मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में प्रार्थना करें।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक—1971

CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH) AMENDMENT BILL—1971

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक की सामान्य चर्चा एक घण्टे के लिए बढ़ा दी जाएगी।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : चर्चा 4-30 बजे तक हो सकती है जब विधि मन्त्री उत्तर दें। खण्डवार विचार 5 बजे से आरंभ हो।

श्री स० मो० बनर्जी : खण्डवार विचार के लिए समय न घटाया जाये। तृतीय वाचन कल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय ऐसे ही बढ़ाया जाता रहा तो कार्य मंत्रणा समिति की क्या आवश्यकता है।

श्री राजबहादुर : मैं केवल सुझाव दे रहा था कि समय में एक घण्टे की वृद्धि कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : एक घण्टा बढ़ाया जाएगा। मतदान 5-7 बजे के बीच होगा।

श्री श्यामनंदन मिश्र : जैसा मैं कल कह रहा था कि यह विषय अत्यंत महत्व का है

परन्तु खेद है कि इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। अभी भी वही चुनाव लड़ने जैसा ज़ोश दिखाया जा रहा है।

हमारा दल उतनी कलाबाज़ियां तो नहीं दिखा सकता जो श्री सिद्धार्थशंकर राय जी ने दिखाई हैं, परन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे दल का भी वही दृष्टिकोण है जो दल के विभाजन से पूर्व था। हमारा दल इस विधेयक का समर्थन करता है, परन्तु इसे पास कराने के लिए कानूनी सूझबूझ और बुद्धिमता आदि की जो दलीलें दी गई हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं।

जब 'गोलकनाथ केस' पर निर्णय दिया गया तो हमें ऐसा लगा जैसे एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया हो। चार वर्ष तक जड़ रहने के बाद अब फिर ऐसा लगता है कि वह जीवित होने का प्रमाण दे रहा है। मेरा अभिप्राय संसद से है। अविभक्त कांग्रेस का मत श्री नाथ पाई के विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के निर्णय से ही स्पष्ट है कि हम इसके पक्ष में थे। परन्तु साथ ही हम यह भी चाहते थे कि संसद इन शक्तियों का प्रयोग कभी-कभी ही करे ताकि भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्वाभाविक और मूल अधिकारों का हनन न हो। मैं तो चाहता हूं कि संसद एक संकल्प पास करके इस बात का विश्वास उन्हें दिला दे। 17 वर्षों तक इन शक्तियों का प्रयोग न किया जाना सिद्ध करता है कि इन्हें प्राप्त करना ही आवश्यक है ; प्रयोग में लाना नहीं। संविधान का पालन संसार भर में भाषा और आत्मा दोनों से किया जाता है। इसीलिए विपक्षी दलों के नेताओं ने अनेक संशोधन रखे हैं। हमने केवल इसीलिए कोई संशोधन नहीं रखा कि संविधान में मूल अधिकारों में परिवर्तन न कर सकने की उच्चतम न्यायालय की धारणा पुष्ट न हो। हमारा दृढ़ विश्वास है कि संसद शान्त मन से काम लेगी।

हमें यह भी देखना चाहिए कि संसद् और उच्चतम न्यायालय के सम्बन्धों में कटुता न आए। हमें यह मतभेद स्वस्थ, मित्रतापूर्ण, सृजनात्मक और शालीन ढंग से निपटाना चाहिए। न्यायालय के किसी निर्णय पर मतभेद गाली देकर ही प्रकट नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में दूसरों के भिन्न विचारों का भी आदर करके दूसरे तरीकों से अपना मार्ग निकाला जा सकता है।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर यहां गंभीरता से विचार नहीं किया गया है और यह कि इस रूप में न्यायालय में यह टिक नहीं सकेगा। क्योंकि वर्तमान स्थिति में उच्चतम न्यायालय समझता है कि संसद को संविधान के सभी भागों का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और दूसरे उस न्यायालय को विपक्ष के संशोधन की भावना अधिक सच्ची लगेगी और यह विधेयक शून्य हो जायेगा।

मेरे विचार में केवल एक ही मार्ग है और वह यह है कि हमें केवल अनुच्छेद 13 में ही संशोधन करना चाहिए। इससे अनुच्छेद 368 पर भी काबू रखा जा सकता है और यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि संसद् को संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। दोनों में संशोधन करने पर और दोनों के अस्वीकार हो जाने पर न्यायालय की सर्वोपरि रायें बन जाएगी हमें पहले अनुच्छेद 13 का संशोधन करके न्यायालय पर उसका प्रभाव और उसकी राय जाननी होगी।

यद्यपि मेरे मन में विधि मंत्री के प्रति बहुत आदर भाव है परन्तु कल के उनके इस कथन से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि संसद् न्यायपालिका और संविधान दोनों से ऊपर है। आप देखेंगे कि इस समय तीनों अपने को सर्वोपरि समझ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि संविधान सर्वोपरि है क्योंकि यह लिखित है और उच्चतम न्यायालय और संसद् दोनों की उत्पत्ति संविधान द्वारा ही हुई है। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेदों और उनमें किए गये संशोधनों पर अपना निर्णय देते हुए न केवल उनकी भाषा पर ध्यान देता है, परन्तु उनकी भावना और पूरे संविधान और लोकतंत्रीय व्यवस्था से उनकी अनुकूलता या प्रतिकूलता पर भी ध्यान देता है।

जनता को स्वतन्त्रता का कानूनी अधिकार है। जानबूझकर जनता के अधिकारों को छीनने से संसद का पतन होगा। लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति न केवल प्रशासन की इच्छा पर निर्भर रहते हैं बल्कि शासितों की चेतनता पर भी निर्भर रहते हैं। मुझे भारत की जनता पर पूर्ण विश्वास है।

इस तर्क में कोई सार नहीं है कि कम अधिकारों के कारण समाजवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा रही है। वास्तविक स्थिति यह है कि संसद् द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग न किये जाने के कारण ही एकाधिकार आयोग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। अत: सरकार को अब यह बहाना नहीं बनाना चाहिए वह आवश्यक सुधार करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि इस सम्बन्ध में उसे बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं।

माननीय विधि और न्याय मन्त्री मेरे सुझावों पर विचार करें और तब ही इस बारे में निर्णय करें और इसे प्रतिष्ठा का मामला न बनायें।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किये गये विधेयक के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

6 या 7 वर्ष पूर्व मैंने कहा था कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। इस समय मेरे विचारों को पसन्द नहीं किया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि वह समय आ गया है जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में हमारे दल ने शीघ्रता से एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का निर्णय किया है।

मेरे विचार से संविधान में संशोधन करने में देरी हुई है। इसका एक कारण यह है कि हममें से अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो गणतान्त्रिक समाजवाद की धारणा में विश्वास नहीं रखते थे। यदि वे हमसे बंगलौर सत्र से भी पहले ही अलग हो गये होते तो आज स्थिति कहीं अधिक अच्छी तथा सन्तोषजनक होती। अतः कांग्रेस दल का विघटन होना अच्छा ही रहा।

संविधान का निर्माण करते समय विभिन्न विचार धारायें थीं। यदि यह संघर्ष पूरी तरह से हमारे नेता के पक्ष में होता तो आज हम समाजवाद की ओर काफी आगे बढ़ गये होते।

अनुच्छेद 368 में संशोधन करने मात्र से कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए हमें आवश्यक अनुवर्ती परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि ये परिवर्तन शीघ्रता से नहीं किये जाते तो हम समुचित अवसर खो देंगे।

लोकतांत्रिक समाज की समूची धारणा को अब मूर्त रूप देना होगा। कुछ परिवर्तन किये जाने के पश्चात् हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे और इससे हमारे करोड़ों लोगों की समस्या हल हो जायेगी।

यदि सरकार जनता का विश्वास लोकतन्त्र में पैदा कराना चाहती है तो सरकार को लोकतंत्र समाजवाद की परिभाषा ऐसी स्थिति के रूप में करनी होगी जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधन अनिवार्य रूप से सरकार के अधीन हों। श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्षों पूर्व उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का वायदा किया था। हमें उक्त लक्ष्य को प्राप्त करना है और उच्चतम न्यायालय और संसद के बीच किसी प्रकार का भ्रम अथवा किसी प्रकार का वाद-विवाद हमें अब उस मार्ग पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।

यह आक्षेप लगाये गये हैं कि हम उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे है अथवा उच्चतम न्यायालय के अधिकार और प्रतिष्ठा की निन्दा कर रहे हैं। हम ऐसा करना नहीं चाहते और संसद को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा समय आयेगा जब संसद और उच्चतम न्यायालय में संघर्ष होगा।

श्री रूजवैल्ट ने उच्चतम न्यायालय को चुनौती दी थी कि यदि उनके नये कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया गया तो उच्चतम न्यायालय के कार्य में भी हस्तक्षेप किया जायेगा। हम भी इसी प्रकार संविधान में क्रांतिकारी और शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते हैं जो देश की अधिकांश जनता के हित में हों।

लोकतांत्रिक समाजवाद का सम्पूर्ण ढांचा और नीति ही खतरे में है। अपेक्षित परिवर्तन के बिना प्रगति नहीं की जा सकती।

साधारण मनुष्य को न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि वह बड़ा वकील करने में असमर्थ है। निर्धन व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है और उसे शिक्षा देने से इंकार किया जाता है। साधारण व्यति को अत्यावश्यक वस्तुएं भी प्राप्त नहीं होतीं। वह भूखा मरता है।

यदि इस समय आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमें देश में फैली निराशा को समझना चाहिए। प्रतिक्रियावाद, धर्म और परम्परावाद का थोथा नारा लगाने वाले दल समाप्त हो जायेंगे। हमारे समाज में केवल वही ही दल जीवित रह पायेंगे जो स्पष्ट रूप से लोकतन्त्र और समाजवाद को अपना लेंगे।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : इन दो विधेयकों को सभा में प्रस्तुत करने के लिये सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसका वास्तविक श्रेय श्री नाथ पाई को मिलना चाहिये।

सरकार ने तीन संवैधानिक संशोधन पारित किये थे लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने उन तीनों संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। उक्त संशोधन विधान सभाओं को भूमि सम्बन्धी सुधार कार्य में सहायता देने के लिये प्रस्तुत किये गये थे। लेकिन दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय ने अपने मतानुसार इन सभी प्रगतिशील उपायों को अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय को संसद् के समान व्यवहार करना चाहिए। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, इससे किसी भी संस्था को पृथक नहीं रखा जा सकता।

संविधान सर्वोच्च है लेकिन संसद् उससे भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसी में जनता की इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं और यहीं राष्ट्र की आवाज गुंजती है ।

संविधान जीवित व्यक्तियों के लिये जीवित प्रलेख हैं । अतः इसे समय की भावनाओं, इच्छाओं तथा देश की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए । यदि संविधान यह कार्य करने में असफल रहता है तो वह समाप्त हो जाता है ।

देश में संविधान राजनीतिक कार्य का आधार होना चाहिये । कोई भी प्रगतिशील राष्ट्र निर्जीव संविधान बर्दास्त नहीं कर सकता । अत सविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किये जाने की आवश्यकता है । धारणायें बदलती हैं । हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि मानव के विचार बदलते रहते हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि सरकार शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो अल्पसंख्यक अधिकार का क्या होगा । ऐसा वर्ग भी है जो यह कहता है कि इन दोनों विधेयकों को पारित कर लिया जायेगा तो क्या होगा ? सरकार इन्हें पारित करके संविधान के अन्तर्गत गारन्टी दी गई सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के लिये अपने द्वारा बंद कर लेगी । मेरा उन लोगों विशेषकर श्री फ्रेंक एंथनी, से नम्र निवेदन है कि जब सरकार सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं के लिये द्वार बंद कर देगी तो देश के महान् लोग उस समय क्रांति के द्वार खोल देंगे । अतः हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि यह सरकार अथवा वह सरकार क्या करेगी । भविष्य में यदि ऐसा राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो जाये जो 'नक्सलबादी' हो, तो यह संविधान समाप्त कर दिया जायेगा अतः इस देश में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिये ।

मामले की सारी पहेली गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कहना है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 से मिलती है न कि अनुच्छेद 368 से । अतः संविधान में कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून है । सर्वोच न्यायालय के न्यायाधीशों का आधार वाक्य हास्यास्पद तथा काल्पनिक है । अनुच्छेद 368 बिल्कुल स्पष्ट है ।

मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि यह निर्णय राजनीतिक प्रेरणा से युक्त है तथा इस निर्णय में प्रतिशोध की भावना है । चूंकि यह संसद् सर्वोपरि तथा सर्वशक्तिमान है, मैं समझता हूं, कि हमें पूरा अधिकार है कि संविधान परिवर्तन करें जिसमें न केवल संविधान के कुछ भाग ही सम्मिलित हैं, अपितु मूल अधिकार भी शामिल है । हम प्रधान मन्त्री के साथ हैं ।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में हैं । जब कभी प्रधान मन्त्री देश का दौरा करती हैं तो जनता उनसे पूछती है कि क्या वह वास्तव में उनका भला करेंगी ? हम अधिक से अधिक भला करना चाहते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश संविधान रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है । क्योंकि जहां तक वित्तीय कठिनाईयों तथा अधिकारों का सम्बन्ध है, हमारे हाथ बंधे हुये हैं । राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता दी जानी चाहिये । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम देश की एकता के विरुद्ध हैं । सरकार को समझना चाहिये कि प्रत्येक राज्य संघीय व्यवस्था में समान भागीदार है ।

हम इस समय संयुक्त उद्यम से लोकतांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी देश है । सरकार को यह बात समझनी चाहिये । यदि प्रत्येक राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने

दिया जाये और केन्द्रीय सरकार की सहायता करने दी जाये तो संघ सरकार के लिये यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। परन्तु इसके विपरीत यदि प्रत्येक राज्य आश्रित रहेगा और वह भी बुरी तरह से तो हमें देश में भावात्मक एकता और आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं हो सकेगी।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : इस विधेयक को पारित करते समय हमारे सामने जनता की प्रभुसत्ता बनाये रखने का उद्देश्य है जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संसद् में अभिव्यक्त किया गया है। अमरीका के महानतम न्यायाधीश ने कहा है कि संविधान को जनता बनाती है और जनता ही इसे रद्द कर सकती है, यह उसकी इच्छा से बनाया जाता है और उसकी इच्छा से ही लागू रहता है।

अब यह मान लिया गया है कि यह चर्चा 'गोकलनाथ मामले' से आरम्भ हुई है, और देश में जनता और संसद् की सर्वोपरिता कायम रखने के लिये आरम्भ हुई है। अतः आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन माननीय न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को समझना होगा जिन्होंने 'गोलकनाथ मामले' में फैसला दिया और वे अन्तिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भाग 3 में निर्दिष्ट मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करके संशोधन नहीं किया जा सकता।

अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने कहा था कि...हमारे देश के प्राचीन इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह (संविधान) जनता के प्रतिनिधियों में अप्रत्यक्ष रूप में विश्वास नहीं रख सकता क्योंकि अनियंत्रित तथा असीमित शक्ति के कारण सत्तावादी राज्य की स्थापना हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का यही आधार है और इस आधार को हम समाप्त करना चाहेंगे। इसी आधार के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्ततः एक गलत निर्णय दे दिया।

दूसरी बात हमें यह समझनी होगी कि इस संशोधन करने वाले विधेयक की आलोचना उन्हीं लोगों ने की है, जिनकी काफी सम्पत्ति हैं और उन लाखों लोगों ने नहीं की जो शारीरिक और मानसिक परिश्रम करते हैं। इसकी निन्दा करने वाले वही लोग हैं जो शताब्दियों से जमा किये गये धन पर जीवित रहना चाहते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन लोगों ने इस विधेयक का विधेयक किया है, वे सम्पत्ति वाले लोगों का पक्ष पोषण कर रहे हैं और ये सभी रूढ़िवादी लोग हैं जो हमारे देश को समाजवाद की ओर बढ़ने से रोकना चाहते हैं।

यह कहना कोई नई बात नहीं है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। विश्व के सभी संविधान प्रणेताओं ने इसे स्वीकार किया है। अमरीका के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश होम्ज ने कहा है कि वही संविधान बना रह सकता है जिसमें निरन्तर परिवर्तन किये जायें और यदि जनता के आवश्यक परिवर्तनों में कोई संविधान बाधक होता है तो उसे समाप्त होना पड़ता है।

कभी-कभी माननीय सदस्य, विशेषकर विरोधी दल के सदस्य हमारी और से प्रयुक्त कुछ कठोर शब्दों और न्यायाधीशों के बारे में कहे गये शब्दों को लेकर भावुक हो जाते हैं किन्तु उन्हें भावुक नहीं होना चाहिये। मेरे सहयोगी श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने अमरीका के उच्च न्यायालय के ट्रेडस्कोट के मामले का उल्लेख किया। कुछ समाचार पत्रों ने गोलकनाथ के मामले में समीक्षायें की हैं। हमें अधिक भावुक नहीं होना चाहिए। हमें वस्तु स्थिति को स्वीकार करना चाहिये।

हम अपने न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं किंतु हम उहें मनुष्य ही मानते हैं और मनुष्य होने के नाते वे गलती कर सकते लती हैं। हमारे देश के न्यायाधीश मजदूरों की संतान नही हैं, वे धनाढ़्य तथा समृद्ध वर्ग से सम्बद्ध हैं। यह एक तथ्य है।

अमरीका के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर ने, जिसने अमरीका के सुप्रीम कोर्ट का इतिहास लिखा है, टिप्पणी की है कि यदि हमें अपनी पद्धति का लोकतंत्रात्मक आधार पर सम्मान करना है तो हमारी सरकार के एक गैर लोकतंत्रिक अंग की समीक्षा करने की शक्ति का प्रयोग आत्म संयम के साथ किया जाना चाहिये ? हम न्यायधीशों से यह कह सकते हैं कि वे जनता के प्रति उतने उत्तरदायी नहीं हैं जितने हम हैं। यदि हम पांच वर्ष में कोई गलती करें तो जनता हमें हटा सकती है अतः हमारे न्यायाधीशों को यह समझना चाहिये कि हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें याद रखना चाहिए कि जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, उनके रास्ते में बाधायें उपस्थित न की जाये, क्योंकि यदि बाधाएं उपस्थित की गई तो हमारे लाखों लोग अपनी शक्ति से इन न्यायाधीशों को हटा देंगे।

यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है। इसने केवल यही कहा है कि मुआवजा केवल नाम मात्र का नहीं होना चाहिये। यह कठिनाई है।

अतः सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो फ़ैसला सुनाया है उसमें केवल यही कहा गया है कि मुआवजा केवल नाम मात्र का दिया जाये, अपितु यह भी कहा गया है कि मुआवजा बाजार मूल्य के बराबर देना होगा। यदि हमें बाजार मूल्य जितना मुआवजा देना पड़ेगा, तो हम देश में किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकेंगे।

हम प्रिवी पर्स के मामले को ही लें। श्री पटेल के विचार में इस संबंध में दिया गया निर्णय केवल यह है कि मान्यता समाप्त करना अवैध है। वास्तविकता यह नहीं है। निर्णय यह भी है कि कि अनुच्छेद 291 के अन्तर्गत उपबन्ध एक कानूनी अधिकार है। और यदि यह कानूनी अधिकार है तो इसका अर्थ यह हैं कि यह सम्पत्ति का अधिकार है जिसे बिना क्षतिपूर्ति समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह इतना सरल नहीं है जितना दिखाई पड़ता है।

भारतीय धातु निगम के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने यह निर्णय दिया था कि इस मामले को इसलिये रद्द किया जाता है क्योंकि दी गई क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुपात में नहीं है। इसी प्रकार अन्य कई मामले हैं। इसका अर्थ यह होगा कि हम किसी चीज को भी अपने अधिकार में नहीं ले सकते हैं। हम उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को लाना चाहते हैं जिनका आश्वासन हमने जनता को दिया है, मैं अधिक तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता परन्तु मेरा कहना है कि श्री पटेल के तर्क का आधार गलत है। उन्होंने कहा है कि अमरीका का संविधान वहां राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। निस्सन्देह यह सच है। पर वहां के न्यायपूर्ति फ्रैंकफर्टर के अनुसार अमरीका का संविधान एक निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया से प्रभावित होता है, संविधान अपना निर्णय स्वयं नहीं कर सकता है उसका निर्णय किया जाता है, लार्ड हैलिफैक्स के अनुसार अमरीका का संविधान समय के साथ-साथ अपने में परिवर्तत लाये बिना सजीव नहीं रह सकता था, निरन्तर परिवर्तन की प्रक्रिया ने ही इसको जीवित रखा है। अमरीका के संविधान के स्थायित्व

का कारण वहां के न्यायाधीशों की कुशलता है जिन्होंने समय के साथ चलने का प्रयास किया है। यदि वहां के न्यायाधीशों ने समय के अनुसार निर्णय नहीं किये होते तो अमरीका के राष्ट्रपति और कांग्रेस ने भी वही कदम उठाया होता तो आज हम उठा रहे हैं।

मैं श्री वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिलाना चाहते हैं या नहीं ? वह स्पष्टरूप से इसका उत्तर दें क्या जनसंघ का विश्वास है कि संसद को संविधान के प्रत्येक भाग का संशोधन करने का अधिकार है ? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। श्री वाजपेयी जी यह कह कर भय पैदा करना चाहते हैं कि भारत में एकाधिपत्य स्थापित हो जायगा या भारत धर्मतान्त्रिक राज्य बन जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैंने पूछा था कि क्या संसद भारत में एकाधिपत्य स्थापित कर सकने के लिये समर्थ है और इसका उत्तर 'नहीं' में दिया गया था। क्या हम दो-तिहाई बहुमत से भारतीय गणराज्य को राजतंत्री राज्य बना सकते हैं ? वे इसका उत्तर दें।

श्री मोहन कुमारमंगलम : इस प्रकार के तर्क तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने गोलकनाथ मामले में भी दिये हैं। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने महान्यायवादी से पूछा था कि क्या भारत राजतंत्री राज्य बन सकता है। उन्होंने उत्तर दिया कि यह केवल आशंका मात्र है। भारत किसी भी स्थिति में इस पद्धति को नहीं अपना सकता है। अंतिम रूप से इस मामले में जनता ने ही निर्णय करना है।

श्री वाजपेयी का कहना है कि वह हमारा समर्थन कर सकते हैं बशर्ते कि वे इस मामले में जनमत प्राप्त करें। हम नहीं समझते हैं कि संविधान के संशोधन में जनमत एक रुकावट बन सकता है। परन्तु जनमत को जाने बिना आपका इस विषय की ओर क्या रुख है ? क्या आप गोलकनाथ मामले के निर्णय का समर्थन करते हैं या आप हमारे साथ हैं ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम जनता के साथ हैं।

श्री मोहन कुमारमंगलम : मेरी आपके साथ सहानुभूति है, यदि आप गोलकनाथ के मामले में दिये निर्णय का समर्थन करते हैं तो जनता आपका साथ नहीं देगी और यदि आप हमारा समर्थन करते हैं तो आपके दल के सदस्य आपका साथ छोड़ देंगे, आपको यह चुनना पड़ेगा कि आप जनता को चाहते हैं या महाराजाओं और महरानियों को चाहते हैं, श्री फ्रैंक एंथनी का कहना है कि हम अराजकतावादी हैं। यदि ऐसा होता तो वह यहां कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। हमने कभी भी संविधान में संशोधन अवैधानिक तरीकों से लाने का प्रयत्न नहीं किया है यद्यपि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग हमारे साथ है। श्री एंथनी ने अपने भाषण के अंत में कहा है कि यदि अनुच्छेद 28, 29 और 30 को न बदला जाय तो वह हमारा समर्थन करेंगे।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : अनुच्छेद 26, 29 और 30.

श्री मोहन कुमारमंगलम : हमारा सिद्धांत है जनता की सर्वोच्च सत्ता बनाये रखना। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का जनता को अधिकार है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अधिक चिंतित हैं

परन्तु मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा दल अल्पसंख्यक वर्ग के हित और अधिकारों का संरक्षक रहा है, ऐसा नहीं है कि संविधान में ही अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। वास्तव में यह हमारी नीति है और हम इसमें विश्वास रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने उद्भव के समय से ही अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के लिये संघर्ष किया है। मैं श्री एंथनी को बता देना चाहता हूं कि आंग्ल-भारतीय समुदाय अल्पसंख्यक होने के कारण संसद में अपना प्रतिनिधि भेजने की स्थिति में नहीं है, इसलिये अपवादस्वरूप उनके प्रतिनिधियों को यहां नामांकित किया गया है।

मैं साम्यवादी दलों के अपने उन मित्रों को, जिन्होंने अनुच्छेद 19 (1) (क), (ख) और (ग) में कतिपय संशोधन प्रस्तुत किया है, यह बता देना चाहता हूं कि मार्क्सवाद के अनुसार संविधान का ऐसा कोई लिखित अथवा अलिखित पाठ नहीं है जो संसद को गलत कार्य करने से रोकता है। यह तो जनता ही है जो संसद को गलत कार्य करने से रोकती है, श्री इंद्रजीत गुप्ता ने ठीक ही कहा है कि यह संशोधन वस्तुतः जनता की जीत है। हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं और इसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। आप जनता से अनुच्छेद 19(1) का संशोधन करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं ? ऐसा प्रतीत होता है कि आपके विचार में 19 (1) (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत साधारण जनता को दिये गये अधिकार आते हैं। परंतु मैं आपको दो निर्णयों के बारे में बताना चाहता हूं, एक तो मूल्य पेज अनुसूची मामले के बारे में और दूसरा एक्स प्रैस समाचारपत्रों के मामले में जहां उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यदि पत्रकारों और कर्मचारियों की मजूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण का पंचाट समाचार पत्रों के मालकों के अनुकूल नहीं है तो अनुच्छेद 19 (1) (क) के उपबंधों का हवाला दे सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) (ग) एसोसिएशन अथवा यूनियन बनाने के सम्बन्ध में है। यदि आप अनुच्छेद 19 (1) के उपखण्डों (क) से (घ) को संशोधन की परिधि से बाहर रखेंगे तो इसका तात्पर्य यह होगा कि आप सम्पत्ति का महत्व बढ़ा रहे हैं।

इससे पहले भी अनुच्छेद 16 का संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 16 (4) बनाया गया था जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को नए अधिकार दिये गये थे, आज जब कि अनुच्छेद 19, 15 और 16 में संशोधन किया जा रहा है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। यदि आप संसद में संशोधन करने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो सम्पत्ति रखने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 19 (1) (क), (ख), (ग) और (घ) का आश्रय लेगा।

अतएव मेरा अनुरोध है कि वे इस वस्तुस्थिति की कठिनाई को समझें। हम चाहते हैं कि आप इन संशोधनों का समर्थन करें। आप ऐसी कोई शर्त न रखें जो इस आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध जाती हो कि जनता का सर्वोपरि महत्व होता है। श्री वाजपेयी, श्री मनोहरन सहित सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जनता का स्थान सर्वोपरि है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसी कार्यवाही न करें जिससे सम्पत्ति के सम्बन्ध में संशोधन न ला सके।

अंत में आपको जनता तथा संसद पर विश्वास करना पड़ेगा। आप उस संसद की अवहेलना नहीं कर करते जहां जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं। संविधान का निर्माण जनता ने

संविधान सभा के द्वारा किया था। आज भी वे अपने ऊपर लागू होने वाले नियमों को बनाने में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

मैं 'लंदन टाइम्स' समाचारपत्र का एक उद्धरण देना चाहूंगा। इंगलैंड की संसद के बारे में 'लंदन टाइम्स' ने कहा था कि यह सर्वोच्च है। यह पूछा गया था कि क्या संसद द्वारा पारित कोई भी कार्यवाही वैध मानी जा सकती है। इसका उत्तर उन्होंने 'हां' में दिया था। जनता ने ही यह निर्णय करना है कि संसद में क्या निर्णय लिये जायें। यदि हम गलत निर्णय लेते हैं तो जनता हमें यहां से चले जाने को कह सकती है। यही हमारे देश की भविष्य की गारंटी है। हमें अपनी जनता पर विश्वास होना चाहिये। आज हमारे समक्ष अपनी अर्थव्यवस्था को नया रूप देने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी कोटि-कोटि जनता के जीवन में खुशहाली ला सकें। ऐसा करने के लिए हमें न्यायालय द्वारा पैदा की गई रुकावटों को दूर करना पड़ेगा। इन रुकावटों को दूर किए बिना हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं और न गरीबी को ही दूर कर सकते हैं। हम ऐसा इस संशोधन को पारित करके ही कर सकते हैं। हमारे विधि मंत्रालय ने ठीक ही कहा है कि आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।

हमें सुनहरे भविष्य को अपने सामने रखना चाहिये, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आज के दिन को याद रखें।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेंद्रम) : यह 24वां संशोधन विधेयक एक प्रकार से स्पष्ट करने वाला तथा घोषणात्मक स्वरूप का है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

हमारे संविधान ने उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार प्रदान किये हुये है उनके अनुसार वे संविधान की व्यवस्था कर सकते हैं। परन्तु उन्होंने संविधान की व्याख्या इस प्रकार की है जिससे हमारा उद्देश्य विफल रहता है। हमारे विचार में संविधान की व्याख्या में एक बड़ी भारी गलती की गई है और इसको ठीक करने की आवश्यकता है।

मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री उत्तर देते समय इस तथ्य का अवश्य उल्लेख करें कि यहां किसी मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं किया जा रहा है अपितु संविधान में निहित संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि की जा रही है। मैं संशोधन सम्बंधी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह व्यवस्था सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय विशेष में भी इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया कि संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि संशोधन करने की शक्ति प्रविष्टि 97 में कहीं पर है। इससे हमारे सामने एक और पहलू आता है। इस अनुच्छेद 368 में एक हाशिया टिप्पण है जिसमें संशोधन करने की विधि का उल्लेख है। हथियार टिप्पण को सामान्यत: विधि का मुख्य अंग नहीं समझा जाता परन्तु कभी-कभी उसको समझने में इससे सहायता मिलती है। इस टिप्पण में केवल एक प्रक्रिया का उल्लेख है। ऐसी प्रक्रिया कौन सी होती है जिसका किसी मुख्य विषय के

साथ सम्बंध न हो ? अतः यह विधेयक संदेह दूर करने वाला और स्पष्टीकरण करने वाला विधेयक है।

इस समय मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। इस कारण जनमत का महत्व समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि यह विधेयक जनता के सम्मुख काफी समय से है और इसको परिचालित करने का प्रयोजन सिद्ध हो चुका है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि स विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिया जाये। यह एक विचित्र सुझाव है क्योंकि यदि हमने सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से त्रुटियों को ठीक करना है तो उसका उद्देश्य और संसद का कार्य निष्फल हो जायेगा। इस निर्णय से संविधान में संशोधन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 141 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इस समय यह कानून है। परन्तु इसमें यह भी लिखा है कि हमें इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को व्याख्या का अधिकार है परतु इस अधिार के दुरुपयोग को हमें यथासम्भव रोकना चाहिये।

जहां तक प्रभुसत्ता सम्पन्न होने की बात है, संसद अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न है। इसी प्रकार न्यायधीश भी अपने क्षेत्र में प्रभुसत्ता सम्पन्न है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब कार्यपालिका भी प्रभुसत्ता सम्पन्न होती है। परन्तु उनकी प्रभुसत्ता सीमित रह जाती है क्योंकि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास रहती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम देश में राजतंत्र लाने के लिए संशोधन करने सम्बंधी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। निःसंदेह हम ऐसा कर सकते हैं। परन्तु हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक इस बारे में इस देश में लोकमत नहीं बन जाता। संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें संशोधन न किया जा सकता हो। बड़े-बड़े धर्म ग्रथों में ऐसे नियमों का संशोधन किया गया है जिहें अब तक अपरिवर्तनशील घोषित किया गया था। इस विधेयक से मूलभूत अधिकारों में कोई संशोधन नहीं होता। इसमें मूल अधिकारों को कम करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारा कहना यह है कि मूलभूत अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। उन्हें कम नहीं किया जा सकता परन्तु उन्हें बदला जा सकता है। मूलभूत अधिकार बहुत सीमित हैं। यदि उक्त अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव रखा गया तो हम निश्चय ही उसका विरोध करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : संविधान का उद्देश्य किसी निश्चित बात पर लोगों की उपलब्धि को कानूनी रूप देना अथवा नियमित करना है। यदि यह कहा जाये कि संविधान अपरिवर्तनीय अथवा आदर्श है तो यह बात ठीक नहीं हो सकती क्योंकि समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। यदि कानून का विस्तार करके स्थिरता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लोकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था में, जैसी कि हमारे देश में है, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ही सरकार, विधान मंडलों कार्यपालिका और न्यायपालिका का मार्गदर्शन करना चाहिये। जिस समय संविधान तैयार किया गया था, उस समय निहित स्वार्थ और धनी व्यक्ति मूल अधिकारों द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने न्याय और न्याय से भिन्न अधिकारों में भेद करने का प्रयत्न किया

था । भाग 4 को न्याय न बनाये जाने से संविधान का महत्व कम नहीं हो जाता । संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद पवित्र है ।

संविधान तैयार करते समय हमें मुआवजे के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए थी । सम्पति सम्बंधी खण्ड का महत्व बहुत बढ़ गया है । आज समाज को कई प्रकार के नये अनुभव हो रहे हैं । लाखों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं । वे अपना अधिकार चाहते हैं । संविधान में लिखा है कि मुआवजा दिया जाना चाहिये । इसीलिए हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं । निर्धन लोगों के लिए सम्पत्ति का महत्व अधिक नहीं है । उनके लिये मुआवजे का महत्व अधिक है । उनका हित उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन में है । ये संशोधन उनके हित में है ।

भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका के उपबन्ध महान उपलब्धियों में से एक है । हमारे देश में न्यायपालिका ने कई बार सिद्ध कर दिया है कि वह पूर्णतया निष्पक्ष है । परन्तु वे राजनीतिक—सामाजिक—आर्थिक परिवर्तनों से उदासीन नहीं रह सकते । भारतीय न्यायपालिका को व्याख्या और स्वविवेक की अनेक शक्तियां प्राप्त हैं । इस सम्बध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग निर्धन वर्ग के हित में किस प्रकार किया जाता है । यदि न्यायाधीश समय को नहीं पहचानते तो स्वभावतः वे अलग पड़ जायेंगे और न्यायपालिका में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया जायेगा और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यदि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करके संसद को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगी तो तनाव वाली स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है । न्यायपालिका निष्पक्ष रहे, परन्तु हम मूल अधिकारों सहित संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में परिवर्तन करने का अधिकार मिलना चाहिये । यह हमारा अधिकार है । न्यायपालिका न्याय और विधि के प्रशासन में निष्पक्ष रह सकती है परतु वह जनता की प्रभुसत्ता का, जो संसद में निहित है, अतिक्रमण नहीं कर सकती । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस विधेयक में अल्पसख्यकों के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं भी अल्पसख्यक समुदाय का सदस्य हूं । परन्तु मैं सांविधिक सुरक्षा पर निर्भर नहीं करना चाहता । मैं इस देश में बढ़ती हुई सामाजिक जागृति में विश्वास रखता हूं ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आरम्भ से ही अल्पमतों का संरक्षक रही है तथा मौलिक अधिकारों का अनुसूचित जातियों के हितों के लिए संशोधन किया जा चुका है । लोगों की राजनीतिक चेतना जागृत हो गई है । निर्धन लोग महान राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेकर अपने हितों की रक्षा करेंगे । कुछ समय के लिए उन्हें संरक्षण आवश्यक हैं । हमें सदा ही विशेषाधिकारों से लगाव नहीं रखना चाहिए ! ऐसा करना प्रगति और राजनीतिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि संक्षेप में बोले तो मैं शेष सभी को समय देने की चेष्टा करूंगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मुझे संविधान (चौबीसवें) संशोधन विधेयक पर प्रसन्नता है । यह विधेयक अन्य विधेयकों का पूर्ववर्त्ती है ।

इस संशोधन विधेयक द्वारा संसद को अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का अधिकार मिल जाता है जिससे कि अनुच्छेद 13 उसमें बाधक न बन सकें । अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया

वर्णित की गई है। उच्चतम न्यायालय को गोलकनाथ के मामले में निर्णय में केवल एक मत से बहुमत मिला था।

मुझे पक्का विश्वास है कि गोलकनाथ, बैंक राष्ट्रीयकरण तथा केरल विश्वविद्यालय के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय इस बात से प्रभावित थे कि न्यायाधीश जन साधारण की इच्छा आकांक्षाओं से दूर उच्च वर्ग के लोग हैं। मुझे भय है कि भारी बहुमत से इस विधेयक के पारित होने के बाद भी उच्चतम न्यायालय बाधक बनेगा।

मेरा सुझाव है कि उच्चतम न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति सीमा 55 वर्ष कर दी जाए। इससे समाजवादी कार्यक्रमों में आस्था रखने वाले लोग न्यायपीठ में आ सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

Shri Bhagwad Jha Azad (Bhagalpur) : The Government, by this amendment, do not want to enhance its powers but is interested in the betterment of the common people.

It is surprising that even a person like Shri Krishna Menon has objected to sub clauses (a) and (h) of article 19 (1). He has expressed that the prepared amendment would curtail the individual freedoms. The Government can curtail these freedoms under Article 19 (2) W (6). All laws are for the welfare of the common people.

The Supreme Court upheld the right of the Parliament to amend the constitution in Shankari Prasad and Siyam Singh. We shall continue to change the fundamental rights till the gulf between the rich and the poor is fully bridged.

We want to do away with unemployment and to stablize prices. We want an economic system that may provide food, clothing, houses, health services and education for all.

How is it that the constitution that can be amended only by two third majority in Parliament, can be changed by a single judge of Supreme Court.

The Supreme Court itself has expressed importance of certain matters. One is whether Article 368 contains amending power or only the procedure in that regard. Secondly whether the Parliament has the right to amend the fundamental rights ? If that right is not vested with the Parliament, how can it be amended ? Our friends say that a Constituent Assembly may be convened. But who should convene such a constituent Assembly. It is a fallacious argument to say that a new Constituent Assembly can be constituted by this Parliament with power to amend the Constitution. Dr. Ambedker had said that all other articles of the Constitution are left to be amended by Parliament. The only limitation is that it shall be done by a majority of not less then two thirds.

Today a Judge in Golaknath case could amend the Constitution which right even the two thirds majority of this elected house does not possess.

Shri Seervai Advocate general of Maharashtra has beautifully put if that today Judge has become so unpredictible that they constantly change their Judgements. They have endangered the Judical and administrative system of the country.

Does this right to property exist for only ten percent of the population ? Does it not exist for the rest ninety percent ? The profits of the Mill owners should be curtailed and distributed to the common people. We shall amend the Constitution as many times as necessary for bringing about social change.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सहस्रों वर्ष यह देश दासता में रहा है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। फलस्वरूप हमें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। उन अधिकारों के कारण

ही हम उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो मुक्त नहीं हुए। दुर्भाग्य से इस सदन के सभी सदस्य दासता में पैदा हुए थे। केवल 15 अगस्त, 1947 के बाद पैदा होने वाले लोग ही जन्म से स्वतंत्र हैं।

इस विधेयक को लाने में हमारा उद्देश्य क्या है? जहां प्रस्तुत किये गये तर्कों से उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि गोलकनाथ के मामले से पहले यह स्थिति थी और उसके बाद दूसरी स्थिति पैदा हो गई है। गोलकनाथ से पूर्व क्या हुआ यह भली प्रकार विदित है। पहले भी और बाद में भी उन्हें अपने वायदों को पूरा करने से कोई रोकता नहीं था। अकर्मण्यता में उनकी अक्षमता ही मुख्य कारण थी।

कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र तथा जनता द्वारा उन्हें दिये गये शासनादेश की बहुत अधिक चर्चा की गई है। वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस को, उपयोग किये गये मतों का 43 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। पचास प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग ही नहीं किया। कुल मतदाताओं के केवल एक चौथाई ने ही उन्हें मत दिये। अथाह धन तथा समग्र सरकारी मशीनरी उनके निर्वाचन कार्यों के लिए उपयोग में लायी गई। अब वे अपने बचनों की पूर्ति की बात करते हैं। मैं केवल साक्षरता की समस्या को लेता हूं। 1951 में देश में 10 वर्ष की आयु के ऊपर 21.55 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित थे। 1968 में यह आंकड़े 23.55 करोड़ थे और आज 31 करोड़ तक पहुंच गये है।

मैं समझता हूं कि सम्पत्ति के प्रति उनकी घृणा वास्तविक है। तथ्य यह है जनता को जिस भी वस्तु से कुछ लाभ पहुंचता है उससे ही उन्हें घृणा है वास्तविकता यह है कि कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमारा संविधान अथवा उच्चतम न्यायालय बाधक रहा हो।

भूमि सुधार के मामले में हम देश में जोत की सीमा निर्धारित करने में सफल रहे हैं। हमने पट्टे पर भूमि जोतने वाले किसानों को स्थाई अधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया है। कुछ राज्यों में हमने जमीदारों और पट्टाधारियों के भाग को कानून द्वारा नियमित किया है और कुछ राज्यों में किसानों को खेती न करने वाले जमींदार की भूमि जोतने का अधिकार दिया है। कुछ राज्यों में हमने भूमि की जोतों की चकबन्दी भी की है। ये सभी काम कुछ राज्यों में किये गए हैं परन्तु इनमें से एक बात क्रियान्वित नहीं की गई है। गोलक नाथ के मामले में इन सभी विधानों को न केवल मान्यता ही दी गई है अपितु सभी राज्यों में ऐसा करने के लिए आगे कानून बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। परन्तु ऐसा करने की सरकार की कोई इच्छा नहीं है।

सरकार गरीबी हटाने की बात कहती है परन्तु उसके पास इसका समाधान नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिससे जनता का और अधिक शोषण होगा। सरकार इस बात से अनभिज्ञ है कि संसाधन किस प्रकार बढ़ाए जाएं।

निर्देशक सिद्धान्तों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इन सिद्धान्तों द्वारा सरकार को निदेश दिया गया है कि वह ऐसी स्थिति पैदा करें, जिससे कहीं पर भी सम्पत्ति का संग्रह न होने पाए और काम करने, चिकित्सा, शिक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन, अवकाश आदि का अधिकार प्राप्त हो। यह अधिकार अपरिवर्तनीय है सरकार इन्हें घटा नहीं सकती। ये अधिकार सदैव बने रहते हैं। काम, शिक्षा तथा रोजी रोटी के अधिकार केवल उनके चाहने से अथवा केवल

यह कहने से कि यह अधिकार अधिक मौलिक हैं प्राप्त नहीं हो सकते। इन अधिकारों को दिलाने में सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार को ऐसा कानून बनाने के पथ में रोड़ा बने जिससे गरीबी दूर हो सके। गरीबी इस लिये दूर नहीं हो रही है क्योंकि कुछ गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में सत्ता है और वह विरोध करने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का गला घोंट देना चाहते हैं जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : माननीय सदस्य ने अभी जो बातें कही हैं उनका विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है। सभा के समक्ष केवल एक प्रश्न है और प्रश्न यह है कि क्या भारत की संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है अथवा ऐसा करना उसके क्षेत्राधिकार में है या नहीं? गोलकनाथ के मामले से पूर्व यह दावा किया जाता था कि इस सभा को संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय ने बाद के दो मामलों में भी इस बात का ही समर्थन किया है। उसके बाद गोलकनाथ का मामला आया, जिसमें एक न्यायाधीश के बहुमत से इस अधिकार को संसद से वापस ले लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह अधिकार संसद को पुनः दिया जाना चाहिये? परन्तु क्या यह निर्णय सदाशयता से किया गया है? क्या यह बात उनके समक्ष रखी गई थी? क्या उन्हें इस विशेष बात के बारे में निर्णय देना था? उन्होंने कहा कि संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः रद्द किए गये कानून को चुनौती देना ठीक था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून भविष्य में प्रतिकूल व्यवस्था देकर भी लागू रहेगा। यदि वह इस बात का निर्णय किये बिना कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अपने समक्ष मामले का फैसला करते हैं तो ऐसा करना झूठा दावा होगा, क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। वे ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो उन्हें करने के लिये नहीं कहा गया है। उन्होंने न्यायिक औचित्य का ध्यान नहीं रखा है और ऐसा निर्णय उन्होंने जानबूझ कर कानून की परिधि से हटकर किया है। अब हम पुनः अपनी स्थिति पर दृढ़ हो रहे हैं। टकराव की कोई बात नहीं है। यदि हम टकराव चाहते, तो हम निश्चय ही अनुच्छेद 141 में संशोधन कर सकते हैं और हम यह कह सकते हैं कि यह आज के बाद बाध्य नहीं रहेगा ताकि उच्चतम न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि अन्याय न होने पाये। दूसरी ओर यदि उच्चतम न्यायालय टकराव चाहता है, तो इस सभा द्वारा विधेयक का भारी मत से पारित किया जाना एक प्रकार से उच्चतम न्यायालय और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए चेतावनी सिद्ध होगा और यदि आवश्यकता हुई तो हम इस टकराव के लिए भी तैयार हैं। संसद को भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

अल्पसंख्यकों के लिए तर्क देकर यदि कोई व्यक्ति संसद से अल्पसंख्यकों के संरक्षण के अधिकार को छीनना चाहता है तो वह इस देश के अल्पसंख्यकों के हितों को हानि पहुँचा रहा है। संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। केवल यह सदन ही अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है। मेरे माननीय मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी अपने तर्कों द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों का हित नहीं, अपितु अहित कर रहे हैं।

यह स्वीकार किया गया है कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। समय और परिस्थितियों

के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु प्रश्न यह है कि इन अधिकारों में परिवर्तन किया कैसे जाए और यह कार्य केवल संसद ही कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्य श्री मनोहरन के कथन का समर्थन करती हूं कि आज हम स्वर्गीय श्री नाथपाई, जिन्होंने इस संवैधानिक संशोधन के सम्बन्ध में विधेयक पेश किया था, की कमी महसूस कर रहे हैं। यदि वह आज उपस्थित होते, तो जरूर इस सम्बन्ध में एक जोशीला भाषण देते।

श्री मनोहरन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रत्येक राज्य को समान रूप से समझा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार सभी राज्यों को एक समान समझती है। और इस बात के लिए प्रयत्नशील रहती है कि प्रत्येक राज्य के साथ एक जैसा व्यवहार हो और उन मामलों पर विचार करती है जो राज्यों के लिए समस्या बने हुए हैं। आये दिन किसी न किसी राज्य मे मंत्री अथवा मुख्य मंत्री अपने राज्य की समस्याओं को लेकर यहां आते हैं।

निस्संदेह विधि विशेषज्ञों के भाषण रोचक और शिक्षाप्रद थे किन्तु जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है वह केवल विधायी या संवैधानिक ही नहीं है। हमने जो भी संशोधन किए हैं उनमें हमारी जनता की भावनाओं की झलक दिखाई देती है। माननीय सदस्यों द्वारा कुछ ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं जो मेरे विचार में अवास्तविक हैं। संविधान की सर्वोच्चता के मुकाबले संसद की सर्वोच्चिता के सम्बन्ध में इस प्रकार का विवाद खड़ा किया गया है जैसे कि इन दोनों के पीछे मूल धारणाओं में ही कोई खबर हो और ये परस्पर विरोधी हों। इस प्रकार की बातें करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि हमारे संविधान का प्रारूप मूलतः इस विश्वास पर तैयार किया गया था कि हमारी जनता की जनतांत्रिक सिद्धान्तों में अटूट निष्ठा है। हमारी जनता के इसी विश्वास के आधार पर यह संविधान तैयार किया गया था।

कई माननीय सदस्यों ने संसद तथा न्यायपालिका के टकराव की बात कही है मेरे विचार में इन दोनों के बीच वास्तविक रूप से टकराव नहीं है क्योंकि प्रत्येक संस्था की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी संविधान को स्थिर नहीं रखा जा सकता। देखने में आया है कि कई संविधान इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि उन्होंने प्रभावशाली ढंग से कार्य करना बन्द कर दिया था। हमारा संविधान सुचारू रूप से चल रहा है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारा संविधान लचीला है और हमारी राजनीतिक संस्थाएं जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य करती हैं।

जहां तक अल्पसख्यकों का प्रश्न है, उनकी सुरक्षा की गारंटी केवल इस संसद द्वारा ही दी जा सकती है। केवल संवैधानिक साधनों से ही उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इतिहास में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलेंगे कि कई संविधान उलट दिए गए अथवा समाप्त कर दिए गए। अतः व्यापक तथा वास्तविक गणतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के प्रति दृढ़ वचनबद्धता ही वास्तव में हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की वास्तविक गारंटी है। केवल संवैधानिक साधनों से ही उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। सारांश यह है कि केवल भावनापूर्ण

तथा दृढ़ जनमत की अल्पसंख्यकों को वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। संसद के माध्यम से व्यक्त की गई जनता की इच्छा ही गणतन्त्र का प्रमुख आधार है। अतः शक्ति तो केवल जनता में ही निहित है। यदि हमारे पास कोई शक्ति है, तो यह हमने जनता से प्राप्त की है और यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि हम जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करें और उन्हें दिए गए आश्वासनों को पूरा करें।

निहित स्वार्थ लोगों में फूट डालने और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जनता धर्मनिरपेक्षता की नीति में विश्वास रखती है। परिवर्तन जीवन का एक अंग है। हम इसे पसन्द करें अथवा न पसन्द करें यह अलग बात है। हम अतीत के साथ जुड़े नहीं रह सकते। यदि हम भारत में जीवन की परिस्थितियों को देखें, तो हम इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। स्थिर परन्तु निर्जीव हो जाती है और वह दिन प्रतिदिन सक्रिय तथा गतिशील लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। अतः हमें परिवर्तन लाना ही होगा और यह परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढंग से भी लाया जा सकता है और हिंसात्मक तरीकों से भी। हमें इनमें से एक पथ अपनाना होगा।

'वचनबद्धता' शब्द की कई माननीय सदस्यों द्वारा गलत ढंग से व्याख्या की गई है। हमें इसकी चिन्ता नहीं है कि कौन क्या कहता है। सरकार 'वचनबद्धता' में विश्वास रखती है। सरकार लाखों लोगों के जीवन की परिस्थितियों को बदलने और जनता में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। गरीबी हटाने तथा असमानताओं को कम करने के सम्बन्ध में हमारी बातों का उपहास किया जा रहा है। वास्तव में गरीबी एक अभिशाप है और इसका उपहास केवल ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जिनको गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं है। वह भी एक ऐसी गरीबी जो सदियों से चली आ रही है। और इस गरीबी को कुछ सप्ताहों, महीनों या कुछ वर्षों में समाप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति ऐसा करने का दावा करता है, वह स्पष्ट रूप से जनता को धोखा दे रहा है। गरीबी को जादू की छड़ी से दूर नहीं किया जा सकता। गरीबी दूर करने के लिए दृढ़ कदम उठाने होंगे।

मुआवज़े के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह मुआवज़ा किस लिए मांगा जा रहा है? क्या यह मुआवज़ा किसी भूमि, स्थान अथवा बड़े मकान के लिए मांगा जा रहा है अथवा बेगारी, भूमिहीनों की बेदखली अथवा गैर कानूनी रूप से छीनी गई भूमि के बदले में मांगा जा रहा? हममें से अधिकांश इस बात को जानते हैं कि जो लोग आज मुआवज़े की मांग कर रहे हैं, उन्हें सम्पत्ति पहले से मिली हुई नहीं थी।

बिहार में एक छोटा सा दल ऐसे व्यक्तियों का है जिन्हें 'ताना भगत" कहा जाता है। यद्यपि ये लोग संख्या में बहुत कम हैं तो भी स्वतन्त्रता के प्रति इन लोगों में बड़ा जोर था। स्वतन्त्रता संग्राम में ये सर्वप्रथम आगे आए थे, अंग्रेजों ने इन लोगों की भूमि छीन ली थी। आज हम इन लोगों को भूमि नहीं दे सकते। परन्तु अंग्रेजों ने जिन लोगों को वह भूमि दी थी, वे आज इस भूमि को अपनी सम्पत्ति मानकर इसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या यही मुआवजा हमें उन्हें देना चाहिये? मैं समझती हूँ कि इस प्रकार से छीनी गई भूमि के असली हकदार ये "ताना भगत" हैं। इस प्रकार के कई और मामले भी छानबीन करने पर हमारे सामने आ सकते हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे देश से गरीबी को हटाने के लिए अपेक्षित सामाजिक, राजनीति तथा आर्थिक प्रक्रियाएं लोकतन्त्री के ढांचे के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति सदा ही नासमझी के कारण या जानबूझ कर इसके विरुद्ध शोर मचाते रहे हैं। उन्होंने सदा ही हमारे द्वारा प्रयुक्त किये गये शब्दों का उलटा अर्थ लगाया है। इससे पूर्व भी मैं वचन बद्धता का उल्लेख कर चुकी हूं। धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र के प्रति हमारी वचनबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम किसी को हानि पहुंचाने के पक्ष मे नहीं हैं और न ही समाज में किसी वर्ग अथवा श्रेणी के विरुद्ध हूं। मैं यह बात अच्छी तरह समझता हूं कि इतनी अधिक गरीबी के रहते हुए, कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। जब तक सभी वर्तमान असमानतायें विद्यमान हैं तब तक अल्प-संख्यकों सहित जनता के सभी वर्गों को यह विश्वास नहीं हो सकता कि उनके सभी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता तब तक देश के विकास के लिये उनके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा नहीं की जाती और न ही तब तक किसी प्रकार की एकता की आशा की जा सकती है। लोकतन्त्र का नाम तभी सार्थक हो सकता है जबकि इसमें सभी लोगों का हित सुरक्षित हो।

मैं इस सभा को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम अपने नागरिकों के मूल अधिकारों के बनाये रखने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जब हम सम्पत्ति के अधिकार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाने की बात करते हैं तो हमारा इरादा सम्पत्ति को समाप्त करने का नहीं होता। उसमें हमारा वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि जब कभी सम्पत्ति के अधिकार का सार्वजनिक उद्देश्य से विरोध हो जाये तो उस समय सार्वजनिक उद्देश्य को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए।

हमने जो संविधान संशोधन विधेयक पुस्कृत किया है कुछ सदस्यों ने उसकी हंसी उड़ाई है, कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है तो कुछ ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से इसका समर्थन भी किया है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि उन्हें हमारे संशोधन के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि इन संशोधनों का राजनीतिक और सामाजिक महत्व क्या है। आज हम जो भी कदम उठा रहे हैं हमारे लोकतन्त्र की प्रगति के लिये वह बहुत महत्वपूर्ण है और उनका सम्बन्ध इस देश के लाखों लोगों की प्रगति से है। जिन लाखों लोगों ने निर्वाचित कर हमें यहां भेजा है उनकी आकांक्षाओं और भावनाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व करना हमारा कर्त्तव्य है और हमें अपने इस परम कर्त्तव्य का पालन कर, लोकतन्त्र के प्रति लोगों की निष्ठा को और दृढ़ करना चाहिए।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the amendments to Articles 13 and 368 proposed in the Bill. Article 13 has already been discussed but perhaps article 368 has not been discussed so far. The present Bill provides that when a Constitution (Amendment) Bill is passed by both the Houses of Parliament and is presented to President for his assent, he must give his assent thereto. This Constitution (Amendment) Bill is in favour of the Commonman and gives us sufficient strength to loosen the strangle hold of Capitalism in the Country. It is a historic Bill which will have way for a peaceful change through democratic methods.

We all know what are democratic rights ? We also know the persons against whom preventive Detention Act will be used. We are fully aware that it is not likely to be used against the hoarders and black marketers. We are having a Capitalist Government and this Government has protected the interests of Capitalists. The manner is which industrial licences were given and these Budget proposals bear a testimony to it. That is why we are having a difference of opinion with the Government. We are having our own doubts. Linguistic and religious minorities have not been given a fair deal. All these things provide a sufficient scope for misgivings.

I think when this Bill is passed, the people will watch whether the Government moved on the path of strengthing democracy and weakening Capitalism or it did nothing in that direction.

Shri Mohammad Tahir (Purnia) : Mr. Deputy Speaker, sir, as much has been said about these amendments so I would like to add only a few points. The present Constitution (Amendment) Bill is a gift of our Constituent Assembly. Article 368 of Constitution gives Parliament power to amend any part of the Constitution. Since the decision of the Supreme Court in Golak Nath Case had cast some doubts about this power of Parliament, the present Bill seeks to remove them. Hence, I am here to support this Bill.

Some of our hon. Members feel that Supreme Court is always infallible. But I want to say that it is not always so. The Supreme Court is also a body of human beings and its every decision cannot be absolutely correct. Now the question is as to who will have the last voice on the Constitution, Parliament or the Supreme Court.

The preamble of our Constitution says that "we, The People of India, having solemnly resolved to Constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens . . ." The People of India have made this Constitution and it is Supreme, but the amending authority is the Parliament. I therefore, support the proposed amendments.

It was not necessary to amend the marginal note *i. e.* the procedure to amend the Constitution, as it is not part of the article 363.

Some of the members have criticized the Constituent Assembly. It is not proper to do so. It was the constituent assembly which had taken the charge of India from the British Government.

Some people are afraid that the fundamental rights would be amended. The proposed amendment has been brought forth to reassert the supremacy of the Parliament. We are empowering the Parliament to amend the Constitution. This does not mean automatic change in any of the fundamental rights. The Prime Minister has very clearly stated that rights of minorities would not be affected by this amendment in the Constitution. The minority communities have the power to retain their rights.

The Constituent Assembly had already empowered the Parliament to bring about any change or amendment in the Constitution, but this Bill has been brought forward here because of the judgement of the Supreme Court. I, therefore, support the Bill.

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस वाद-विवाद को ध्यानपूर्वक सुना है और सदस्यों द्वारा इसमें प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए मैं उनका आभारी हूँ।

प्रधान मन्त्री और मेरे अन्य साथियों ने अनेक प्रश्नों और शंकाओं का पहले ही उत्तर दे दिया है। इसलिए प्रस्तावित विधेयक में संशोधन और परिवर्तन के लिए, जो सुझाव सदस्यों ने दिए हैं, उनका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

स्वतन्त्र पार्टी के प्रवक्ता और श्री फ्रैंक एन्थनी तथा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर सदन के सभी पक्षों ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। इस बात का भी प्रयास किया गया है कि मुख्य विषय से ध्यान हटाकर अन्य प्रश्नों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाय।

मूल और मुख्य प्रश्न तो यह है कि "क्या संसद को अधिकार होना चाहिए ?" यह संसद सर्वोच्च है, क्योंकि बालिग मताधिकार के आधार पर विश्व के सबसे बड़े जनतन्त्र ने इसे चुना है।

मुख्य विषय से ध्यान हटाने के लिये कुछ संशोधन पेश किये गये हैं। श्री वाजपेयी ने दो संशोधन पेश किये हैं, जो अपने आप में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक संशोधन में उन्होंने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए इस विधेयक को सौंपने को कहा है और दूसरे संशोधन के द्वारा इसे जनता की राय जानने हेतु परिचालित करने का सुझाव दिया है। मुझे श्री वाजपेयी के साथ सहानुभूति है।

श्री फ्रैंक एन्थनी भी इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय को भेजने के पक्ष में हैं। जिस किसी भी व्यक्ति ने अनुच्छेद 143 का अध्ययन किया है, वह जानता है कि अगर कोई विधेयक उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है और अगर वह राय देता भी है, तो बाद में उस राय के अनुसार किसी मामले पर निर्णय देने के लिए वह बाध्य नहीं है।

उच्चत्तम न्यायालय से हम क्या पूछेंगे ? अगर हम उनसे यह पूछते हैं कि "क्या उच्चत्तम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया है, उसको मानें या उच्चत्तम न्यायालय ने अपनी राय में अब कोई परिवर्तन कर लिया है।" उच्चत्तम न्यायालय कहेगा कि उच्चत्तम न्याया-लय की उन रिपोर्टों को देख लीजिए, जिनमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमें में हम पहले ही अपना अभिमत दे चुके हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा नहीं। कुछ सदस्य इसका समर्थन करने से बचने के लिए इसे उच्चमत न्यायालय को भेजने की बात कर रहे हैं।

उच्चत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने एक मामले में कहा था कि उच्चत्तम न्यायालय द्वारा पहले दी गई राय का हमने अनेक बार अध्ययन किया है, परन्तु उसे समझने में हम अस-मर्थ हैं।

आज भारत की जनता शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिये कटिबद्ध है और परिवर्तन लाने हेतु उसका दृढ़ संकल्प है।

माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एंथनी और श्री वाजपेयी ने यह सुझाव दिया है कि यह मामला अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए उसे भेजा जाये। मेरी समझ में यह नहीं आया कि किन कारणों से उन्होंने यह सुझाव दिया है। वस्तुतः उन्हें डर है कि उक्त विधेयक का विरोध करने पर जनता उनका साथ नहीं देगी और इसका समर्थन करने पर उनके राजनीतिक गुर्गे उनका साथ छोड़ देंगे। जहां तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस सुझाव

का सम्बन्ध है कि इस विधेयक पर जनमत-संग्रह किया जाये। उनके इस तर्क से मैं सहमत हूं कि जनता में सर्वोच्च सत्ता निहित है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत जनमत-संग्रह किया जाये ? श्री एंथनी और श्री वाजपेयी जी संविधान का कोई भी उपबन्ध अपने समर्थन में उद्धृत नहीं कर सके हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ 35 करोड़ मतदाता हों हर ऐसे प्रस्ताव पर जनमत-संग्रह सम्भव है ? यदि संविधान में संशोधन करने वाले प्रत्येक विधेयक पर जनमत-संग्रह करने की बात स्वीकार कर ली जाये, तो एक वर्ष में कितनी बार जनमत-संग्रह कराया जा सकेगा। यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे अनेक विधेयक संसद् के सामने आते हैं। सच बात तो यह है कि ऐसे सुझाव देने वाले ही अपने सुझावों के बारे में गम्भीर नहीं हैं और ऐसे सुझावों में कोई सार भी नहीं है। विधेयक के उद्देश्यों से लोगों को विमुख करने के लिए ऐसे सुझाव दिये जाते हैं।

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में मैं इस मत का समर्थन करता हूं कि भाषण का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार जैसे मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद की सत्ता को कार्यरूप में नहीं लाया जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधन के पारित हो जाने पर सरकार को जो शक्ति प्राप्त होगी, उसे वह एकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लायेगी। यदि उच्चतम न्यायालय का इतिहास हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि 99 प्रतिशत मामलों में मूलाधिकार के हनन की बात निहित स्वार्थों ने अपने विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उठाई है। इस दृष्टि से इस विधेयक के विरोधियों के तर्क धराशायी हो जाते हैं। सम्पत्ति के मूलाधिकार के हनन के भी 99 प्रतिशत मामले बड़े जमींदारों या बड़े उद्योगपतियों से सम्बद्ध हैं। मेरा विचार है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, जिससे साधारण और गरीब व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त विधेयक का समर्थन किसके हक में है और विरोध किसके हक में। संसद में जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इस दृष्टि से भी संसद को संविधान में उपयुक्त संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। संसद सदस्य के नाते मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं यह देखूं कि कौन सा कानून जनता की प्रगति में बाधक बन गया है और उस कानून में संशोधन करने के लिए सदा तैयार रहूं।

इस बात पर अत्यधिक बल दिया गया है कि सरकार के विधायक अंग और न्यायपालिका अंग में टकराव हो जायेगा। किन्तु टकराव होगा किस आधार पर। विधानमण्डल न्यायपालिका और कार्यपालिका के संविधान के अन्तर्गत कर्त्तव्य क्षेत्र पृथक-पृथक हैं। अतः विधानमण्डल और न्यायपालिका के बीच टकराव पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायपालिका अपना कार्य करती है और हम अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का आदर किया है। उदाहरण के लिए, भूतपूर्व नरेशों के अधिकारों का मामला लिया जा सकता है। पहले सरकार ने उनके अधिकारों को चुनौती दी। किन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में जाने से सरकार ने उनकी निजी थैलियाँ और विशेषाधिकार पुनः उन्हें दे दिये। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सरकार ने आदर किया। न्यायपालिका ने अपना काम किया और हम अपना काम कर रहे हैं। हम जनता की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से उस स्थिति को विधि सम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार गैर-कानूनी ठहरा दी गई थी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने कहा कि यह संशोधन स्वयं ही पराजेय है। अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यदि अन्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करने हैं तो आप उस स्थिति को स्वीकार करते हैं जो उच्चतम न्यायालय ने पैदा की है। अतः उक्त अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मिश्र जी का तर्क यह है। यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि गोलक-नाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात एक नयी स्थिति पैदा हो गई है और उसके निराकरण के लिये ऐसा विधेयक लाना आवश्यक हो गया है। जहां तक शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना का सम्बन्ध है, इसे भी तर्क के रूप में नहीं लिया जा सकता। जब संविधान बनाया गया था उस समय उपबन्ध इस विश्वास से रखे गये थे कि उनका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

इस समय जनता की यह मांग है कि परिवर्तन तेजी से होने चाहिएं। यदि मार्ग में कोई रुकावट है, तो उसे हटाने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है ऐसी ही रुकावट को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है और देश की प्रगति के लिए यह है भी आवश्यक। अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि यह विधेयक शीघ्र ही पास किया जाये। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम संशोधन को निबटायेंगे। क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत विधेयक को उच्चतम न्यायालय को, उसकी राय जानने के लिए सौंप दिया जाये।"

सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 25, **विपक्ष में** 378।

Ayes 25, Noes 378.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 15 नवम्बर 1971 तक राय जानने के लिये, उसे परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Amendment No. 4 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले, विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 352,   **विपक्ष में 27 ।**

Ayes 352,   **Noes 27.**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

खण्ड—2 (अनुच्छेद 13 में संशोधन)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : सरकार अनुच्छेद 13 में जो संशोधन कर रही है मैंने अपने संशोधन संख्या 12 द्वारा इसमें से अल्पसंख्यकों के तीन मूल अधिकारों को निकाल देने की मांग की है । वे हैं अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों का धर्मार्थ और धार्मिक न्याय अथवा संस्थान चलाने का अधिकार, अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत भाषा लिपि और संस्कृति और अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों का अपनी पसन्द की भाषा अथवा धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार । इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक घबरा गये हैं और उनकी शंकायें निराधार हैं । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कुछ अल्पसंख्यकों की निरन्तर और बार-बार आलोचना की गई है । मुझे स्मरण है कि वर्ष 1955 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार ने बम्बई में एंग्लो-इंडियन स्कूलों को बन्द करने का प्रयत्न किया था तब मैंने पहले उच्च न्यायालय में और फिर सर्वोच्च न्यायालय में उस मुकदमें की पैरवी की थी । अल्पसंख्यक समुदाय को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वर्ष 1958 में केरल सरकार ने भी एंग्लो-इंडियन स्कूलों को अपने नियन्त्रण में लेने का प्रयत्न किया था । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उनके आदेश को रद्द कर दिया ।

हमारा संविधान विश्व के लिये आदेश है । इसे बहुत परिश्रम से तैयार किया गया है । यदि सरकार ने केवल 24वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत कियां होता तो मैं उसका समर्थन करता, परन्तु जब सरकार ने 24वां और 25वां संशोधन विधेयक, दोनों को साथ-साथ प्रस्तुत किया तो मुझे बहुत दु:ख हुआ । 25वें संशोधन में मैंने देखा कि उससे न केवल नागरिकों के अधिकारों और अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है बल्कि किसी भी व्यक्ति विशेष के मूल अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं । यदि सरकार को मुआवजे की अनावश्यक चिन्ता है तो वह अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(च) को समाप्त कर सकती है । परन्तु वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित सात प्रकार की स्वतन्त्रतायें समाप्त करने की शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहती है ? क्या सरकार अल्पसंख्यकों को आश्वासन दे सकती है कि वह अल्पसंख्यकों के न्यासों, स्कूलों और कालेजों को अपने नियंत्रण में नहीं लेगी ? यदि सरकार कहे कि 25वें संशोधन से उसे अल्पसंख्यकों की संस्थाओं की सम्पत्ति हरण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती तो मैं 24वें संशोधन विधेयक का समर्थन करूंगा ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह संविधान (24वां संशोधन) विधेयक प्रगतिवादी कदम हैं । हम लोग जानते हैं कि समय बदल चुका है और अब अल्पसंख्यकों को प्रगतिवादी शक्तियों का साथ देना होगा । हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना हो । गत मध्यावधि चुनावों में अल्पसंख्यकों ने प्रगतिवादी शक्तियों का पूरा-पूरा साथ दिया था और इसी लिए शासक दल को भारी बहुमत मिला ।

संसद को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति देना नितांत आवश्यक है । परन्तु अल्पसंख्यकों के मन में भी कुछ शंकायें हैं । हम हर प्रकार से इस देश के अंग हैं और इस देश के साथ हैं । मेरी एक अपील है—अल्पसंख्यकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये हैं । मैं केवल इतना चाहता हूं कि इन अधिकारों को स्थाई बना दिया जाये जिससे भविष्य में इन अधिकारों में कोई फेर-बदल न किया जा सके । मैं चाहता हूँ कि अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 में उल्लिखित अधिकार स्थाई बना दिये जायें । ऐसा करने से अल्पसंख्यकों की शंकायें दूर हो जायेंगी और वे संतुष्ट हो जायेंगे । मुझे आशा है कि सरकार मेरी इस अपील को मंजूर कर लेगी ।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक श्री फ्रैंक एन्थनी की टिप्पणी का सम्बन्ध है, उन्हें पता है कि हम 25वें संशोधन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । फिर यदि अनुच्छेद 39 को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाये तो पता चलेगा कि उसमें संरक्षण की व्यवस्था है । जहां तक अल्पसंख्यकों के अन्य अधिकारों का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । उन्होंने कहा था कि इस देश में अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनके अधिकारों पर कोई आंच आने का प्रश्न ही नहीं उठता । अत: मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 12 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 31,   विपक्ष में 362 ।

Ayes 31,   Noes 362.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 20 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 379,   विपक्ष में 23 ।

Ayes 379,   Noes 23.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रस्ताव सभा की, समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान कराने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री पण्डा अपना संशोधन संख्या 21 पेश कर रहे हैं ।

श्री डी० के० पण्डा : जी नहीं ।

खण्ड 3—(अनुच्छेद 368 में संशोधन)

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूं ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) मैं अपने संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ए० के० गोपालन : मैंने संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत किया है । यह कहा गया है कि वास्तविक शक्ति जनता की शक्ति है । मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है । मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि संसद कोई ऐसा उपबन्ध न करे जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वाक स्वातन्त्र्य तथा अभिव्यक्ति को स्वातन्त्र्य के अधिकार, मिल बैठने के अधिकार, संस्था या संघ बनाने के अधिकार और वैयक्ति स्वातन्त्र्य के अधिकार से वंचित किया जा सके यदि वर्तमान खण्ड 3 को उसी रूप में जैसा कि वह अब है, पारित कर दिया जाये, तो यह अधिकार कम हो सकते हैं । हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि परिवर्तन संशोधनों से ही नहीं लाये जाते । परिवर्तन, चाहे ये सामाजिक हों अथवा आर्थिक, केवल जनता द्वारा कार्यवाही करने से ही हो सकते हैं । जैसे कानूनी रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है परन्तु कुछ स्थानों पर अब भी उसका अनुसरण किया जाता है । जो लोग अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं उन्हें इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए और बलिदान करना चाहिए तभी ऐसी बुराई को समाप्त किया जा सकता है । शासक दल के प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि जनता की इच्छा से परिवर्तन हो सकते हैं । यदि यह बात ठीक है और संविधान परिवर्तन लाने में सहायक होता है तो कार्यवाही करने के लिए लोगों के स्वातन्त्र्य में कमी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका विस्तार किया जाना चाहिए । जब आन्तरिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था, गृह मन्त्री ने कहा था कि इसका प्रयोग मजदूरों के हितों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । परन्तु मुझे आज ही एक तार मिला है कि एक मजदूर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द कर दिया गया है । इसी प्रकार की कार्यवाही तमिलनाडु में भी की गई है । आज आश्वासन दिये जाने के बावजूद यह स्थिति है । आम जनता द्वारा कार्यवाही किये बिना कोई परिवर्तन आ नहीं सकता, परन्तु उन्हीं लोगों का दमन किया जा रहा है । संसद और विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है ।

कानून और व्यवस्था के विरुद्ध अभियान चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । यह वाक् स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का प्रश्न है । चितरंजन में कार्मिक संघ के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का स्थानान्तरण किया गया है । जब कर्मचारी पारित कानून के अनुसार कार्य करते हैं तब उन्हें परेशान किया जाता है और गिरपतार किया जाता है । जनता के अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रता जैसी प्रारम्भिक अधिकारों में कटोती की गई है ।

ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसके अन्तर्गत केवल उन लोगों को स्वतंत्रता की अनुमति होगी और समाज शीघ्र परिवर्तन लाने, और सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे यह स्वतंत्रता उन लोगों को नहीं दी जायेगी जो इन परिवर्तनों के विरुद्ध होंगे संविधान में संशोधन करने के अधिकार सरकार के पास पहले ही हैं। यह पूछा गया है कि कल कौन सी दल सत्तारूढ़ होगा। वर्ष 1967 में भारत के समस्त राज्यों में एक दल सत्तारूढ़ नहीं था। अत: कल जो दल सत्ता में आता है यदि वह दी गई थोड़ी सी स्वतंत्रता को कुचलने लगता है तो उक्त परिवर्तन कभी नहीं आ सकते। गत दो वर्षों के अनुभव के आधार पर ही मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government should not hesitate to seek the opinion of the public before abolishing or curtailing the fundamental rights. The Bill has been brought to conceal the failure of the Government in case of Bangla Desh issue. The Golaknath case was decided in 1967. The Government did not think of radical economic and social changes for the last three years.

The Government could have know the views of the Supreme Court, before the First session of Lok Sabha. It is not an ordinary thing to curtail the fundamental rights of the Citizens. The Government should seek the opinion of the public before doing so.

Nobody will oppose the imposition a ceiling on property. I agree that times are changing and we should make changes accordingly. But Shri Sidhartha Shankar Ray should also change. I remember the day when he had pleaded against Shri Moinul Haque Chaudhary in the "Assam Tribunal Case". But now they are sitting together. I am not against changes. But those changes should be in the interest of the public. By not accepting my suggestion of referendum, they have shown that the Government is afraid to seek the opinion of the public. If this suggestion of mine is accepted, I will give my free support to the Bill.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति विभाग में मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : मैं 'शिलांग टाइम्स' की ओर से वकील नियुक्त हुआ था 'आसाम ट्रिब्यून' की ओर से नहीं। आसाम सरकार द्वारा 'शिलांग टाइम्स' के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे की मैंने 'शिलांग टाइम्स' की ओर से पैरवी की थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने कथन में शुद्धि करता हूं। उन्होंने 'शिलांग टाइम्स' की पैरवी की थी 'आसाम ट्रिब्यून' की नहीं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री मनोहरन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 का समर्थन करता हूं जिसमें यह उपबन्ध है कि संविधान का कोई भी संशोधन विधेयक जिसमें भाग तीन में दिये गये मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने अथवा उसमें कमी करने का प्रस्ताव हो, उसे कम से कम 75 प्रतिशत राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिये।

श्री शमीम द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 के पीछे भी यही भावना है। मैं सभा का ध्यान दिवंगत श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विधेयक को सयुक्त समिति को सौंपा गया था। संयुक्त समिति ने उक्त विधेयक पर एक मत से रिपोर्ट दी थी जिसे केन्द्रीय विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन ने स्वीकार कर लिया है। 45 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया निर्णय सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अब कोई

कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आशा है सरकार श्री मनोहरन का उक्त संशोधन स्वीकार कर लेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 26 के बारे में बोलना चाहता हूँ। सरकार को निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप या मूलभूत अधिकारों के प्रभाव को मजबूत करने से किसी ने ही रोका था। इस बारे में केवल आश्वासन देना ही पर्याप्त नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव के बाद सरकार ने अनेक कार्यवाहियां ऐसी की हैं जिनसे जनता में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ।

साथ ही दोनों पक्ष के मेरे मित्र इस 24वें संशोधन विधेयक को एक महान क्रान्तिकारी आमूल भूत परिवर्तन वाला विधेयक सिद्ध करना चाहते हैं। वस्तुतः तो इस विधेयक का अभिप्रायः गोलकनाथ मामले पर निर्णय से पूर्व की स्थिति लाने का है। इस निर्णय से पूर्व भी तो संसद अपने इस अधिकार का उपयोग कर रही थी और संविधान के किसी भी अंग में परिवर्तन या संशोधन कर सकती थी, फिर अब किसी प्रकार के भय की कहां गुंजाईश रह जाती है। फिर भी इस विधेयक का कम महत्व नहीं है।

मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय तथा श्री मोहन कुमारमंगलम द्वारा दिये गये आश्वासनों से तनिक भी संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि प्रायः दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए जाते। देखना तो यह है कि वे क्या करने को तैयार हैं और क्या नहीं। श्री एन्थनी और श्री गोपालन को कुछ भय है। श्री गोपालन समझते हैं कि सम्भव है बाद में कोई मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी खण्डों को ही संविधान से निकाल दे। परन्तु ऐसे भय के आधार पर संसद को शक्ति प्रदान न करना उचित नहीं है। हमें तो इसके बाद और अन्य कानून को पास करके सभी के अधिकारों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी और अधिक सुदृढ़ करना है।

अतः मैं अपने इस संशोधन पर अधिक जोर नहीं दे रहा हूं तथापि इसका यह भी अर्थ नहीं है कि मैं इन माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों से संतुष्ट हूं।

मुझे आशा है भविष्य में और भी कानून ऐसे बनाए जायेंगे जिनसे अल्पसंख्यकों आदि सभी के मूल अधिकारों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

श्री फ्रेंक एन्थनी : संशोधन संख्या 14 संशोधन संख्या 12 जैसा ही है। इसका अभिप्राय धारा 26, 29, 30 के अन्तर्गत आने वाले मूल अधिकारों को बचाना है। यदि आपने केवल इतना ही कानून बनाना होता तो मैं अपना पूरा समर्थन देता परन्तु आपने तो साथ ही साथ यह विषैला 25वां संशोधन विधेयक भी पेश किया है। शायद आपने इस विषय का अध्ययन तक नहीं किया है। आपने यह कानून शायद साम्यवादियों से बचने के लिए बनाया है और इसी लिए यह 25वां संशोधन विधेयक पेश किया है। परन्तु वस्तुतः तो यह लड़ाई तो मूलभूत अधिकारों के लिए है जिसके लिए सरकार दूसरे के मूल्य पर सौदे-बाजी कर रही है। यह सौदे बाजी अल्पसंख्यकों तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों के मूल्य पर की जा रही है। मंत्रियों के आश्वासन न्यायालय में प्रभाव नहीं रखते। क्या विधि मंत्री मुझे यह आश्वासन देते हैं कि इस संशोधन से मेरे मूलभूत अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री एस० ए० शमीम : मुझे प्रसन्नता है कि संसद मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन कर सकने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करना निषिद्ध करार दिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में लोकमत प्राप्त किया जाये। मैं भी यही चाहता हूं परन्तु उस प्रकार नहीं जिस प्रकार श्री अटल बिहारी जी कहते हैं। वह वर्ष 1967 के आम चुनावों के द्वारा इसका परिणाम देख सकते हैं। मेरा संशोधन है कि इस व्यवस्था को देश की आधी विधान सभाओं में भी तो पारित कराया जाए। इस माध्यम से भी लोक मत का पता चल जाएगा। वैसे तो गत चुनावों में भी लोग अपना मत व्यक्त कर चुके हैं और यह प्रकट कर चुके हैं कि वे परिवर्तन चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त, वर्ष 1972 में होने वाले राज्यों के चुनावों में भी लोग अपना बहुमत देकर इस विधेयक के समर्थन का परिचय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसकी तो संविधान में पहले से ही व्यवस्था है।

श्री एस० ए० शमीम : मूलभूत अधिकारों के बारे में नहीं है। यह विधेयक अनुमोदनार्थ राज्यों के पास आयेगा तो इस परिवर्तन में उनका भी मत शामिल होगा। अतः मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : इस विधेयक को पेश करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और मैं इस का दिल से समर्थन करता हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह विधेयक संसद को यह अधिकार देने के लिए पेश किया गया कि वे मूलभूत अधिकारों वाले खंडों सहित संविधान की किसी धारा में संशोधन कर सके। परन्तु मेरे संशोधन संख्या 40 का उद्देश्य है कि धारा 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 30 को इसके बाहर रखा जाए क्योंकि कानून आपकी नजर में सब को समान रखने के समानता के अधिकारियों को आप भी बदलना नहीं चाहेंगे। अतः इन धाराओं को इस विधेयक से अछूता रहने देने में क्या आपत्ति है? इसलिए मेरा संशोधन स्वीकार करने में सरकार को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

दूसरे इस विधेयक के उप-खंड 3(ग) में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही पड़ेगी, वह ऐसा करने से मना नहीं कर सकते। यह व्यवस्था इस विधेयक पर एक धब्बा है। इससे राष्ट्रपति के प्रति विश्वास को और उसे सर्वमान्य अधिकारों को चोट पहुँचती है। अतः मेरे संशोधन संख्या 45 को स्वीकार करते हुए इस अनुचित व्यवस्था को निकाल दिया जाना चाहिये।

Shri Ram Ratan Sharma (Banda) : With reference to my amendment No. 16 I have to submit that those who have brought in this Amendment Bill have no faith either in the people or in the Supreme Court of India. They do not have trust even in the President of India.

My amendment, therefore, seeks to delete lines 13 to 17 in clause (2).

श्री मुहम्मद इस्माईल : हमारी ओर से 24वें संशोधन विधेयक के लिये इसी प्रकार का संशोधन पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि वर्तमान मूलभूत अधिकार बने रहे क्योंकि यदि

यह संशोधन विधेयक पारित हो गया तो एक दिन लोगों के मूलभूत अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे।

प्रधान मंत्री ने अनेक आश्वासन दिये हैं और हमें अपने प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास भी है। इसमें हमें संदेह नहीं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आँच नहीं आयेगी। परन्तु भविष्य में क्या हो सकता है, कौन जाने। अतः वर्तमान संविधान में मूलभूत अधिकारों की स्थायी व्यवस्था है और वह बनी रहनी चाहिए।

हम जानते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि की व्यवस्था बहुसंख्यकों की इच्छा पर निर्भर करती है। परन्तु फिर भी संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था है। वह विशेष व्यवस्था परिवर्तित नहीं की जानी चाहिए। हम तो बस इतना ही चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपने संशोधन के बारे में पहले ही काफी कह चुका हूं और उसका उद्देश्य यही है कि संसद की वाक्, अभिव्यक्ति एकत्रित हो कर बैठने संघ तथा संगठन बनाने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार न दिए जाये। अब इसका निर्णय मैं संसद पर छोड़ता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हमने आमतौर पर उस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है परन्तु मैंने अपना संशोधन संख्या 38 पेश किया है जिस का उद्देश्य है कि इस विधेयक का संविधान की धारा 19 के खंड 1 के उप-खण्ड (क) से (ङ) तक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माना कि विधि मन्त्री ने अनेक प्रकार के आश्वासन दिये हैं। प्रधान मंत्री ने भी अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से कई वायदे किए हैं कि वे मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वायदों का महत्व भी विश्वास और श्रद्धा पर आधारित है। फिर इन्हीं बातों को संविधान में बनाए रखने से क्या हानि है ? लोगों को केवल आश्वासनों के सहारे क्यों सन्तुष्ट किया जा रहा है उनकी स्थायी व्यवस्था करने में क्या आपत्ति है।

गत चुनावों के पश्चात दो कानूनी विधेयक पेश हुए हैं। उनमें से एक में सामान्य सीमा को अधिकार में लेने की व्यवस्था है और जिसकी अलोचना हमने चर्चा के दौरान की थी। दूसरा विधेयक आँतरिक सुरक्षा विधेयक था जिसकी विपक्षी दलों ने बड़ी आलोचना की थी। क्या यही तरीके हैं लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के ? इस लिए हमें भय है। धारा 19 की उपधारा (6) में पहले ही व्यवस्था है कि उसमें किसी भी अधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। हमारा तो यह कहना है कि यदि किसी आश्यक्ता के अनुसार आप कोई परिवर्तन करते हैं तो हम आपके साथ हैं परन्तु हम सब कुछ आपके आश्वासनों पर ही क्यों छोड़ दें ? हम सम्पत्ति सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों के बारे में कोई आश्वासन नहीं चाहते। इससे लोगों के दिलों में भय रहता है और बदगुमानी बनी रहती है। हमारी धारणा है कि जिस प्रकार सरकार आज कल कार्य कर रही है उससे हमें उसकी धारणाओं पर सन्देह है। पश्चिम बंगाल में भी हमारा संविधान लागू होता है परन्तु आपने उसे एक पुलिस राज्य बना डाला है। आधारभूत मानवीय अधिकारों को छीन कर सरकार आधिकाधिक शक्ति अपने हाथ में लेती जा रही है।

यही कारण है कि हम एक संशोधन के लिए जोर दे रहे हैं ताकि आधार मूलभूत मानवीय अधिकारों का दमन न हो सके।

श्री कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) । मैं अल्पसंख्यकों के तथा कथित समर्थकों के भाषण सुन रहा था ...

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वह किसी संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं और न ही उन्होंने कोई संशोधन पेश किया है। अगर उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी दी जानी चाहिए। वैसे यदि वह संशोधनों का विरोध करने को बोल रहे हैं तो तीसरे पाठ के दौरान बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री कादर तीसरे पाठ के समय बोलना चाहेंगे ?

श्री कादर : ठीक है, मैं तीसरे पाठ के समय बोल लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय।

श्री एच० आर० गोखले : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपना संशोधन वापस लेने की घोषणा की है मैं इसके लिये उनका आभारी हूं। मैं अन्य माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि जिनके इसी प्रकार के संशोधन हैं वे भी वापस लेलें जिससे समय की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त यहां जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनके निर्मूल होने के बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट करदी गई है।

मुख्यरूप से अनुच्छेद 19(क) के कारण प्रेस के सम्बन्ध में एकाधिकार को समाप्त किये जाने के लिये कानून बनाये जाने में असफलता हुई तथा इससे सम्बन्धित दो फैसलों का बार-बार उल्लेख किया जा चुका है। अत: जब संसद के हाथों में संविधान के किसी भी उपबन्ध में संशोधन करने का पूरा अधिकार दिये जाने के लिये विचाराधीन संशोधन में अन्य संशोधनों द्वारा इस अधिकार को सीमित करना उचित नहीं है क्योंकि इससे सरकार निहित स्वार्थों तथा एकाधिकारियों को भी समाप्त करने के लिये कानून बनाने में असमर्थ रहेगी।

कुछ अन्य संशोधनों में यह भी सुझाव दिया गया है कि मूल अधिकारों को कठोर उपबन्ध के रूप में अनुच्छेद 368 के उपबन्ध में सम्मिलित कर दिया जाये। गत संसद के दौरान इस विधेयक के बारे में संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि उन्हें कठोर उपबन्ध के रूप में सम्मिलित कर लिया जाये किन्तु सैद्धान्तिक रूप में तथा व्यावहारिक रूप में मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि संविधान सभा ने भी इनको अपरिवर्तनीय उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं रखा था। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत उपबन्ध केन्द्र-राज्य और राज्य-राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में हैं अथवा संघात्मक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। यह सच है कि संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि सरकार पूरी स्थिति पर विचार न करे। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत सभी उपबन्धों का सम्बन्ध संघात्मक ढांचे से सम्बन्धित है और यदि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है तो उस विषय में राज्यों की स्वीकृति-अस्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उठता। अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये जनमत संग्रह के प्रश्न पर पहले ही कहा जा चुका है। मैं नहीं समझता कि निर्वाचित सदस्यों की आवाज़ जनता की आवाज़ क्यों नहीं है। कांग्रेस दल ने चुनावों के समय जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र रखा था तथा जनता ने सोच समझकर ही

मतदान किया था। मैं श्री पीलु मोडी के इस तर्क से भी सहमत नहीं हूं कि भारत की जनता कुछ समझती ही नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अनुमति न दिये जाने के बारे में राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री एच० आर० गोखले : वास्तव में सरकार ने मंत्री परिषद के अधिकारों को कम किया है क्योंकि इससे वह राष्ट्रपति को अपनी अनुमति न दिये जाने की सलाह नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया।

The Amendment No. 8 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 59 विपक्ष में 326

Ayes 59 Noes 326

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिये रखा गया

The amendment No. 9 was put

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 26 विपक्ष में 370

Ayes 26 Noes 370

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया

The amendment No. 14 was put

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 27 विपक्ष में 374

Ayes 27 Noes 374

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

संशोधन संख्या 26 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The amendment No. 26 was, by leaves withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24, 27, 29, 30 और 38 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The amendments Nos. 24, 27, 29, 30 and 38 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 और 41 मतदान के लिये रखे गये ।

The amendments Nos. 40 and 41 were put

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 11 विपक्ष में 372

Ayes 11 Noes 372

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

Lok Sabha divided

पक्ष में 392 विपक्ष में 27

Ayes 392 Noes 27

प्रस्ताव सभा की कुछ सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, Enacting formula and the Long Title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय ! तृतीय वाचन के समय विधेयक पर कुछ टिप्पणी करना प्रथा के अनुकूल ही होगा। पिछली संसद में श्री नाथपाई ने एक विधेयक रखा था जिसमें संविधान में संशोधन किये जाने के लिये संसद को अधिकार देने का उद्देश्य निहित था। मुझे प्रसन्नता होती यदि सरकार नई संसद के पहले सत्र में ही इस विधेयक को लाई होती। संयुक्त समिति के समक्ष रखी गयी बातों का भी कुछ उल्लेख किया जाना चाहिये था। मैं विधि मंत्री महोदय से भी मिला था तथा उनसे निवेदन किया था कि सरकार उस कार्यक्रम के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करे जिन्हें वह इस विधान के अन्तर्गत लागू करना चाहती है। किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार ने इस विषय में गम्भीरता से विचार नहीं किया है तथा वह यह कदम इस कारण उठा रही है क्योंकि उसे जनता का भारी समर्थन मिल गया है। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूँ कि यदि उसने जनता में विद्यमान असंतोष की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका उल्लेख विपक्षी दलों के सदस्यों ने किया है तो सरकार को बुरे दिन देखने पड़ेंगे। केवल कानून बनाकर देश में ऐसा समाज तैयार नहीं किया जा सकता जिसकी आज आवश्यकता है। आज विशेषकर देश के नवयुवकों में उत्सुकता है तथा समाज में विद्यमान भ्रष्टाचार तथा अस्वस्थ वातावरण, जिसे बनाये रखने के लिये कुछ सत्ता सम्पन्न लोग उत्तरदायी है, को दूर करने की भारी आवश्यकता है। जनता सरकार को सभी प्रकार के अधिकार देने को तैयार हैं बशर्ते कि सरकार कुछ काम भी करे। सरकार ने बहुत सी अच्छी बातों का उल्लेख किया है किन्तु मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि वास्तव में वह क्या कार्य करना चाहती है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मूल्य पृष्ठ अनुसूची को अपनाना चाहती है। क्या सरकार सदन के समक्ष यह कहने को तैयार है कि वह सामान्य बीमा के सम्बन्ध में ऐसे कदम उठायेगी जो लोगों के अधिकारों के अनुकूल होंगे? क्या सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले को पुनः आरम्भ करना चाहती है? क्या सरकार इस बारे में सदन को आश्वासन देगी कि तेल के बैरलों के बारे में भारत में विदेशियों द्वारा किये जा रहे शोषण को समाप्त किया जायेगा?

किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगी तथा वह तुरन्त कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं करेगी। इसी कारण हमारे दिल में कुछ आशंकाए हैं तथा यह सोचना अनुचित नहीं है कि सरकार इस अधिकार का दुरुपयोग करेगी।

मैं यह भी समझता हूं कि इस स्थिति में कुछ भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जा सकता। किन्तु कम से कम सरकार देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये योजनाबद्ध कार्यक्रम की घोषणा अवश्य करे।

श्री कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : महोदय ! अन्य सभी बातों का उल्लेख न करते हुये मैं केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूँगा।

हमारे देश में इस समय वास्तव में बहुत थोड़े व्यक्ति ही ऐसे हैं जो सम्पन्न हैं और शेष सभी जनता गरीब है। चुनाव के दौरान इन्हीं गरीबों की स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया था तथा उस वचन को पूरा करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि श्री फ्रैंक एंथनी के दिल में अल्पसंख्यक के बारे में इतनी घबराहट क्यों हैं।

मैं अपने मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी को यह बता देना चाहता हूं कि गत आम चुनावों को देखने से पता चलेगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आंग्ल भारतीय समुदाय ने बहुमत दल को इस

आधार पर मत दिया कि वह संविधान का संशोधन करेगी, मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि केरल से आने वाले विरोधी दल के सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या मुसलमानों का। जहां तक इस सभा का संबंध है हममें से प्रत्येक अल्पसंख्यक अथवा बहुमत समुदाय का प्रतिनिधि न होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं अपने इन मित्रों को यह बता दूं कि मुस्लिम लीग जैसे तथाकथित संगठन ने देश का विभाजन कराया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजोकोड) : मेरा दल मुस्लिम लीग विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह तो अस्तित्व में स्वतन्त्रता के पश्चात ही आयी है।

श्री कादर : उन्होंने 'इस्लाम खतरे में है' की आवाज उठायी थी और इसी के आधार पर दो राष्ट्र का सिद्धान्त अस्तित्व में आया। क्या यह मत नहीं है कि स्वतंत्रता के पश्चात अल्पसंख्यक वर्ग को समान और निष्पक्ष व्यवहार मिला है। मेरा अनुरोध है कि अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर राजनीतिक लाभ न कमाया जाये।

इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि संविधान को बनाया जाता है और उसे समाप्त भी किया जाता है। हमारा पड़ौसी देश इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार संविधान की गारंटी अपने में कोई गारंटी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करेगा? ऐसा नहीं है. इस वर्ग का संरक्षण केवल जनता के दिलों में हैं न कि संविधान में। मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की मुख्य धारा में आने आपको आत्मसात किया है। अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्र के साथ है। जब तक के राष्ट्र के साथ हैं, उनसे कोई भी उनके अधिकार को छीन नहीं सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म के बारे में निश्चित हो जाना चाहिए कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही किसी ने हस्तक्षेप किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से यह सिद्ध हो जायेगा कि जनता सर्वोच्च है और उसके ऊपर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उससे उसके संवैधानिक अधिकार को छीन सकती है। इसलिए हमने इस विधेयक का भरपूर समर्थन किया है। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी संदेह व्यक्त किया गया है कि इस संविधान संशोधन विधेयक का उपयोग जनता के हितों के लिए नहीं किया जायेगा। हमने यह देखा है कि कई विधान पारित करते समय दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण विधेयक पारित करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि इसका उद्देश्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध किया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ और राजनीतिक दलों तथा कार्मिक संघों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया। इसलिए हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

अभी हाल ही में न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने के कारण श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद को न्यायालय की अवज्ञा करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था परन्तु अगले दिन सत्तारूढ़ दल ने उन्हीं के कथन को दोहराया जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री नम्बूदिरिपाद गल्ती पर नहीं थे। यद्यपि सत्तारूढ़ दल ने अतीत में अपने दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया है, परन्तु मेरा विश्वास है कि संशोधन के अधिकार को ले लेने के उपरान्त वे ऐसे विधान लायेंगे जो जनता के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Efforts are being made to solve the controversy regarding the Importance of Constitution, Parliament and Supreme Court. But actually these three institutions are inter-linked. The elected members took oath according to their belief. Some took oath in the name of God while some preferred the Constitution. It means that our Constitution is sacred.

It is not so that our Constitution cannot be amended. There is every scope for amendment and on this account twenty third amendments have already been made. But the present amendment relates to the Fundamental Rights. After all the people have elected Constituent Assembly as well as the Parliament. Provision has been made to solve any controversy arising between these two by the Supreme Court. Now you want to solve the controversy regarding the Court's verdict. You say that Parliament is sovereign and Supreme. But the Prime Minister dissolved the Parliamrnt. She got the right to do so from the Constitution. The Constituent Assembly declared that Governor will be nominated as controversy may arise when both the Chief Minister and the Governor both are elected persons. So, when it is said that the verdict of the Supreme Court is not acceptable to the ruling party, then the matter must be referred to the people from whom they derive powers.

It is a fact that we lost to you in the last general election but we triumphed in the Corporation's elections. Now you can see what people want. The people of the capital have shown that they are with us. We have always supported the ruling party when Bills regarding abolition of Zamindari, Jagirdari were introduced. You have enacted Land Ceiling Act but you did not implement it.

Regarding the slogan "Garibi Hatao", Vinobaji called for donations of property. May I ask to the other side how many have donated their property ? No Legislation or Coustitution come in their way. To dedicate oneself with a sense of social welfare to work for the people has been the essence of our culture. Limitation have their importance and they should not be violated.

When this controversy took place, we called for the opinions of the people. But the ruling party did not accept this suggestion. A number of opposition parties have cautioned that the sanctity of fundamental rights must be preserved. The entire House opposed the Bill regarding freedom to organistation when it was introduced last time.

The Government talk of pledges but have ever they fulfilled their commitment. A resolution was passed on 14th November, 196 that we would liberate our land from China. But nothing has been done. Similarly pledges regarding removal of unemployment etc have not been fulfilled. So we do not want only assurances but we want constitutional guarantee. The Government should go to the people for their verdict in this matter. This will create confidence in people.

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को पारित कराने में सभी सदस्य एकमत हैं हमारा अन्य दलों के साथ मतभेद हो सकता है पर इस मामले में वे हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र का कहना है कि यह सभा सर्वोच्च है और संविधान इससे भी अधिक सर्वोच्च है और मेरा यह कहना है कि सविधान की निर्मात्री जनता सबसे अधिक सर्वोच्च है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप जनता के पास निर्णय के लिए जा सकते है।

श्री सेभियान : हम 1971 में जनता के पास गये और 1976 में फिर जनता से निर्णय लेंगे ।

संविधान अपने में लक्ष्य नहीं है, यह तो केवल एक साधान मात्र हैं। इसके द्वारा जनता अपनी स्थिति को सुधार सकती है।

विधायिका और उच्चतम न्यायालय में कोई संघर्ष नहीं है। उच्चतम न्यायालय का अपने क्षेत्र में महत्व है तो विधायिका का अपने क्षेत्र में। यदि दोनों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम उसको दूर करेंगे।

1950 में संविधान को जीवन प्रदान किया गया था और आज 1971 में यह संशोधन पारित करके इसको मृतप्राय होने से बचाया जा रहा है। जनता चाहती है कि संविधान बदले हुए समय के साथ उनकी आवश्यकता को पूरी करे और हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंद गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"समापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से विधेयक को पारित करने के लिए अपनी सहमति दी है।

इसी विषय पर वार-विवाद बहुत लम्बा चला है और मैंने तथा मेरे अन्य सहयोगियों ने उसका उत्तर पहले ही दे दिया है। इस विधेयक को अभी कानून बनना है। इससे पहले इसको राज्यों में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा जायेगा। जहां तक हमारे दल के कार्यक्रम का प्रश्न है यह हमारे घोषणा पत्र में निहित है। मुझे विश्वास है कि हम यह अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर मतदान विभाजन द्वारा होगा इससे पहले मैं श्री पीलू मोदी का ध्यान नियम 155 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पहले आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार करिए और फिर अपना विनिर्णय दीजिए। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता और फिर आप अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : परन्तुक में कहा गया है "परन्तु यह और भी कि संक्षिप्त नाम, अधिनियमन सत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे।" इस मामले में मौखिक मतदान किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

अब इस पर मत-विभाजन होगा।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का यह परिणाम निकला है :

पक्ष में 384 विपक्ष में 23

Ayes 384 Noes 23

यह प्रस्ताव सभा के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था यह है कि विधेयक अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाये ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 5 अगस्त 1971, 14 श्रावण, 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 5th August, 1971/Sravana 14, 1893 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.